

भारतीय रिजर्व बैंक

संपदा विभाग

कोच्ची

आरबीआई, कोच्ची के कार्यालय भवन के तीसरी मंजिल के लिए केंद्रीकृत एसी डक्ट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग

के लिए ई-निविदा

पार्ट-I

(तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)

भारतीय रिजर्व बैंक

कोच्ची- 682018

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	वस्तु		पृष्ठ सं.
	पार्ट-I		
1	खंड-I	**ई-निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)**	**3**
2	खंड- II	**निविदा का प्रारूप**	**5**
3	खंड- III	**बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देश**	**7**
4	खंड-IV	**अनुबंध की सामान्य शर्तें**	**14**
5	खंड-V	**अनुबंध की विशेष शर्तें**	**36**
6	खंड-VI	**इसके पूर्व संदर्भित परिशिष्ट**	**38**
7	धारा-VII	**सुरक्षा कोड**	**39**
8	खंड-VIII	**तकनीकी विनिर्देश और कार्य का दायरा**	**42**
9	खंड-IX	**लेआउट**	**49**
10	खंड-X	**स्वीकृत ब्रांडों की सूची**	**50**
11		**अनुबंध**	**51**
	भाग-II		
12	खंड-XI	**बिना मूल्य वाली मात्राओं का बिल**	**69**

खंड-I

ई-निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

1. आरबीआई, कोच्ची के कार्यालय भवन के तीसरी मंजिल के लिए केंद्रीकृत एसी डक्ट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के काम के लिए, एम्पैनल्ड **निविदा**र्स से ई-**निविदा** मंगाया गया है। काम की अनुमानित लागत ₹ 9,90,315/- (**जीएसटी** मिलाकर) है और इसे बैंक से वर्क ऑर्डर/सूचना जारी होने की **दिनांक** के सातवें दिन से 60 दिनों के अंदर पूरा करना है।
2. , केरलम में संबंधित कैटेगरी (₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख) में डक्टिंग काम के लिए एम्पैनल्ड बिडर्स।

3. ई-**निविदा** केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) https://etenders.gov.in/eprocure/app द्वारा **आरबीआई** की ओर से तीसरे पक्ष के रूप में किया जाएगा । इसलिए, इच्छुक फर्मों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए **सीपीपी** पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है। सीपीपीपी पर पंजीकरण और ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया के बारे में विवरण अनुलग्नक -7 में संलग्न है। ई-**निविदा** दो भागों में ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा। ई-**निविदा** के भाग I में प्रस्तावित कार्य के लिए मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें शामिल होंगी और ई-**निविदा** के भाग II में मूल्य बोली होगी। दस्तावेजी प्रमाणों के साथ सभी आवश्यक अनुलग्नक भी निविदा के भाग I के साथ अपलोड किए जाएंगे। यह एक ई-**निविदा** बोली है, और बोलीदाताओं को खोलने के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। मूल्य बोली में दिखाई देने वाला विवरण कार्यों के विस्तृत दायरे को व्यापक रूप से कवर कर सकता है या नहीं भी कर सकता है।

4. बैंक सबसे कम बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी **निविदा** को पूरा या कुछ हिस्सा स्वीकार करने का अधिकार रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए, अपनी मर्ज़ी से किसी भी या सभी **निविदा** को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

5. बैंक के पास एडेंडम / कोरिजेंडम / मिनट्स / प्री-बिड मीटिंग जारी करने का अधिकार है, जिसे सिर्फ़ **आरबीआई** और **सीपीपीपी** की **आधिकारिक** वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। ऐसे अपडेट **निविदा दस्तावेज़** का एक ज़रूरी हिस्सा होंगे, और अलग-अलग बिडर्स को कोई अलग नोटिफिकेशन नहीं भेजा जाएगा। किसी भी बदलाव के लिए इन पोर्टल्स को मॉनिटर करना पूरी तरह से बिडर्स की ज़िम्मेदारी है।

6. **निविदा** (**एसओटी**) का शेड्यूल इस तरह है:

क्रम संख्या	**वस्तु**	**विवरण**
1	ई-निविदा संख्या	2026_RBI_297619
2	ई-निविदा आईडी	2026_RBI_297619

3	निविदा आमंत्रण प्राधिकरण	महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची (ईमेल आईडी: estatekochi@rbi.org.in)
4	कार्य का नाम	ओबी, आरबीआई, कोच्ची में तीसरी मंजिल के लिए सेंट्रल एसी डक्ट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।
5	निविदा का तरीका	(सीपीपीपी), https://etenders.gov.in/eprocure/app के ज़रिए ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम। सभी इंटरेस्टेड बिडर्स को ऊपर बताई गई वेबसाइट के ज़रिए रजिस्टर करना होगा ।
6	अनुमानित लागत	₹ 9,90,315/- (जीएसटी सहित)
7	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	शून्य
8	प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी)	शून्य
9	रिटेंशन मनी डिपॉजिट (आरएमडी)	बिलों से 5% काटा जाएगा (काम की कीमत का 5%)।
10	एनआईटी और निविदा देखने/डाउनलोड करने की दिनांक और समय	12 नवंबर, 2026, 15:00 बजे के बाद।
11	प्री-बिड मीटिंग की दिनांक, समय और स्थान (ऑफ़लाइन)	16 नवंबर, 2026, समय: 15:00 बजे, कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची।
12	प्री-बिड मीटिंग के नतीजे को आरबीआई वेबसाइट पर एडेंडम, कोरिजेंडम वगैरह के रूप में अपलोड करने की दिनांक और समय।	17 नवंबर, 2026, 14:00 बजे से पहले।
13	ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की दिनांक।	19 नवंबर, 2026, दोपहर 14:00 बजे।
14	बोली वैधता	निविदा (पार्ट-I) खुलने की दिनांक से तीन महीने (90 दिन)। आपसी सहमति से इस समय को बढ़ाया जा सकता है, और बोली लगाने वाला इस समय के दौरान निविदा को कैंसिल या वापस नहीं लेगा।
15	निविदा खोलने की दिनांक और समय (पार्ट-I)	20 नवंबर, 2026, 15:00 बजे।
16	निविदा खोलने की दिनांक और समय (पार्ट-II)	योग्य बिडर्स को अलग से बताया जाएगा।
17	काम पूरा करने के लिए दिया गया समय	बैंक से वर्क ऑर्डर/सूचना जारी होने की दिनांक के सातवें दिन से 60 दिन।

18	इस निविदा पर किसी भी क्लैरिफिकेशन / फॉरवर्डिंग डिटेल्स वगैरह के लिए अधिकारियों के नाम।	ईमेल: estatekochi@rbi.org.in नाम: अज़हरुद्दीन एम. मोबाइल नंबर: 9495694341 ईमेल: azharudeenm@rbi.org.in नाम: अखिलेशकांत एस.एस. मोबाइल नंबर: 8281258592 ईमेल: akhileshkanthss@rbi.org.in

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)

भारतीय रिजर्व बैंक

कोच्ची- 682018

खंड- I

निविदा का प्रारूप

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिजर्व बैंक
कोच्ची 682018

मैडम सर,

1. मेमोरेंडम में बताए गए कामों से जुड़े स्पेसिफिकेशन्स, ड्राइंग्स, डिज़ाइन्स और क्वांटिटीज़ के शेड्यूल की जांच करने के बाद, और उस मेमोरेंडम में बताए गए कामों की साइट पर जाकर जांच करने के बाद, निविदा से जुड़ी ज़रूरी जानकारी हासिल करने के बाद, हम उस मेमोरेंडम में बताए गए कामों को, टाइम मेमोरेंडम में बताए गए समय के अंदर, साथ में दिए गए क्वांटिटीज़ के शेड्यूल में बताई गई दरों पर और सभी मामलों में निविदा की शर्तों, एग्रीमेंट के आर्टिकल्स, स्पेशल शर्तों, क्वांटिटीज़ के शेड्यूल और निविदा की शर्तों में बताए गए स्पेसिफिकेशन्स, डिज़ाइन्स, ड्राइंग्स और लिखित निर्देशों के साथ और हमारे द्वारा दिए गए सामान के साथ, और बाकी सभी मामलों में ऐसी शर्तों के अनुसार, जहाँ तक वे लागू हो सकती हैं, सप्लाई और पूरा करने का ऑफर देते हैं।

ज्ञापन

क्रम संख्या	वस्तु	विवरण
1	कार्य का नाम	ओबी, आरबीआई, कोच्ची में तीसरी मंजिल के लिए सेंट्रल एसी डक्ट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।
2	अनुमानित लागत	₹ 9,90,315/- (जीएसटी सहित)
3	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	शून्य
4	प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी)	शून्य
5	रिटेंशन मनी डिपॉजिट (आरएमडी)	बिलों से 5% काटा जाएगा।
6	काम पूरा करने के लिए दिया गया समय	बैंक से वर्क ऑर्डर/सूचना जारी होने की दिनांक के सातवें दिन से 60 दिन।

2. अगर यह निविदा स्वीकार कर लिया जाता है, तो हम इसके साथ दी गई निविदा की शर्तों और नियमों को मानने और पूरा करने के लिए सहमत हैं, जहाँ तक वे लागू हों, या उनका उल्लंघन करने पर शर्तों में बताई गई रकम ज़ब्त करके भारतीय रिज़र्व बैंक को दे देंगे।

3. अगर यह निविदा स्वीकार हो जाता है, तो हम निविदा के सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को मानने और पूरा करने के लिए सहमत हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम निविदा में दी गई शर्तों में बताई गई रकम को ज़ब्त करके आपको या आपके उत्तराधिकारियों, या असाइनी या नॉमिनी को देंगे, साथ ही निविदा की लिखित स्वीकृति भी देंगे।

4. हम समझते हैं कि आप बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को पूरी तरह या कुछ हिस्से में स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखते हैं।

5. निविदा दो हिस्सों में जमा किया जाता है। पार्ट-I में सभी कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस, और टेक्निकल डिटेल्स हैं और पार्ट-II में सिर्फ़ बैंक के प्रोफ़ॉर्मा में प्राइस बिड है।

दिनांक: आज, 2026, _____.

मेसर्स _____ की ओर से

(हस्ताक्षर मुहर सहित)
नाम:
पद का नाम:
स्थान:
दिनांक:

(ऊपर बताए गए हस्ताक्षर करने वाले के पावर ऑफ़ अटॉर्नी की सर्टिफाइड मूल कॉपी साथ में लगानी होगी)।

गवाह

(1) हस्ताक्षर के साथ _____
नाम, पता और दिनांक _____
_____

(2) हस्ताक्षर _____
नाम, पता और दिनांक _____
_____

खंड-II

बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देश

1. पैनल में शामिल निविदार्स से नीचे दी गई कैटेगरी के काम के लिए ई-निविदा मंगाया गया है, जिसमें **आरबीआई, कोच्ची के कार्यालय भवन के तीसरी मंजिल के लिए केंद्रीकृत एसी डक्ट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग** शामिल है ।

2. केरल में संबंधित कैटेगरी (₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख) में डक्टिंग काम के लिए एम्पैनल्ड बिडर्स।

3. निविदा दो हिस्सों में जमा किए जाएंगे, यानी पार्ट-I में ऑफर की टेक्निकल और कमर्शियल डिटेल्स होंगी और पार्ट-II में सिर्फ कीमतें होंगी। निविदा के पार्ट-I के वे पेज जहां डिटेल्स भरकर हस्ताक्षर किए जाएंगे, उन्हें सीपीपी पोर्टल से डाउनलोड किया जाएगा, डिटेल्स भरी जाएंगी, हस्ताक्षर किए जाएंगे और अपलोड किए जाएंगे। वेंडर्स को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए 'अटैच डॉक्युमेंट' बटन का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जा सकते हैं। निविदा का पार्ट-I एनआईटी में बताई गई दिनांक को खोला जाएगा। पार्ट-II बाद की दिनांक और समय पर खोला जाएगा, जिसकी जानकारी उन बिडर्स को दी जाएगी जो निविदा के पार्ट-I में सफलतापूर्वक क्वालिफाई करते हैं। डिटेल इवैल्यूएशन क्राइटेरिया सेक्शन-III (A) में दिए गए हैं।

4. सीपीपीपी पर ई-निविदा: ई-टेंडरिंग का प्रोसेस परिशिष्ट-7 में डिटेल में दिया गया है। काम पूरा होने का समय और अनुमानित लागत Section-I में बताई गई है।

5. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बिना कोई कारण बताए, किसी भी या सभी निविदा को, पूरे या कुछ हिस्से में, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। बैंक किसी भी फर्म का निविदा स्वीकार करने का भी अधिकार रखता है। निविदा देने वालों से अनुरोध है कि वे यूनिट रेट और रकम अलग-अलग बताएं। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे सिर्फ़ साथ में दिया गया प्रोफ़ॉर्मा इस्तेमाल करें (और अपना खुद का फ़ॉर्मेट इस्तेमाल न करें)।

6. निविदा, निविदा के पार्ट-I के खुलने की दिनांक से 90 दिनों के लिए वैलिड होंगे।

7. निविदा फॉर्म इंग्लिश या हिंदी में भरा जाएगा। निविदा का मूल वर्जन इंग्लिश में है।

8. कोट किए गए रेट जीएसटी के बिना होंगे और इसमें सभी मटीरियल, लेबर, ड्यूटी और जीएसटी के अलावा दूसरे चार्ज, ट्रांसपोर्ट, पैकिंग, फॉरवर्डिंग, बीमा, टूल्स, इक्विपमेंट, स्कैफोल्डिंग, एक्सेसरीज़ और साइट पर काम पूरा करने, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए ज़रूरी सभी अचानक होने वाले खर्च शामिल होंगे। जीएसटी को तय प्राइस बिड और इनवॉइस में अलग से दिखाया जाएगा। कोट किए गए रेट, जीएसटी के बिना, पूरे निविदा पीरियड के दौरान एक जैसे रहेंगे और मटीरियल की कीमतों, लेबर चार्ज, फॉरेन एक्सचेंज रेट या दूसरे इनपुट कॉस्ट में बदलाव की वजह से उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। जीएसटी लागू कानूनी रेट पर देना होगा।

9. काम के दायरे में बताया गया पूरा काम, बैंक से वर्क ऑर्डर/सूचना जारी होने की दिनांक के सातवें दिन से 60 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा।

10. डिफेक्ट्स देयता पीरियड (डीएलपी): पूरा काम लगभग पूरा होने की दिनांक से 12 महीने के समय के लिए सभी तरह के डिफेक्ट्स के खिलाफ गारंटी के साथ होगा। गारंटी पीरियड के अंदर काम / मटीरियल / सब-असेंबली में पाए जाने वाले किसी भी डिफेक्ट को निविदा देने वाले को बैंक को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के ठीक करना होगा / बदलना होगा।

11. निविदा के हिस्से के तौर पर कोई ईएमडीजमा नहीं करना है।

12. निविदा के हिस्से के तौर पर कोई पीबीजी जमा नहीं करना है।

13. की शर्तें : निविदा के तहत कानूनी कटौती और रिकवरी के अधीन, पेमेंट की ये शर्तें लागू होंगी:

    a. किए गए काम की सर्टिफाइड कीमत का 95% पेमेंट, काम पूरा होने, टेस्टिंग, कमीशनिंग और पूरा काम बैंक को सौंपने के बाद, बिल, संयुक्त माप और तय कंप्लीशन दस्तावेज़ जमा करने पर किया जाएगा।

    b. बाकी 5% रिटेंशन मनी डिपॉजिट के तौर पर रखा जाएगा और डिफेक्ट्स देयता पीरियड के ठीक से पूरा होने और उसके तहत बताए गए सभी डिफेक्ट्स को ठीक करने के बाद, अगर कोई रिकवरी होती है, तो उसे जारी कर दिया जाएगा।

14. काम का पेमेंट उस ऑफिस से किया जाएगा जहां काम पूरा होकर सौंपा गया है। इस निविदा से होने वाले झगड़े एग्रीमेंट के आर्टिकल्स में दिए गए अधिकार क्षेत्र के नियमों के तहत होंगे। सारा पेमेंट आईएनआर में किया जाएगा।

15. ठेकेदार को निविदा के साथ काम में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की सभी टेक्निकल डिटेल्स / स्पेसिफिकेशन में कोई भी बदलाव जमा करना होगा। अगर वे कोई और जानकारी / डिटेल्स जमा करना चाहते हैं, तो वे उसे निविदा के पार्ट-I के साथ एक अलग शीट पर परिशिष्ट-4 में दिए गए फॉर्म में दे सकते हैं।

16. निविदा देने वालों से रिक्वेस्ट है कि वे निविदा के टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ दिया गया प्रोफ़ॉर्मा भरें। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सिर्फ़ "हां" या "न" बताकर कन्फ़र्म करें कि वे बैंक के टर्म्स एंड कंडीशंस से सहमत हैं या नहीं। अगर "न" है, तो ही वे अपने बताए गए डेविएशन को सही कॉलम में लिस्ट करेंगे।

17. नॉन-डिस्क्लोजर क्लॉज: ठेकेदार सीधे या इनडायरेक्टली बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/इक्विपमेंट वगैरह की कोई भी जानकारी, मटीरियल और डिटेल्स, जो इस एग्रीमेंट के संबंध में अपनी निविदा की जिम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान ठेकेदार के पास या जानकारी में आ सकती हैं, किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा और हर समय इसे पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखेगा। ठेकेदार निविदा की डिटेल्स को प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रखेगा, सिवाय

इसके कि इसके तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए यह ज़रूरी हो। ठेकेदार नियोक्ता की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या टेक्निकल पेपर या कहीं और काम की कोई भी डिटेल्स पब्लिश नहीं करेगा, पब्लिश करने की इजाज़त नहीं देगा, या ज़ाहिर नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी के डिस्क्लोजर के कारण नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को हर्जाना देगा। ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने को ठेकेदार की ओर से निविदा का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।

18. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न:

    a. ठेकेदार "वर्कप्लेस पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल) एक्ट, 2013" के नियमों का पूरी तरह से पालन करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा। बैंक के कैंपस में अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत होने पर, ठेकेदार/एजेंसी द्वारा बनाई गई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के सामने शिकायत दर्ज की जाएगी और ठेकेदार शिकायत के संबंध में उस एक्ट के तहत सही कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

    b. सेवा प्रदाता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी की तरफ़ से बैंक के किसी भी कर्मचारी या बैंक में काम करने वाली किसी दूसरी फर्म के किसी भी कर्मचारी के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा बनाई गई रीजनल कंप्लेंट्स कमिटी ध्यान देगी।

    c. अगर घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हैं, तो किसी भी पैसे के मुआवज़े के लिए ठेकेदार ज़िम्मेदार होगा, जैसे कि अगर ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारी या दूसरी फर्म के कर्मचारी को कोई भी पैसे की राहत।

    d. ठेकेदार अपने कर्मचारियों को काम की स्थान पर यौन उत्पीड़न से बचाव और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए ज़िम्मेदार होगा।

    e. ठेकेदार को बैंक की स्थान पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों की पूरी और अपडेटेड लिस्ट देनी होगी।

19. कोटेशन जमा करने से पहले, फर्म को साइट पर जाना चाहिए और साइट की कंडीशन के बारे में जान लेना चाहिए।

20. ठेकेदार को काम शुरू करने / सामान खरीदने से पहले, बैंक की मंज़ूरी के लिए काम में इस्तेमाल होने वाले सामान के सैंपल दिखाने होंगे।

21. यह काम साइट पर चल रहे सिविल कामों के साथ मिलकर किया जाएगा। काम आसानी से हो, इसके लिए ठेकेदार को काम शुरू होने से पहले एक विस्तृत वर्क शेड्यूल जमा करना होगा।

22. निविदा पर सिर्फ़ उन ठेकेदार की लिस्ट से विचार किया जाएगा जिन्हें बैंक ने संबंधित ट्रेड में पैनल में शामिल किया है।

23. लोगों और प्रॉपर्टी को हुए नुकसान के लिए बीमा: ठेकेदार लोगों, जानवरों या चीज़ों को लगी सभी चोटों और प्रॉपर्टी को हुए सभी स्ट्रक्चरल और डेकोरेटिव नुकसान के लिए ज़िम्मेदार होगा, जो उसके या किसी नामित उप-ठेकेदार या दोनों में से किसी के भी कर्मचारी के ऑपरेशन या लापरवाही से हो सकता है, चाहे ऐसी चोट या नुकसान लापरवाही, एक्सीडेंट या इस निविदा को पूरा करने से जुड़े किसी भी दूसरे क्लॉज़ से हुआ हो। इस क्लॉज़ में दूसरी बातों के अलावा, बिल्डिंग्स को हुआ कोई भी नुकसान, चाहे वे आस-पास हों या कहीं और, और सड़क, गलियों, फुटपाथ, पुलों या रास्तों को हुआ कोई भी नुकसान, साथ ही इस निविदा के तहत आने वाली बिल्डिंग्स और कामों को पाले, बारिश, हवा या मौसम की दूसरी खराबियों से हुआ नुकसान शामिल माना जाएगा। ठेकेदार नियोक्ता को हर्जाना देगा और ऊपर बताई गई किसी भी चोट या नुकसान से होने वाले सभी खर्चों के लिए उसे नुकसान से बचाएगा, साथ ही किसी भी लेजिस्लेचर के किसी भी एक्ट के तहत चोट या नुकसान के संबंध में किए गए किसी भी क्लेम के संबंध में या ऐसे क्लेम के परिणामस्वरूप किसी भी अवॉर्ड या कंपनसेशन या नुकसान के संबंध में भी।

24. ठेकेदार इस क्लॉज़ में बताए गए हर तरह के नुकसान की भरपाई करेगा, ताकि निविदा का पूरा काम हर तरह से पूरा और सही तरीके से पूरा हो सके और थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को हुए नुकसान के सभी दावों की भरपाई हो सके या उन्हें पूरा किया जा सके। ठेकेदार को थर्ड पार्टी देयता को कवर करने वाली एक बीमा पॉलिसी लेनी होगी ताकि इंसान की जान (ठेकेदार से जुड़े नहीं लोग) को होने वाले नुकसान/विकलांगता को कवर किया जा सके। इसमें साइट पर निविदा के काम के कंस्ट्रक्शन/इरेक्शन/कमीशनिंग के दौरान दूसरों के सामान/इक्विपमेंट/प्रॉपर्टी को होने वाले नुकसान का रिस्क भी कवर होगा, जिसमें अगर कोई बैंक भी शामिल है, तो वह भी शामिल है। इंसान की जान के नुकसान या पूरी/आंशिक विकलांगता के लिए मुआवज़े के लिए थर्ड-पार्टी देयता की वैल्यू, पूरी और आंशिक विकलांगता के लिए ज़रूरी कानूनी वैल्यू होगी और फिर भी इसमें कोर्ट द्वारा दिए गए मुआवज़े को कवर किया जाएगा। दूसरों के इक्विपमेंट/प्रॉपर्टी को हुए नुकसान का कवर बैंक द्वारा मंज़ूर किया जाएगा। ठेकेदार के उप-ठेकेदार पॉलिसी में होल्डर या बेनिफिशियरी नहीं होंगे, न ही उनका नाम पॉलिसी में होगा। बैंक, ठेकेदार के साथ पॉलिसी का प्रिंसिपल होल्डर होगा। बैंक के पास पॉलिसी असाइन करने का एक्सक्लूसिव अधिकार है।

25. ठेकेदार, नियोक्ता को उन सभी दावों से बचाएगा जो नियोक्ता के खिलाफ किए जा सकते हैं, चाहे वह आम आदमी हो या कोई और थर्ड पार्टी, काम के संबंध में या उसके नतीजों में होने वाली किसी भी चीज़ के लिए। और अपने खर्चे पर, निविदा के लगभग पूरा होने तक, एक अप्रूव्ड ऑफिस में नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नाम से ऐसे रिस्क के लिए एक बीमा पॉलिसी लागू करने और बनाए रखने का इंतज़ाम करेगा और इस निविदा के चलने के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को आर्किटेक्ट के पास जमा करेगा। ठेकेदार भी इसी तरह, नियोक्ता को उन सभी दावों से बचाएगा जो नियोक्ता पर किए जा सकते हैं, चाहे वह वर्कमैन्स मुआवजा एक्ट के तहत हो या इस निविदा के चलने के दौरान लागू किसी और स्टेटस के तहत हो या ठेकेदार के किसी

कर्मचारी या किसी उप-ठेकेदार के संबंध में कॉमन लॉ के तहत हो। और अपने खर्चे पर, नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नाम से ऐसे रिस्क के लिए लागू करेगा और बनाए रखेगा और निविदा के चलने के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को आर्किटेक्ट के पास जमा करेगा।

26. ठेकेदार ऊपर बताई गई बीमा पॉलिसियों से होने वाली किसी भी देयता के लिए ज़िम्मेदार होगा और इस निविदा के ट्रांज़िट, स्टोरेज, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग पॉलिसी को लापरवाही से या गलत तरीके से पूरा करने की वजह से किसी भी व्यक्ति, जानवर या प्रॉपर्टी को होने वाले सभी दूसरे नुकसान के लिए भी ज़िम्मेदार होगा। वह किसी भी क्लेम या कार्रवाई से होने वाले किसी भी खर्च, चार्ज या लागत के लिए नियोक्ता को हर्जाना भी देगा और उससे होने वाले किसी भी मुआवज़े या नुकसान के लिए भी हर्जाना देगा।

27. नियोक्ता को किसी भी नुकसान, मुआवज़े, लागत, चार्ज और खर्च की रकम को, जो ऐसे किसी भी दावे या नुकसान से या उसके संबंध में हो, ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी या सभी रकम में से काटने का अधिकार होगा, बिना नियोक्ता के दूसरे अधिकारों पर कोई असर डाले। **ठेकेदार अपने खर्च पर, नियोक्ता (भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची) और खुद के संयुक्त नाम पर, जिसमें नियोक्ता पहले (प्रिंसिपल) होगा, नीचे दी गई बीमा पॉलिसी को एक मंज़ूर ऑफिस से लागू करने और बनाए रखने का इंतज़ाम करेगा और इस निविदा के चलने के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को नियोक्ता के पास जमा करेगा** :

    a. ठेकेदार की ऑल रिस्क (सीएआर) पॉलिसी में निविदा की पूरी रकम के लिए आग, भूकंप, स्टोरेज, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग पॉलिसी शामिल है।

    b. कामगार मुआवज़ा नीति

    c. थर्ड पार्टी देयता पॉलिसी की लिमिट इस तरह है: निविदा पीरियड के लिए ₹ 10,00,000/- और हर घटना के लिए ₹ 2,00,000/-

28. ठेकेदार, काम शुरू होने की दिनांक से, अपने खर्च पर काम का बीमा कराएगा और काम के लगभग पूरा होने तक, नियोक्ता (भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची) और ठेकेदार (पॉलिसी में ठेकेदार का नाम पहले रखा जाएगा) के संयुक्त नाम से एक ऑफिस में आग से होने वाले नुकसान या क्षति के खिलाफ निविदा की पूरी रकम के लिए बीमा रखेगा। ठेकेदार काम शुरू होने से पहले पॉलिसी और प्रीमियम की रसीदें नियोक्ता के पास जमा करेगा। अगर ठेकेदार ऊपर बताए गए तरीके से बीमा नहीं करता है, तो नियोक्ता काम का बीमा कर सकता है और पेमेंट किए गए प्रीमियम को ठेकेदार को मिलने वाले किसी भी पैसे से काट सकता है, बिना इस तरह की गलती के संबंध में नियोक्ता के दूसरे अधिकारों पर कोई असर डाले। अगर काम को रोकना ज़रूरी हो जाता है, तो ठेकेदार जैसे ही पॉलिसी के तहत क्लेम सेटल हो जाता है, या बीमा ऑफिस द्वारा काम फिर से शुरू कर दिया जाता है, अगर वे ऐसा करना चुनते हैं, तो काम को पूरी सावधानी से उसी तरह पूरा करेगा जैसे आग नहीं लगी थी और सभी मामलों

में निविदा की उन्हीं शर्तों के तहत। आग लगने के बाद दोबारा बनाने या ठीक करने के मामले में, ठेकेदार को काम पूरा करने के लिए जितना सही लगे, उतना समय बढ़ाने का हक होगा।

29. डिबारमेंट / कोर्ट केस:

    a. अगर बोली लगाने वाले को किसी अपराध का दोषी पाया गया है— (a) प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 के तहत; या (b) आईपीसी या उस समय लागू किसी दूसरे कानून के तहत, पब्लिक प्रोक्योरमेंट निविदा को पूरा करते समय जान-माल का नुकसान पहुँचाने या पब्लिक हेल्थ को खतरा पहुँचाने के लिए। इस बारे में, बोली लगाने वाले को अपने लेटर हेड पर अंडरटेकिंग / डिक्लेरेशन / प्रमाणपत्र की एक कॉपी जमा करनी होगी, जिस पर प्राधिकृत सिग्नेटरी की सील और हस्ताक्षर हो।

    b. बोली लगाने वाले को किसी भी पब्लिक संस्था द्वारा डिबारमेंट का डिक्लेरेशन परिशिष्ट-1 में दिए गए फॉर्मेट में जमा करना होगा।

30. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के ठेकेदारों पर नियमों का अनुपालन: सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 23 जुलाई, 2020 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 6/18/2019-पीपीडी के माध्यम से सम्मिलित जीएफआर 2017 के नियम 144 (xi) का अनुपालन, इसके अतिरिक्त जारी किए गए सार्वजनिक खरीद आदेश और उनके बाद के संशोधन अनिवार्य होंगे। इस संबंध में, बोलीदाता अपने लेटर हेड पर वचन/घोषणा/प्रमाणपत्र की एक प्रति अनुलग्नक-9 में दिए गए प्रारूप में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत मुहरबंद और हस्ताक्षरित प्रस्तुत करेंगे। अगर बिडर का दिया गया अंडरटेकिंग / डिक्लेरेशन / प्रमाणपत्र गलत पाया जाता है, तो उसका निविदा / वर्क ऑर्डर तुरंत खत्म कर दिया जाएगा, और कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट / परफॉर्मेंस बैंक गारंटी / सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त करना शामिल है, और बैंक बिडर को भविष्य में बैंक द्वारा बुलाए गए निविदा में हिस्सा लेने से भी रोक सकता है।

31. बीमा का समय काम के पूरे समय के लिए वैलिड होना चाहिए और अगर ठेकेदार की वजह से किसी भी वजह से काम में देरी होती है, तो पॉलिसी को ठेकेदार को अपने खर्च पर बढ़ाना होगा। अगर ठेकेदार देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, तब भी पॉलिसी को ठेकेदार को बढ़ाना होगा, लेकिन इसका खर्च बैंक उठाएगा।

ठेकेदार के हस्ताक्षर और सील:

फर्म का नाम:

स्थान:
दिनांक:

खंड-III (ए)

मूल्यांकन के मानदंड

निविदा का मूल्यांकन: L1 आधार

1. टेंडर्स का मूल्यांकन पहला ई-कवर यानी पार्ट I (टेक्नो-कमर्शियल बिड) खोलने के बाद सेक्शन-III (A) में बताए गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर किया जाएगा।

2. बिडर्स को निविदा दस्तावेज़ में बताए गए सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पहले ई-कवर यानी पार्ट I (टेक्नो-कमर्शियल बिड) में जमा करने होंगे। सिर्फ़ वही निविदा आगे प्रोसेस किए जाएँगे, जो एलिजिबिलिटी की ज़रूरतें पूरी करते हैं। दी गई जानकारी और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के सही होने/कानूनी होने और काफी होने की जाँच बैंक करेगा/जाँचेगा। अगर अपलोड किए गए निविदा में कोई डॉक्यूमेंट्स गायब हैं या नकली पाए जाते हैं, तो बैंक के पास गायब डॉक्यूमेंट्स/प्रमाणपत्र माँगने और इन सर्टिफिकेट्स को खुद से वेरिफाई करने का अधिकार होगा। बिडर्स को यह भी पक्का करना होगा कि अपलोड की गई सभी फ़ाइलें पढ़ने लायक हों और उनमें कोई खराबी न हो। अगर कोई अपलोड किया गया दस्तावेज़ पढ़ने लायक नहीं है, खराब है, या बैंक को आसानी से नहीं मिल रहा है, तो बैंक की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी, और वह बिना किसी और सोच-विचार के बिडर्स का कैंडिडेट रिजेक्ट करने का अधिकार रखता है।

3. जो बिडर्स टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करेंगे, उनकी जमा की गई प्राइस बिड्स नहीं खोली जाएंगी। उनके डिसक्वालिफिकेशन की जानकारी उन्हें दे दी जाएगी।

4. पार्ट I (टेक्नो-कमर्शियल बिड) में क्वालिफाई करने वाले सभी बिडर्स का दूसरा ई-कवर यानी पार्ट II (प्राइस बिड) फाइनेंशियल इवैल्यूएशन के लिए खोला जाएगा।

5. सबसे कम कीमत (L1) वाले बिडर को निविदा देने के लिए माना जाएगा और उसे सफल बिडर कहा जाएगा। अगर दो या ज़्यादा बिडर की सबसे कम निविदा की गई रकम एक जैसी है, तो ऐसे सबसे कम बिडर से कहा जा सकता है कि वे एक सीलबंद लिफ़ाफ़े में अपनी पहले से कोट की गई निविदा की गई रकम पर डिस्काउंट देते हुए एक रिवाइज़्ड ऑफ़र जमा करें। इसके अलावा, अगर कोई ऐसा सबसे कम बिडर अपनी बोली को कम नहीं करता है, तो उसकी मूल बोली आगे की प्रोसेसिंग के लिए वैलिड रहेगी। सबसे कम निविदा का फ़ैसला रिवाइज़्ड ऑफ़र के आधार पर किया जाएगा। अगर रिवाइज़्ड ऑफ़र में मिले दो या ज़्यादा बिडर की रिवाइज़्ड निविदा की गई रकम फिर से बराबर पाई जाती है, तो आरबीआई आगे की कार्रवाई का फ़ैसला करेगा जो फ़ाइनल होगी और सभी बिडर के लिए ज़रूरी होगी।

खंड- IV

अनुबंध की सामान्य शर्तें

व्याख्या खंड:

1. इन शर्तों, स्पेसिफिकेशन, मात्राओं के शेड्यूल और निविदा एग्रीमेंट को बनाते समय, नीचे दिए गए शब्दों का वही मतलब होगा जो उन्हें यहां दिया गया है, सिवाय इसके कि जहां विषय या संदर्भ के हिसाब से कुछ और ज़रूरी हो।

i.	"आरबीआई"	इसका अभिप्राय भारतीय रिज़र्व बैंक से होगा, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई– 400001 में है और जिसके क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न स्थानों पर हैं।
ii.	**"बैंक"**	इसका मतलब होगा भारतीय रिज़र्व बैंक और इसमें उसके असाइन किए गए और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
iii.	"निविदा दस्तावेज़"	इसका मतलब है बैंक द्वारा निविदार्स को प्रोजेक्ट के लिए बिड्स इनवाइट करने के लिए जारी किया गया दस्तावेज़।
iv.	"बोलीदाता"	जो बिड्स / निविदा जमा करता है। यह पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल फर्म और एक कंपनी हो सकती है। मरे हुए पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव।
v.	"ठेकेदार "	ठेकेदार वह सफल ठेकेदार होता है जिसे काम पूरा करने के लिए ऑफिशियली चुना गया हो। यह पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल फर्म और कंपनी हो सकती है। मरे हुए पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव।
vi.	"साइट"	इसका मतलब निविदा के काम की साइट से है, जिसमें कोई भी बिल्डिंग और उस पर बनी चीज़ें और कोई भी दूसरी ज़मीन (इसमें शामिल है) जो बैंक ने ठेकेदार के काम के लिए दी है।
vii.	"अनुबंध"	इसका मतलब है और इसमें निविदा दस्तावेज़ के सभी सेक्शन, उससे जुड़े लेटर, वर्क ऑर्डर, आर्टिकल्स ऑफ़ एग्रीमेंट, CAMC एग्रीमेंट और प्री-बिड के मिनट्स वगैरह शामिल हैं, जो इसके साथ अटैच हैं और सही तरह से हस्ताक्षर किए गए हैं।

viii.	“लिखित सूचना”	या लिखित नोटिस का मतलब है लिखित, टाइप या प्रिंटेड अक्षरों में भेजा गया नोटिस (जब तक कि खुद डिलीवर न किया गया हो या यह साबित न हो कि वह मिल गया है) रजिस्टर्ड पोस्ट से उस आखिरी जाने-पहचाने प्राइवेट या बिज़नेस पते पर जब आम तौर पर पोस्ट के ज़रिए उसे डिलीवर किया जाता। किसी भी एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजा गया कम्युनिकेशन भी लिखित नोटिस माना जाएगा।
ix.	“दिवालियापन अधिनियम”	**इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड (IBC), 2016** के तहत बताए गए किसी भी इन्सॉल्वेंसी एक्ट या ऐसे मूल में बदलाव करने वाले किसी एक्ट से होगा।
x.	“शुद्ध मूल्य”	सीपीपीपी में निविदा के पार्ट II में बताई गई चीज़ की कीमत।
xi.	“बाज़ार दर”	यह दर बैंक द्वारा उस स्थान पर सामग्री और श्रम की लागत के आधार पर तय की जाएगी जहां कार्य निष्पादित किया जाना है, साथ ही सभी ओवरहेड्स और मुनाफे को कवर करने के लिए खंड 19 (ई) में उल्लिखित प्रतिशतता भी शामिल होगी ।
xii.	" काम "	इसका मतलब एनआईटी में बताए गए निविदा का नाम होगा।
xiii.	दिन / महीना / वर्ष	इसका मतलब कैलेंडर दिन / महीना / साल होगा
xiv.	कार्य दिवस	इसका मतलब है वे दिन जब बैंक का ऑफिस काम कर रहा हो, यानी पब्लिक हॉलिडे, शनिवार और रविवार को छोड़कर दूसरे दिन।
xv.	प्रभारी इंजीनियर/ बैंक इंजीनियर/ बैंक प्रतिनिधि	इसका मतलब है बैंक द्वारा काम पर रखा गया और पेमेंट किया गया ऑफिसर, जो बैंक के ऑर्डर पर काम करेगा और काम की देखरेख करेगा और उसका इंचार्ज होगा। निविदा के तहत किए जाने वाले सभी काम बैंक के प्रतिनिधि के निर्देश और हर तरह से उनकी मंज़ूरी के तहत किए जाएंगे।
xvi.	उत्पादक	उस व्यक्ति या फर्म को संदर्भित करता है जो सामग्री का निर्माता और प्रदाता या उपकरणों का डिज़ाइनर और फैब्रिकेटर है

xvii.	ठेकेदार का कार्य या निर्माता का कार्य	इसका अभिप्राय और इसमें शामिल हैं भूमि तथा अन्य स्थान जिसका उपयोग ठेकेदार/निर्माता या उप-ठेकेदार/उप-निर्माता द्वारा "उपकरण" के विनिर्माण या "कार्य" करने के लिए किया जाता है।
xviii.	अनुबंध मूल्य या अनुबंध	रकम का मतलब है सफल ठेकेदार द्वारा बताए गए यूनिट रेट और बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ (प्राइस बिड) में बताई गई मात्रा से कैलकुलेट की गई कुल रकम, जिसे बैंक ने स्वीकार किया है और काम के लेटर ऑफ़ अवार्ड में बताया गया है।
xix.	संविदा अवधि	इसका मतलब निविदा दस्तावेज़ में निविदा पूरा करने / काम पूरा करने के लिए बताई गई अवधि होगी, जिसमें बैंक द्वारा दी गई कोई भी ज़्यादा अवधि शामिल है।
xx.	ठेका समझौता	इसका मतलब प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ठेकेदार और बैंक के बीच हस्ताक्षर किया गया एग्रीमेंट होगा।

2. **<u>अनुबंध का दायरा</u>**

ठेकेदार इस निविदा के अनुसार और बैंक के निर्देशों और संतुष्टि के अनुसार हर तरह से बताया गया काम करेगा और पूरा करेगा। बैंक अपनी मर्ज़ी से और समय-समय पर आगे की ड्राइंग और/या लिखित निर्देश, डिटेल्स, निर्देश और एक्सप्लेनेशन जारी कर सकता है, जिन्हें आगे से एक साथ "बैंक के निर्देश" कहा जाएगा:

i. काम की डिज़ाइन, क्वालिटी या क्वांटिटी में बदलाव या बदलाव या किसी काम को जोड़ना, हटाना या बदलना।

ii. ड्रॉइंग्स में या बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ और/या ड्रॉइंग्स और/या स्पेसिफिकेशन्स के बीच कोई भी अंतर।

iii. ठेकेदार द्वारा साइट पर लाए गए किसी भी सामान को साइट से हटाना और उसकी स्थान कोई दूसरा सामान रखना।

iv. ठेकेदार द्वारा किए गए किसी भी काम को हटाना और/या दोबारा करना।

v. इसके बाद ठेकेदार द्वारा काम पर रखे गए किसी भी व्यक्ति को काम से निकाल दिया जाएगा।

vi. किसी भी छिपे हुए काम के निरीक्षण के लिए खोलना।

vii. इसके क्लॉज़ 21 के तहत किसी भी कमी को ठीक करना और उसे ठीक करना।

ठेकेदार को बैंक के निर्देशों में शामिल किसी भी काम को तुरंत मानना होगा और उसे ठीक से पूरा करना होगा। बैंक द्वारा ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों को काम के बारे में दिए गए मौखिक निर्देश, निर्देश और स्पष्टीकरण, अगर उनमें कोई बदलाव होता है, तो ठेकेदार को सात दिनों के अंदर लिखकर कन्फर्म करना होगा, और अगर बैंक अगले सात दिनों के अंदर लिखकर इससे सहमत नहीं होता है, तो इसे निविदा के दायरे में बैंक के निर्देश माना जाएगा। जहां संदर्भ की ज़रूरत हो, वहां सिर्फ़ एकवचन का मतलब बताने वाले शब्दों में बहुवचन भी शामिल होगा और इसका उल्टा भी। जब भी ज़रूरी हो, मर्दाना लिंग के किसी भी संदर्भ में स्त्री लिंग भी शामिल होगा और इसका उल्टा भी।

ज़रूरी " **साइट इंस्ट्रक्शन बुक, रुकावट रजिस्टर, लेबर रजिस्टर** " **को ठेकेदार रोज़ाना सख्ती से मैंटेन करता है और बैंक से सही तरह से ऑथेंटिकेशन मिला** ।

3. **<u>बदलाव बैंक से मंज़ूर होंगे</u>**

काम के दायरे में सभी बदलावों को बैंक के इंजीनियर से मंज़ूरी लेनी होगी। ठेकेदार को एक स्टेटमेंट ऑफ़ वेरिएशन जमा करना होगा जिसमें मात्रा और रेट्स दिए गए हों, और साथ में रेट्स, वाउचर वगैरह का एनालिसिस भी हो। बैंक द्वारा जांच और फाइनल मंज़ूरी के बाद रेट्स एक सप्लीमेंट्री निविदा बनेंगे। जब तक बैंक के इंजीनियर इन स्टेटमेंट्स को मंज़ूरी नहीं दे देते, तब तक बैंक ऐसे बदलावों के पेमेंट के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

4. **<u>ड्रॉइंग, बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ और एग्रीमेंट</u>**

निविदा दो कॉपी में पूरा किया जाएगा और ठेकेदार को अपने इस्तेमाल के लिए एक पूरी कॉपी मिलेगी। ठेकेदार को एग्रीमेंट पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। ठेकेदार को फाइनल प्रमाणपत्र जारी करने से पहले, उसे तुरंत बैंक को सभी ड्रॉइंग और स्पेसिफिकेशन वापस करने होंगे।

5. <u>ठेकेदार **को अपने खर्च पर सभी ज़रूरी चीज़ें देनी होंगी**</u>

ठेकेदार अपने खर्च पर, ड्रॉइंग्स, बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ और स्पेसिफिकेशन्स के इरादे और मतलब के हिसाब से काम को ठीक से करने के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें देगा, चाहे उन्हें उसमें खास तौर पर दिखाया या बताया गया हो या नहीं, बशर्ते कि उससे उसका सही अंदाज़ा लगाया जा सके, और अगर ठेकेदार को ड्रॉइंग्स में या ड्रॉइंग्स, बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ और स्पेसिफिकेशन्स के बीच कोई फ़र्क मिलता है, तो वह तुरंत और लिखकर बैंक को बताएगा जो तय करेगा कि किसका पालन किया जाए। ठेकेदार इस स्पेसिफिकेशन के तहत सभी काम हेल्थ और सेफ्टी रेगुलेशंस के पूरे हिसाब से करेगा।

6. **<u>प्राधिकरण, नोटिस और पेटेंट</u>**

ठेकेदार कार्यों से संबंधित विधानमंडल के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों और उसके किसी भी अन्य पहलू जैसे कि विभिन्न श्रम संहिताओं के अनुपालन और किसी भी प्राधिकरण के नियम और उपनियमों और बिजली आपूर्ति और अन्य कंपनियों और /या प्राधिकरणों के नियमों का पालन करेगा, जिनके सिस्टम के साथ स्थापना को जोड़ा जाना प्रस्तावित है और चित्र या विनिर्देशों से कोई भी परिवर्तन करने से पहले, जो ऐसा अनुरूप होने से आवश्यक हो सकता है, बैंक को लिखित नोटिस देगा, जिसमें प्रस्तावित परिवर्तन और इसे करने का कारण निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर निर्देशों के लिए आवेदन किया जाएगा। यदि ठेकेदार को **दस दिनों के भीतर ऐसे निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं** , तो वह संबंधित प्रावधानों, नियमों या उपनियमों के अनुरूप कार्य को आगे बढ़ाएगा, और इस प्रकार आवश्यक किसी भी बदलाव से उसके खंड संख्या 14 के तहत निपटा जाएगा।

ठेकेदार को बैंक को उन सभी नोटिस की जानकारी देनी होगी जो इन एक्ट, रेगुलेशन या बाय-लॉ के तहत किसी भी अथॉरिटी को दिए जाने हैं और उस अथॉरिटी या किसी पब्लिक ऑफिस को काम के संबंध में लगने वाली सभी फीस देनी होगी, और पेमेंट के लिए रसीदें बैंक में जमा करनी होंगी।

ठेकेदार बैंक को अधिकारों से जुड़े सभी दावों से हर्जाना देगा, और दावों से होने वाले सभी एक्शन का बचाव करेगा, और इसके लिए कानूनी तौर पर लगने वाली सभी रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, नुकसान, लागत और हर तरह के चार्ज खुद देगा।

7. **काम से निकलना**

ठेकेदार काम की रूपरेखा तैयार करेगा और उसे सही और परफेक्ट तरीके से तैयार करने और उसके सभी हिस्सों की पोजीशन, लेवल, डाइमेंशन और अलाइनमेंट की सही स्थिति का ध्यान रखेगा। अगर काम पूरा होने के 12 महीने के अंदर काम के दौरान कभी भी इस बारे में कोई गलती दिखती है, तो ठेकेदार, अगर ज़रूरी हो, तो अपने खर्च पर, बैंक की संतुष्टि के लिए उस गलती को ठीक करेगा।

8. **विवरण के अनुसार सामग्री और कारीगरी**

सभी मटीरियल और कारीगरी, जहाँ तक मिल सके, बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ और /या स्पेसिफिकेशन्स में बताए गए अपने-अपने टाइप की होनी चाहिए और बैंक के निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए, और ठेकेदार बैंक के कहने पर उसे सभी इनवॉइस, अकाउंट्स की रसीदें और दूसरे वाउचर देगा ताकि यह साबित हो सके कि मटीरियल उसके हिसाब से है। ठेकेदार अपने खर्च पर बैंक को बताए गए किसी भी मटीरियल का टेस्ट करवाएगा और/या करवाएगा।

9. **काम पर** ठेकेदार **का सुपरिंटेंडेंस और रिप्रेजेंटेटिव**

ठेकेदार काम के दौरान और उसके बाद जब तक बैंक ज़रूरी समझे, तब तक सभी ज़रूरी पर्सनल सुपरिंटेंडेंस देगा, जब तक कि परिशिष्ट में बताया गया " **डिफेक्ट्स देयता पीरियड** " खत्म नहीं हो जाता। ठेकेदार पूरे समय, जब

काम चल रहा हो, एक काबिल रिप्रजेंटेटिव को भी काम पर रखेगा जो काम पर लोगों के रहने के दौरान लगातार मौजूद रहेगा। बैंक द्वारा ऐसे रिप्रजेंटेटिव को दिए गए कोई भी डायरेक्शन, एक्सप्लेनेशन, इंस्ट्रक्शन या नोटिस ठेकेदार को दिए गए माने जाएंगे।

10. **कामगारों की बर्खास्तगी**

ठेकेदार, बैंक के कहने पर, अपने यहां काम पर रखे गए ऐसे किसी भी व्यक्ति को तुरंत काम से निकाल देगा जो बैंक की राय में नाकाबिल हो या उसने खुद कोई गलत काम किया हो और ऐसे लोगों को बैंक की इजाज़त के बिना दोबारा काम पर नहीं रखा जाएगा।

11. **कार्यों तक पहुंच**

बैंक और उनके प्रतिनिधियों को काम और /या वर्कशॉप, फैक्ट्री या दूसरी जगहों पर हर सही समय पर फ्री एक्सेस होगा, जहाँ सामान पड़ा है या जहाँ से उसे लिया जा रहा है और ठेकेदार बैंक और उनके प्रतिनिधियों को सामान और काम के निरीक्षण, जांच और टेस्ट के लिए हर ज़रूरी सुविधा देगा। पब्लिक अथॉरिटी के प्रतिनिधियों को छोड़कर, बैंक द्वारा प्राधिकृत न किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय काम पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

12. **बैंक का प्रतिनिधि:** सहायक प्रबंधक **(टेक्नोलॉजी) /** प्रबंधक **(टेक्नोलॉजी) / एजीएम (टेक्नोलॉजी)**

“सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) / एजीएम (तकनीकी)” शब्द का अर्थ बैंक द्वारा कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त और भुगतान किया जाने वाला व्यक्ति है, ठेकेदार सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) / एजीएम (तकनीकी) को कार्यों और सामग्रियों का निरीक्षण करने और समय और सामग्रियों की जांच करने और मापने के लिए हर सुविधा और सहायता प्रदान करेगा। सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) / एजीएम (तकनीकी) के पास कार्यों को निर्धारित करने या अनुबंध की किसी भी आवश्यकता को रद्द करने, बदलने, विस्तार करने या शिथिल करने या किसी भी कार्य, परिवर्धन, परिवर्तन, विचलन या चूक या किसी भी अतिरिक्त कार्य को मंजूरी देने का अधिकार होगा, सिवाय इसके कि ऐसा अधिकार बैंक की लिखित पूर्व सहमति के साथ लिखित आदेश द्वारा विशेष रूप से प्रदान किया जा सकता है।

सहायक प्रबंधक (टेक) / प्रबंधक (टेक) / उप महाप्रबंधक(टेक) / उप महाप्रबंधक(टेक) या बैंक के किसी भी प्रतिनिधि के पास ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को किसी भी काम या मटीरियल को मंज़ूरी न मिलने की सूचना देने का अधिकार होगा और ऐसा काम सहायक प्रबंधक (टेक) / प्रबंधक (टेक) द्वारा रोक दिया जाएगा या ऐसे मटीरियल का इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसी जांच किसी भी तरह से ठेकेदार को काम के किसी भी स्टेज पर या काम पूरा होने के बाद पाई गई किसी भी कमी को ठीक करने की ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगी। इंजीनियर-इन-चार्ज शब्द का मतलब है प्रबंधक (टेक) या उप महाप्रबंधक (टेक) जो बैंक के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं।

13. **असाइनमेंट और सब-लेटिंग**

निविदा में शामिल सभी काम ठेकेदार ही करेगा और ठेकेदार बैंक की पहले से लिखी हुई मंज़ूरी के बिना निविदा या उसका कोई हिस्सा या उसमें कोई हिस्सा सीधे या इनडायरेक्टली ट्रांसफर, असाइन या अंडर-लेट नहीं करेगा , और कोई भी अंडरटेकिंग ठेकेदार को निविदा की पूरी और पूरी ज़िम्मेदारी से या काम के चलने के दौरान उसकी एक्टिव सुपरिंटेंडेंस से राहत नहीं देगी।

14. **परिवर्तन, परिवर्धन, लोप इत्यादि।**

कोई भी परिवर्तन, चूक या बदलाव इस अनुबंध को निष्प्रभावी नहीं करेगा, लेकिन यदि बैंक कार्य की प्रगति के दौरान किसी भी समय कार्य में कोई परिवर्तन, परिवर्धन या चूक करना या इसमें इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री के प्रकार या गुणवत्ता में कोई परिवर्तन करना उचित समझता है और अपने हस्ताक्षर से ठेकेदार को लिखित में इसकी सूचना देता है, तो ठेकेदार ऐसी सूचना के अनुसार, जैसा भी मामला हो, परिवर्तन करेगा, जोड़ेगा या छोड़ेगा, लेकिन ठेकेदार बैंक की लिखित में पूर्व सहमति के बिना कार्य में कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा, कार्य में कोई परिवर्तन, परिवर्धन या चूक या अनुबंध, शर्त, विनिर्देशों या अनुबंध रेखाचित्रों के किसी भी प्रावधान से कोई विचलन नहीं करेगा और ऐसे अतिरिक्त, परिवर्तन, परिवर्धन या चूक का मूल्य सभी मामलों में खंड 19 के प्रावधानों के अनुसार बैंक की लिखित में पूर्व स्वीकृति के साथ निर्धारित किया जाएगा,

15. **मात्राओं का बिल**

बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़, जब तक कुछ और न कहा गया हो, स्टैंडर्ड मेथड ऑफ़ माप के अनुसार तैयार किया गया माना जाएगा।

बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ में आइटम के डिस्क्रिप्शन या क्वांटिटी में कोई गलती या आइटम के छूट जाने से यह निविदा खराब नहीं होगा, बल्कि उसे ठीक किया जाएगा और क्लॉज़ 18 के तहत पता लगाई गई उसकी वैल्यू को निविदा अमाउंट में जोड़ा या घटाया जाएगा (जैसा भी मामला हो), लेकिन अगर कोई गलती हुई है, तो उसे ठेकेदार के रेट्स के शेड्यूल में ठीक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

16. **मात्रा के बिल की पर्याप्तता**

माना जाएगा कि ठेकेदार ने निविदा देने से पहले काम के लिए अपने निविदा की सही और काफ़ी होने और बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ और /या रेट्स और प्राइस के शेड्यूल में बताई गई कीमतों के बारे में खुद को संतुष्ट कर लिया है। ये रेट्स और कीमतें निविदा के तहत उसकी सभी ज़िम्मेदारियों, और काम को ठीक से पूरा करने के लिए ज़रूरी सभी मामलों और चीज़ों को कवर करेंगी।

17. **कार्यों का मापन**

सहायक प्रबंधक (टेक) / प्रबंधक (टेक) समय-समय पर ठेकेदार और बैंक को बता सकते हैं कि उन्हें काम का माप चाहिए, और ठेकेदार तुरंत मौजूद रहेंगे या सहायक प्रबंधक (टेक) / प्रबंधक (टेक) की मदद करने के लिए एक काबिल एजेंट भेजेंगे ताकि ऐसे माप और कैलकुलेशन किए जा सकें और सभी डिटेल्स दी जा सकें या उनमें से किसी को भी ज़रूरी मदद दी जा सके।

अगर ठेकेदार काम पर नहीं आता है या एजेंट को भेजने में लापरवाही करता है या उसे भेजना भूल जाता है, तो सहायक प्रबंधक (टेक) / प्रबंधक (टेक) का लिया गया माप ही काम का सही माप माना जाएगा । ऐसे माप स्पेसिफिकेशन्स में बताए गए माप के तरीके के अनुसार लिए जाएंगे।

ठेकेदार या उसका एजेंट, माप के समय ज़रूरत के हिसाब से नोट्स और माप ले सकता है।

सभी प्राधिकृत अतिरिक्त काम, कमियां और बैंक की पहले से लिखकर मंज़ूरी लेकर किए गए सभी बदलाव ऐसे माप में शामिल किए जाएंगे।

18. **माप पुस्तिका**

a. बैंक, जब तक कुछ और न कहा गया हो, निविदा के हिसाब से किए गए काम की कीमत का पता लगाएगा और मापकर तय करेगा। ठेकेदार, बैंक के प्रोसीजर के मुताबिक, बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के, माप और लेवल रिकॉर्ड करने के लिए ज़रूरी हर अप्लायंस, लेबर और दूसरी चीज़ों में पूरी मदद देगा।

b. फाइनेंशियल वैल्यू वाले सभी आइटम का माप बैंक के इंजीनियर द्वारा बैंक की माप बुक (MB) में तीन कॉपी में दर्ज किया जाएगा ताकि बैंक और ठेकेदार के प्राधिकृत रिप्रेजेंटेटिव के संयुक्त माप के बाद निविदा के तहत किए गए सभी कामों का पूरा रिकॉर्ड मिल सके। सभी बिल (रनिंग अकाउंट (RA, अगर लागू हो) और फाइनल बिल) MB में रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। उस पर ठेकेदार के प्राधिकृत अधिकारी के दिनांक के साथ पूरे हस्ताक्षर होने चाहिए। माप की बैंक के सहायक प्रबंधक (टेक) / प्रबंधक (टेक) द्वारा सही जांच / माप का टेस्ट चेक किया जाएगा।

19. <u>अतिरिक्त **के लिए कीमतों का पता लगाना**</u>

ठेकेदार, बैंक से मंज़ूरी मिलने पर, ड्रॉइंग में दिखाए गए, या स्पेसिफिकेशन में बताए गए, या बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ में शामिल कामों में कुछ जोड़ सकता है, कुछ हटा सकता है, या कुछ बदल सकता है, लेकिन ठेकेदार ऐसे ऑथराइज़ेशन या निर्देश के बिना कुछ भी नहीं जोड़ेगा, कुछ नहीं हटाएगा या कुछ नहीं बदलेगा। बैंक द्वारा दिया गया कोई भी ज़ुबानी अधिकार या निर्देश लिखित में दिया गया माना जाएगा, बशर्ते बैंक ऐसे निर्देश /निर्देश जारी होने के सात (7) दिनों के अंदर लिखित में इसकी पुष्टि कर दे।

किसी भी अतिरिक्त काम के लिए कोई क्लेम तब तक मंज़ूर नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह बैंक की मंज़ूरी से क्लॉज़ 2 के प्रोविज़न के तहत न किया गया हो, जैसा कि यहाँ बताया गया है। ऐसे किसी भी अतिरिक्त काम को यहाँ प्राधिकृत अतिरिक्त कहा गया है और इसे नीचे दिए गए प्रोविज़न के अनुसार किया जाएगा।

i. a. मूल निविदा में नेट रेट या कीमतों से अतिरिक्त काम की वैल्यूएशन तय होगी, अगर ऐसा अतिरिक्त काम उसी तरह का है और उसी तरह की कंडीशन में किया गया है, जैसा कि उसमें बताए गए काम की कीमत है, और क्वांटिटी में 25% की बढ़ोतरी तक।

b. सभी चीज़ों के रेट, जहाँ तक हो सके, प्राइस्ड बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ में दिए गए रेट से निकाले जाने चाहिए।

ii. मूल निविदा की नेट कीमतों से छोड़ी गई चीज़ों की वैल्यू तय होगी, लेकिन अगर किसी चीज़ को छोड़ने से उन शर्तों में बदलाव होता है जिनके तहत काम के बाकी आइटम किए जाते हैं, तो उनकी कीमतों का वैल्यूएशन इसके सब-क्लॉज (c) के तहत किया जाएगा।

iii. जहां अतिरिक्त काम पहले बताए गए तरीके से मिलते-जुलते नहीं हैं और/या वैसी ही शर्तों के तहत किए गए हैं या जहां चूक उन शर्तों में बदलाव करती है जिनके तहत काम के बाकी आइटम किए जाते हैं या अगर किसी चूक या बढ़ोतरी की रकम, पूरे निविदा काम या उसके किसी हिस्से की रकम के मुकाबले ऐसी हो कि बैंक की राय में, प्राइस्ड बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ या निविदा में या काम के किसी आइटम के लिए नेट रेट या कीमत में ठेकेदार द्वारा सोचे गए नुकसान या खर्च से ज़्यादा नुकसान या खर्च शामिल हो या ऐसी चूक या बढ़ोतरी की वजह से यह गलत या लागू न हो, तो बैंक ऐसी दूसरी रेट या कीमत तय करेगा जो उसे हालात के हिसाब से सही और उचित लगे।

iv. जहां अतिरिक्त काम को ठीक से मापा या वैल्यू नहीं किया जा सकता, वहां ठेकेदार को लोकल डे वर्क रेट और जिले की मज़दूरी के हिसाब से नेट रेट पर डे वर्क प्राइस दिए जाएंगे, लेकिन दोनों ही मामलों में, रोज़ाना लगने वाले समय और इस्तेमाल हुए सामान के बारे में बताने वाले वाउचर, काम पूरा होने के अगले हफ़्ते के आखिर तक या उससे पहले बैंक को सत्यापन के लिए दिए जाएं।

v. यह भी साफ़ किया जाता है कि ऐसे सभी प्राधिकृत अतिरिक्त आइटम के लिए, जहाँ रेट निविदा से नहीं निकाले जा सकते या किसी भी निविदा आइटम की क्वांटिटी बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ से 25% ज़्यादा हो जाती है, ठेकेदार को “एक्चुअल कॉस्ट बेसिस” पर किए गए रेट एनालिसिस के आधार पर रेट देने होंगे, साथ ही एस्टैब्लिशमेंट चार्ज, ठेकेदार के ओवरहेड और प्रॉफ़िट के लिए 15% जोड़ना होगा। ऐसे आइटम एस्केलेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे।

निविदा के संबंध में माप और मूल्यांकन परिशिष्ट में बताए गए "फाइनल माप के समय" के अंदर पूरा किया जाएगा, या अगर नहीं बताया गया है तो क्लॉज 23 में बताए गए निविदा के काम के पूरा होने के छह महीने के अंदर पूरा किया जाएगा।

20. **अनफिक्स्ड मटेरियल जब बैंक की प्रॉपर्टी मानी जाती है**

काम की स्थान पर या उसके आस-पास रखे बिना ठीक किए गए सामान की कीमत वाले प्रमाणपत्र का पूरा पेमेंट करने पर, उन सामान का मालिकाना हक पूरी तरह से बैंक के पास चला जाता है। ठेकेदार इन सामान को साइट से तब तक नहीं हटाएगा जब तक कि बैंक लिखकर इजाज़त न दे, सिवाय काम में सीधे इस्तेमाल के लिए। ठेकेदार किसी भी वजह से ऐसे सामान के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए कानूनी और फाइनेंशियल रूप से ज़िम्मेदार होगा।

21. **अनुचित कार्य को हटाना**

काम के दौरान, बैंक को समय-समय पर लिखकर ऑर्डर देने का अधिकार होगा कि ऑर्डर में बताए गए सही समय या समय के अंदर काम से ऐसे किसी भी सामान को हटा दिया जाए जो बैंक की राय में बैंक के स्पेसिफिकेशन्स या निर्देशों के मुताबिक नहीं है, सही सामान लगाया जाए, और ऐसे किसी भी काम को हटाया जाए और ठीक से दोबारा किया जाए जो ड्रॉइंग्स और स्पेसिफिकेशन्स या निर्देशों के मुताबिक नहीं है, और ठेकेदार तुरंत अपने खर्चे पर ऐसे ऑर्डर को पूरा करेगा। अगर ठेकेदार ऐसे ऑर्डर को पूरा करने में चूक करता है, तो बैंक के पास इसे पूरा करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रखने और उन्हें पैसे देने का अधिकार होगा, और इसके बाद या उससे जुड़े सभी खर्च ठेकेदार उठाएगा, या बैंक ठेकेदार को मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है, या जो मिलने वाला हो सकता है।

22. **वर्चुअल कंप्लीशन के बाद डिफेक्ट्स**

कोई भी डिफेक्ट, सिकुड़न, जमाव या दूसरी कमियां जो परिशिष्ट में बताए गए "डिफेक्ट्स देयता पीरियड" के अंदर दिख सकती हैं, अगर कुछ नहीं बताया गया है, **तो काम लगभग पूरा होने के 12 महीने के अंदर** , जो बैंक की राय में निविदा के हिसाब से नहीं बने मटीरियल या कारीगरी की वजह से होती हैं, उन्हें बैंक के लिखे हुए निर्देशों पर, और उसमें बताए गए सही समय के अंदर, ठेकेदार अपने खर्च पर ठीक करेगा और ठीक करेगा।

अगर कोई गलती होती है, तो बैंक ऐसे डिफेक्ट, दूसरी गलतियों को ठीक करने और उन्हें ठीक करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रख सकता है और उन्हें पैसे दे सकता है, और इसके कारण या उससे जुड़े सभी नुकसान, हानि और खर्च की भरपाई ठेकेदार करेगा और उसे वहन करना होगा। ऐसे नुकसान, हानि और खर्च की भरपाई बैंक उससे करेगा या बैंक ठेकेदार को मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है, या बैंक ठेकेदार द्वारा ऐसे बदलाव और उन्हें ठीक करने के बदले में, ठेकेदार को मिलने वाले किसी भी पैसे में से, बैंक द्वारा तय की गई रकम, ऐसे काम को ठीक करने की लागत के बराबर काट सकता है और अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर

रखी गई रकम काफी नहीं है, तो बाकी रकम ठेकेदार से वसूल करेगा, साथ ही बैंक ने इससे जुड़े जो भी खर्च किए हों, उन्हें भी। अगर किसी उप-ठेकेदार ने, जिसे बैंक ने क्लॉज़ 13 और 24 के अनुसार नॉमिनेट या अप्रूव किया है, कोई खराब काम किया है या सामान सप्लाई किया है, तो ठेकेदार को उसे ठीक करना होगा, जैसे कि वह काम या सामान ठेकेदार ने किया हो या सप्लाई किया हो और वह इस क्लॉज़ और क्लॉज़ 2 के नियमों के तहत आता हो। बैंक द्वारा किसी भी प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने या कोई अकाउंट पास करने के बावजूद, ठेकेदार इस क्लॉज़ के नियमों के तहत ज़िम्मेदार रहेगा।

23. **वर्चुअल कंप्लीशन का** प्रमाणपत्र **और डिफेक्ट्स** देयता **पीरियड**

जब तक बैंक लिखकर यह प्रमाणित नहीं कर देता कि काम लगभग पूरा हो गया है, तब तक काम को पूरा नहीं माना जाएगा। डिफेक्ट्स देयता पीरियड ऐसे सर्टिफ़िकेट की दिनांक / काम पूरा होने की दिनांक से शुरू होगा।

24. **नामित उप-ठेकेदार**

सभी स्पेशलिस्ट, मर्चेंट, ट्रेड्समैन, और दूसरे लोग जो किसी भी सामान की सप्लाई और फिक्सिंग का काम करते हैं, जिसके लिए प्राइम कॉस्ट प्राइस या प्रोविजनल रकम बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ और/या स्पेसिफिकेशन्स में शामिल होती है, जिन्हें बैंक नॉमिनेट या चुन सकता है, उन्हें ठेकेदार द्वारा काम पर रखे गए उप-ठेकेदार घोषित किया जाता है और उन्हें यहाँ नामित उप-ठेकेदार कहा गया है।

ऐसे किसी भी नामित उप-ठेकेदार को काम पर या काम के सिलसिले में काम पर नहीं रखा जाएगा, जिसके खिलाफ ठेकेदार को सही एतराज़ हो या (सिवाय इसके कि बैंक और ठेकेदार किसी और तरह से सहमत हों) जो निविदा में शामिल नहीं होगा, बशर्ते कि

i. नामित उप-ठेकेदार, उप-ठेकेदार के संबंध में ठेकेदार की ज़िम्मेदारी के लिए ठेकेदार को हर्जाना देंगे, जैसा कि ठेकेदार इस निविदा के संबंध में है।

ii. यह कि नामित उप-ठेकेदार, उप-ठेकेदार, उसके नौकरों या एजेंट की किसी भी लापरवाही या उसके या उनके द्वारा किसी भी मचान या दूसरे प्लांट, ठेकेदार की प्रॉपर्टी या किसी भी लागू वर्कमैन्स मुआवजा एक्ट के गलत इस्तेमाल के दावों के खिलाफ ठेकेदार को हर्जाना देगा।

iii. नामित उप-ठेकेदार को पेमेंट चौदह दिनों के अंदर करना होगा, बशर्ते कि पिछले प्रमाणपत्र में शामिल नामित उप-ठेकेदार के सभी अकाउंट सही तरीके से डिस्चार्ज हो गए हों, ऐसा न करने पर, बैंक पेमेंट कर सकता है और ठेकेदार को मिलने वाली किसी भी रकम में से उसकी रकम काट सकता है। इस पावर का इस्तेमाल करने से बैंक और उप-ठेकेदार के बीच निविदा की प्राइवेसी नहीं बनेगी।

25. **बैंक द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति**

बैंक इस निविदा में शामिल नहीं किए गए किसी भी काम को करने के लिए एस्टेट और साइट के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल करने का अधिकार रखता है, जिसे वह किसी और से करवाना चाहता है, और ठेकेदार ऐसे काम को करने के लिए सभी ज़रूरी सुविधाएँ देगा, लेकिन उसे ऐसे काम को करने के लिए कोई प्लांट या सामान देने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा काम इस तरह से किया जाएगा कि निविदा में शामिल कामों की तरक्की में कोई रुकावट न आए और ठेकेदार ऐसे काम से होने वाले किसी भी नुकसान या देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

26. **<u>व्यक्ति और संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमा</u>**

ठेकेदार अपने खर्च पर, इस **निविदा** के तहत काम शुरू होने की **दिनांक** से लेकर कंप्लीशन **प्रमाणपत्र** जारी होने तक, एक अप्रूव्ड **बीमा** कंपनी के साथ, **निविदा** की रकम के बराबर रकम के लिए, जिसमें भूकंप का खतरा भी शामिल है, बैंक और **ठेकेदार** के **संयुक्त** नाम पर एक ऑल रिस्क पॉलिसी लागू करेगा और बनाए रखेगा। यह पॉलिसी **निविदा** के लिए स्टैंडर्ड ऑल रिस्क पॉलिसी के अनुसार सभी रिस्क के लिए होगी (पॉलिसी में **ठेकेदार** का नाम पहले रखा जाएगा)। और काम शुरू करने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को बैंक में जमा कर देगा।

जानवरों या चीज़ों को लगी सभी चोटों, और प्रॉपर्टी को हुए सभी स्ट्रक्चरल और डेकोरेटिव नुकसान के लिए ज़िम्मेदार माना जाएगा, जो ठेकेदार या उसके वर्कर या किसी नामित उप-ठेकेदार या किसी कर्मचारी या दोनों के ऑपरेशन या लापरवाही से हो सकता है, चाहे ऐसी चोट या नुकसान लापरवाही, एक्सीडेंट या किसी भी दूसरे कारण से हुआ हो, जो इस निविदा को पूरा करने से किसी भी तरह से जुड़ा हो। इस क्लॉज़ के तहत ज़िम्मेदारी में, दूसरी बातों के अलावा, बिल्डिंग को हुआ कोई भी नुकसान, चाहे वह उसके ठीक बगल में हो या कहीं और, और सड़कों, गलियों, फुटपाथ, पुलों या रास्तों को हुआ कोई भी नुकसान, साथ ही बिल्डिंग और इस निविदा के तहत आने वाले दूसरे स्ट्रक्चर और कामों को हुआ कोई भी नुकसान शामिल होगा। ठेकेदार बिल्डिंग और इस निविदा के तहत आने वाले दूसरे स्ट्रक्चर और कामों को पाले, बारिश, हवा या मौसम की दूसरी खराबियों से हुए किसी भी नुकसान के लिए भी ज़िम्मेदार होगा। ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति देगा और क्षतिपूर्ति देता रहेगा तथा पूर्वोक्त किसी भी चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान और खर्च के संबंध में और किसी भी क़ानून के तहत या अन्यथा चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के विरुद्ध और ऐसे दावे के परिणामस्वरूप मुआवजे या क्षति के किसी भी पुरस्कार के संबंध में उसे हानिरहित रखेगा।

ठेकेदार इस क्लॉज़ में बताए गए हर तरह के नुकसान की भरपाई करेगा, ताकि निविदा का पूरा काम हर तरह से पूरा और सही तरीके से किया जा सके और थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को हुए नुकसान के सभी दावों की भरपाई की जा सके या उन्हें पूरा किया जा सके। ठेकेदार बैंक को उन सभी दावों के लिए भी हर्जाना देगा और हर्जाना देता रहेगा जो किसी भी व्यक्ति /आम आदमी या किसी दूसरे **थर्ड पार्टी द्वारा बैंक के खिलाफ** काम के संबंध में या उसके नतीजे में होने वाली किसी भी चीज़ के संबंध में किए जा सकते **हैं। और अपने खर्च पर,** निविदा **शुरू होने की** दिनांक **से लेकर** निविदा **पूरा होने तक, एक अप्रूव्ड** बीमा **कंपनी के साथ ऐसे जोखिमों के खिलाफ बैंक और** ठेकेदार **(पॉलिसी में** ठेकेदार **का नाम पहले रखा जाएगा) के** संयुक्त **नाम से एक** बीमा **पॉलिसी लागू करने और बनाए**

रखने का इंतज़ाम करेगा और काम शुरू होने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को बैंक में जमा कर देगा । पॉलिसी के तहत कवरेज की मिनिमम लिमिट निविदा की जनरल कंडीशन में कहीं और बताई गई होगी। ठेकेदार इसी तरह बैंक को उन सभी दावों से भी हर्जाना देगा जो बैंक पर **वर्कमैन** मुआवजा **एक्ट** या इस निविदा के चलने के दौरान लागू किसी दूसरे कानून के तहत या ठेकेदार के किसी कर्मचारी या किसी उप-ठेकेदार के संबंध में कॉमन लॉ के तहत **किए जा सकते हैं। और वह अपने खर्चे पर,** निविदा **शुरू होने की** दिनांक **से लेकर पूरा होने तक, एक मंज़ूर** बीमा **कंपनी के साथ ऐसे जोखिमों के खिलाफ बैंक और** ठेकेदार **के** संयुक्त **नाम से एक** बीमा **पॉलिसी बनाएगा (पॉलिसी में** ठेकेदार **का नाम पहले रखा जाएगा) और** निविदा **के चलने के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को बैंक में जमा करेगा। अगर** ठेकेदार ऊपर बताए गए तरीके से पक्का नहीं करता है, तो बैंक ऐसा पक्का कर सकता है और पेमेंट किए गए प्रीमियम को ठेकेदार को मिलने वाले या मिलने वाले किसी भी पैसे से काट सकता है।

ठेकेदार किसी भी ऐसी देयता के लिए ज़िम्मेदार होगा जिसे ऊपर बताई गई बीमा पॉलिसियों से बाहर रखा जा सकता है और इस निविदा को लापरवाही या गलत तरीके से पूरा करने की वजह से किसी भी व्यक्ति, जानवर या प्रॉपर्टी को होने वाले सभी दूसरे नुकसानों के लिए भी, चाहे नुकसान किसी भी वजह से हुआ हो। वह काम से जुड़े किसी भी क्लेम या कार्रवाई से होने वाले सभी और किसी भी कॉस्ट, चार्ज या खर्च के लिए और उससे होने वाले किसी भी मुआवजा या डैमेज के अवार्ड के लिए भी बैंक को हर्जाना देगा और हर्जाना देता रहेगा। ऐसे डिफॉल्ट के संबंध में ठेकेदार के खिलाफ बैंक के दूसरे अधिकारों पर कोई असर डाले बिना, बैंक ठेकेदार को देने वाली किसी भी रकम में से बैंक द्वारा दिए गए किसी भी डैमेज, मुआवजा, कॉस्ट, चार्ज और दूसरे खर्चों की रकम काटने का हकदार होगा, जो इस क्लॉज के तहत ठेकेदार को देने हैं। इस क्लॉज के तहत ली गई पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी के खिलाफ किए गए किसी भी क्लेम का बीमा कंपनी द्वारा सेटलमेंट होने पर ठेकेदार पूरी सावधानी के साथ नष्ट या डैमेज हुए कामों को फिर से बनाने या रिपेयर करने के लिए आगे बढ़ेगा। इस मामले में, ऐसे नुकसान के लिए बीमा कंपनी से मिला सारा पैसा ठेकेदार को दिया जाएगा और ठेकेदार, खराब हुए सामान या सामान को बनाने या उसकी मरम्मत पर हुए खर्च के लिए कोई और पेमेंट पाने का हकदार नहीं होगा।

नुकसान के बाद दोबारा बनाने या ठीक करने के मामले में, ठेकेदार को काम पूरा करने के लिए बैंक की समझ के हिसाब से समय बढ़ाने का हक होगा, लेकिन, यहां बताए गए किसी भी क्लेम के सेटलमेंट में बीमा कंपनी द्वारा आखिर में दी गई रकम में किसी भी कमी या कमी के लिए बैंक से रीइंबर्समेंट का हकदार नहीं होगा।

इस क्लॉज़ के तहत अपनी ज़िम्मेदारी पर कोई असर डाले बिना, ठेकेदार सभी नामित उप-ठेकेदार से उनके काम के हिस्सों के लिए इस क्लॉज़ के नियमों के अनुसार एक जैसी बीमा पॉलिसी भी लागू करवाएगा और बैंक को ऐसी पॉलिसी दिखाएगा या बनवाएगा। ठेकेदार किसी नामित उप-ठेकेदार को साइट पर काम शुरू करने की इजाज़त तब तक नहीं देगा जब तक कि वह बीमा पॉलिसी जमा न कर दे। अगर उप-ठेकेदार साइट पर काम शुरू करने से पहले ऐसी पॉलिसी या बीमा पॉलिसी नहीं लेता है, तो ठेकेदार उस उप-ठेकेदार से जुड़े किसी भी क्लेम या नुकसान के लिए ज़िम्मेदार होगा।

ऊपर बताई गई बीमा से जुड़ी सभी शर्तों को पूरा करने के लिए, ठेकेदार को वर्क ऑर्डर जारी होने की दिनांक से 7 दिनों के अंदर, अपने खर्च पर काम का बीमा कराना होगा और काम के लगभग पूरा होने तक, आग से होने वाले नुकसान या क्षति के खिलाफ, बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नाम से एक ऑफिस (बैंक का नाम यानी "RESERVE BANK OF INDIA" पॉलिसी में उपसे पहले रखा जाएगा) के साथ बीमा रखना होगा। इसमें नीचे दिए गए रिस्क कवर होंगे।

i. **ठेकेदार की ऑल रिस्क (सीएआर) पॉलिसी** बीमा में स्टोरेज, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग पॉलिसी शामिल है, जिसमें पूरे निविदा वैल्यू के लिए आग लगने का खतरा भी शामिल है और मैन्युफैक्चरर के काम से साइट तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांजिट बीमा (हवा / समुद्र / सड़क वगैरह से, जैसा भी लागू हो)।

ii. साइट पर ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए **वर्कमैन कम्पेनसेशन पॉलिसी ।**

iii. **थर्ड पार्टी देयता पॉलिसी की** लिमिट इस तरह है: निविदा पीरियड के लिए ₹ 10,00,000/- और हर घटना के लिए ₹ 2,00,000/-

नोट: अगर ठेकेदार ये पॉलिसी नहीं देता है, तो बैंक के पास यह अधिकार है कि वह ऊपर बताई गई बीमा पॉलिसी खुद ले ले और ठेकेदार के बिल से **पेनल्टी के तौर पर दोगुनी कीमत वसूले या कोई और कार्रवाई करे, जैसा वह ठीक समझे।**

27. **<u>प्रारंभ और समापन की तिथि</u>**

ठेकेदार को परिशिष्ट में बताई गई "शुरू होने की दिनांक" या बैंक द्वारा बताई गई किसी बाद की दिनांक को साइट पर आने की इजाज़त दी जाएगी और वह उसके तुरंत बाद काम शुरू कर देगा और रेगुलर तौर पर काम करेगा और उसे परिशिष्ट में बताई गई "पूरा होने की दिनांक" को या उससे पहले पूरा करेगा (ऐसे पैंटिंग या दूसरे सजावटी काम को छोड़कर जिन्हें बैंक देर करना चाहे) लेकिन इसके बाद दिए गए समय बढ़ाने के नियमों के अधीन।

28. **<u>काम पूरा न होने पर हर्जाना</u>**

अगर ठेकेदार काम की ज़रूरी प्रोग्रेस बनाए रखने में फेल हो जाता है और निविदा में तय समय तक या टाइम एक्सटेंशन क्लॉज़ 29 के तहत किसी भी बढ़े हुए समय के अंदर काम पूरा नहीं कर पाता है और बैंक लिखकर प्रमाणित करता है कि उसकी राय में काम ठीक से पूरा हो जाना चाहिए था, तो ठेकेदार बैंक को देरी के हर हफ़्ते के लिए **निविदा वैल्यू का 0.25% " लिक्विडेटेड डैमेज** " के तौर पर देगा , जो निविदा वैल्यू का ज़्यादा से ज़्यादा 10% होगा (निविदा वैल्यू का मतलब है काम की कैपिटल कॉस्ट की कुल वैल्यू) उस समय के लिए जब तक काम अधूरा रहेगा और बैंक ठेकेदार को मिलने वाले किसी भी पैसे से ऐसे डैमेज को काट सकता है। ठेकेदार इसके द्वारा खास

तौर पर सहमत होता है और बैंक को इस निविदा के हिसाब से ठेकेदार को मिलने वाली पेमेंट की किसी भी किस्त या रिटेंशन मनी से ऐसे लिक्विडेटेड डैमेज, अगर कोई हो, काटने के लिए ऑथराइज़ करता है।

29. **<u>विलंब और समय विस्तार</u>**

अगर बैंक की राय में, दिए गए काम में देरी होती है (a) किसी बड़ी वजह से या (b) किसी बहुत खराब मौसम की वजह से या (c) आस-पास के या पड़ोसी मालिकों या पब्लिक अथॉरिटीज़ द्वारा की गई कार्रवाई या धमकी या उनके साथ विवाद की वजह से, जो ठेकेदार की अपनी गलती के अलावा किसी और वजह से हुआ हो या (d) बैंक द्वारा हायर या नॉमिनेट किए गए दूसरे ठेकेदार या ट्रेड्समैन के काम या देरी की वजह से, जिनका ज़िक्र बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ और /या स्पेसिफिकेशन में नहीं है या (e) क्लॉज़ 2 के अनुसार बैंक के निर्देशों की वजह से या (f) सिविल हंगामे, मज़दूरों के कानूनी मेल या हड़ताल या लॉक-आउट की वजह से, जिससे बिल्डिंग के किसी भी काम पर असर पड़ रहा हो या (g) ठेकेदार को बैंक से ज़रूरी निर्देश समय पर न मिलने की वजह से, जिसके लिए उसने खास तौर पर लिखकर अप्लाई किया हो या (h) दूसरे कारणों से जिन्हें बैंक ठेकेदार के कंट्रोल से बाहर प्रमाणित कर सकता है या (i) अगर काम की कीमत कीमत वाले बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ की कीमत से ज़्यादा हो जाती है, तो बैंक निविदा का काम पूरा करने के लिए सही और सही समय बढ़ा सकता है। ऐसी हड़ताल या लॉक-आउट की स्थिति में भी, ठेकेदार देरी को रोकने के लिए लगातार कोशिश करेगा और काम को आगे बढ़ाने के लिए बैंक की संतुष्टि के लिए वह उप करेगा जो ज़रूरी हो सकता है।

अगर ठेकेदार को काम पूरा करने के लिए समय बढ़ाना है या अगर निविदा में तय समय से ज़्यादा किसी वजह से काम पूरा होने में देरी होती है, तो ठेकेदार को तय समय खत्म होने से कम से कम 7 दिन पहले बैंक में लिखकर समय बढ़ाने के लिए अप्लाई करना होगा और समय बढ़ाने के लिए अप्लाई करते समय, ठेकेदार को देरी के लिए डिटेल में कारण और अपनी सफाई देनी होगी, साथ ही डॉक्यूमेंट्री सबूत (बाधा रजिस्टर के ज़रूरी पन्नों की कॉपी), अगर कोई हो, भी देना होगा। सिर्फ़ बैंक द्वारा दी गई समय बढ़ाने की अवधि (ठेकेदार से एप्लीकेशन मिलने पर या देरी के कारणों के सही होने के बारे में ऐसे किसी एप्लीकेशन के सर्टिफ़िकेट के न होने पर भी) ही लिक्विडेटेड डैमेज लगाने से छूट के लिए क्वालिफ़ाई होगी। मूल तय समय से ज़्यादा बची हुई अवधि और बैंक द्वारा दी गई प्राधिकृत समय बढ़ाने के लिए, क्लॉज़ 28 के तहत बताया गया लिक्विडेटेड डैमेज का प्रोविज़न लागू होगा।

इसके अलावा, निविदा पूरा होने की तय दिनांक के बाद भी लागू रहेगा, भले ही ठेकेदार ने काम पूरा करने के लिए समय बढ़ाने के लिए अप्लाई किया हो या नहीं, जब तक कि बैंक निविदा खत्म करने का फैसला न कर ले। किसी भी वजह से काम पूरा होने में देरी होने पर ठेकेदार को रेट में बदलाव या किसी भी वजह से अतिरिक्त मुआवज़े का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, फ़ोर्स मेज्योर की शर्तें इस तरह हैं:

i. इस **दस्तावेज़** में दी गई किसी भी दूसरी बात के बावजूद, कोई भी पार्टी अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में किसी भी देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगी, अगर ऐसी देरी उन हालात की वजह से होती है जो उसके कंट्रोल से बाहर हैं, जिसमें बिना किसी लिमिट के सरकार के काम, भगवान के काम, कुदरती आफ़त, हड़ताल, किसी भी इलाके में दंगे, आतंकवादी हमला, युद्ध (घोषित और अघोषित) की वजह से हुई कोई भी देरी शामिल है। हालांकि, देरी की वजह बनने वाली ऐसी किसी भी घटना के होने पर, **ठेकेदार** को तुरंत बैंक को लिखकर इसकी सूचना देनी होगी। **ठेकेदार** की यह ज़िम्मेदारी है कि वह फ़ोर्स मेज्योर घटना के असर को कम करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए।

ii.ऐसी घटना की वजह से, कोई भी पार्टी अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए **निविदा** खत्म करने की हकदार नहीं होगी।

iii. **निविदा** के तहत ज़िम्मेदारियाँ, घटना के खत्म होने या खत्म होने के बाद जितनी जल्दी हो सके फिर से शुरू कर दी जाएँगी। अगर **निविदा** के तहत किसी ज़िम्मेदारी को पूरा करने में, घटना की वजह से आपसी सहमति से तय समय से ज़्यादा समय लगता है या देरी होती है, तो कोई भी पार्टी अपनी मर्ज़ी से **निविदा** खत्म कर सकती है।

30. ठेकेदार **द्वारा बैंक के निर्देशों का पालन न करना**

अगर ठेकेदार बैंक से लिखित नोटिस मिलने के बाद, जिसमें दस दिनों के अंदर पालन करने की ज़रूरत है, ऐसे निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो बैंक ऐसे किसी भी काम को करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रख सकता है और उन्हें पैसे दे सकता है, जो इसे लागू करने के लिए ज़रूरी हो, और इससे जुड़े सभी खर्च बैंक ठेकेदार से कर्ज़ के तौर पर वसूल कर सकता है या ठेकेदार को मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है।

31. **बैंक द्वारा अनुबंध की समाप्ति**

यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति या फर्म होने के नाते कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है, या दिवालिया घोषित किया जाता है या एक निगमित कंपनी होने के नाते उसके खिलाफ अनिवार्य समापन का आदेश दिया जाएगा या स्वेच्छा से या न्यायालय और आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक की निगरानी में समापन के लिए एक प्रभावी प्रस्ताव पारित किया जाएगा, ऐसे दिवालियापन या समापन के कार्यों में, जैसा भी मामला हो, उसे ऐसा करने की आवश्यकता वाले नोटिस के सात दिनों के अंदर, बैंक की उचित संतुष्टि दिखाने में असमर्थ होगा कि वह अनुबंध को पूरा करने और पूरा करने में सक्षम है और यदि बैंक द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो उसके लिए सुरक्षा दे सकता है।

या अगर ठेकेदार (चाहे वह कोई व्यक्ति, फर्म या इनकॉरपोरेटेड कंपनी हो) ठेकेदार के खिलाफ कोर्ट से प्रॉपर्टी अटैच करने का एग्जीक्यूशन या कोई और प्रोसेस झेलता है,

या इस निविदा के तहत किसी भी पेमेंट को ठेकेदार के किसी भी क्रेडिटर द्वारा या उसकी ओर से अटैच होने देगा,

या बैंक की लिखित सहमति के बिना इस निविदा को असाइन या सबलेट नहीं करेगा,

या इस निविदा या ठेकेदार को इसके तहत मिलने वाले किसी भी पेमेंट पर कोई चार्ज या बोझ नहीं डालेगा,

या अगर बैंक यह तय करता है कि ठेकेदार

i. निविदा छोड़ दिया है, या

ii. काम शुरू करने में नाकाम रहा है, या उन शर्तों के तहत बिना किसी कानूनी वजह के बैंक से काम शुरू करने का नोटिस मिलने के बाद 7 दिनों के लिए काम रोक दिया है, या

iii. काम को पूरी सावधानी से आगे बढ़ाने में नाकाम रहा हो और ऐसी सही तरक्की करने में नाकाम रहा हो जिससे काम तय समय में पूरा हो सके, या

iv. लिखित नोटिस मिलने के सात दिन बाद तक साइट से सामान हटाने या गिराने और बदलने में नाकाम रहा है कि उक्त सामान या काम को इन शर्तों के तहत बैंक ने खारिज कर दिया है या

v. अनुबंध द्वारा पालन किए जाने वाले सभी कार्यों, मामलों या चीजों का पालन करने और निष्पादित करने में ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर उपेक्षा की गई है या लगातार विफल रहा है, जिसके बाद ठेकेदार को लिखित नोटिस दिया जाएगा जिसमें ठेकेदार को इसका पालन करने या निष्पादित करने की आवश्यकता होगी।

तब और ऐसे किसी भी मामले में, बैंक, किसी भी पिछली छूट के बावजूद, ठेकेदार को सात दिन का लिखित नोटिस देने के बाद, ठेकेदार का निविदा और देनदारियां तय कर सकता है, जो पूरी तरह से वैसे ही लागू रहेगा जैसे निविदा तय ही नहीं हुआ था, और जैसे बाद में किए गए काम ठेकेदार ने या उसकी ओर से किए गए थे और इसके अलावा, बैंक अपने एजेंट या नौकरों के ज़रिए काम में घुसकर उसे और एस्टेट या आस-पास की ज़मीन या सड़कों पर पड़े सभी प्लांट, औज़ार, मचान, मशीनरी और सामान को अपने कब्ज़े में ले सकता है, और उसे अपनी प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल कर सकता है या काम को आगे बढ़ाने और पूरा करने के लिए अपने नौकरों और काम करने वालों के ज़रिए या काम पूरा करने के लिए किसी दूसरे ठेकेदार या दूसरे व्यक्ति या लोगों को काम पर रख सकता है, और ठेकेदार किसी भी तरह से ऐसे दूसरे ठेकेदार या दूसरे व्यक्ति या लोगों को, जिन्हें काम पूरा करने और फिनिशिंग के लिए रखा गया है या काम के लिए सामान और प्लांट का इस्तेमाल करने से रोकने या रुकावट डालने के लिए कोई काम, बात या चीज़ नहीं करेगा। जब काम पूरा हो जाएगा या उसके तुरंत बाद, बैंक ठेकेदार को अपना बचा हुआ सामान और प्लांट हटाने के लिए लिखकर नोटिस देगा, और अगर ठेकेदार नोटिस मिलने के चौदह दिन के अंदर ऐसा नहीं करता है, तो बैंक उसे पब्लिक ऑक्शन में बेच सकता है, और ठेकेदार को मिली कुल रकम का क्रेडिट दे सकता है। इसके बाद बैंक यह पता लगाएगा और लिखकर प्रमाणित करेगा कि बैंक को या बैंक द्वारा कब्ज़े में लिए गए प्लांट और सामान की कीमत के लिए क्या (अगर कुछ है) देना होगा और काम पूरा करने में

बैंक को जो खर्च या नुकसान हुआ है, और अगर ठेकेदार को कोई रकम देनी है और जो रकम प्रमाणित की जाएगी, वह बैंक द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा बैंक को, जैसा भी मामला हो, दी जाएगी, और बैंक का फ़ैसला पार्टियों के बीच आख़िरी और पक्का होगा।

32. **ठेकेदार द्वारा अनुबंध की समाप्ति**

अगर बैंक के इंजीनियर के प्रमाणपत्र के तहत बैंक को देने वाली रकम का पेमेंट, ठेकेदार द्वारा बैंक को ऊपर बताई गई रकम के पेमेंट के लिए लिखित नोटिस देने के तीस दिन बाद भी बकाया है और पेमेंट नहीं किया गया है, या अगर बैंक निविदा को मना कर देता है, या अगर बैंक के आदेश पर या किसी कोर्ट के किसी आदेश या दूसरे आदेश से काम तीन महीने के लिए रोक दिया जाता है, तो और ऐसे किसी भी मामले में, ठेकेदार को बैंक को लिखित नोटिस देकर निविदा तय करने की आज़ादी होगी और वह बैंक से किए गए सभी कामों के लिए और निविदा के मकसद से सप्लाई किए गए, खरीदे गए या तैयार किए गए किसी भी प्लांट या सामान से हुए किसी भी नुकसान के लिए पेमेंट वसूलने का हकदार होगा।

ऐसे पेमेंट की रकम तय करने में, ठेकेदार के मूल निविदा में दिए गए नेट रेट्स को फॉलो किया जाएगा, या जहां वे लागू नहीं हो सकते, वहां वैल्यूएशन इसके क्लॉज 19 के अनुसार किया जाएगा।

33. प्रमाणपत्र **और पेमेंट**

(a) ठेकेदार को बैंक द्वारा समय-समय पर किए गए कामों के लिए बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले अंतरिम प्रमाणपत्र के तहत किश्तों में पेमेंट किया जाएगा, इस निविदा के अनुसार किए गए काम की अनुमानित कीमत, जिसे परिशिष्ट में " **अंतरिम** प्रमाणपत्र **के लिए काम की कीमत** " के रूप में बताया गया है (या बैंक की उचित समझ पर कम)। बैंक अपनी समझ से, अंतरिम प्रमाणपत्र में वह रकम शामिल कर सकता है, जिसे वह काम में इस्तेमाल के लिए ठेकेदार द्वारा साइट पर दिए गए सामान के लिए सही समझे। और जब काम लगभग पूरा हो जाएगा और बैंक लिखित में प्रमाणित कर देगा कि वे पूरे हो गए हैं, तो ठेकेदार को बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र के अनुसार बैंक द्वारा बाकी रकम का पेमेंट किया जाएगा। **ठेकेदार, वास्तविक समापन की तिथि** से परिशिष्ट में "दोष देयता अवधि" के रूप में संदर्भित अवधि की समाप्ति पर या कार्यों के अंतिम रूप से पूरा होने और दोषों को इसके वास्तविक उद्देश्य और अर्थ के अनुसार ठीक करने की अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद बैंक द्वारा लिखित रूप में जारी किए जाने वाले अंतिम प्रमाण पत्र के अनुसार सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी जारी करने का हकदार होगा, जो भी बाद में हो, बशर्ते कि कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद बैंक द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र को जारी करने से ठेकेदार को धारा 2 और 22 के तहत उसके दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा और न ही ठेकेदार को कार्यों या सामग्री से संबंधित धोखाधड़ी, बेईमानी या धोखाधड़ीपूर्ण छिपाव के मामलों में या प्रमाणपत्र के भीतर निपटाए गए किसी भी मामले में और कार्यों या सामग्रियों में सभी दोषों और अपर्याप्तताओं के मामले में उसकी अक्षमता से मुक्त किया जाएगा, जो एक उचित जांच से पता नहीं चला होगा। कोई भी प्रमाणपत्र अपने आप में इस बात का पक्का सबूत नहीं होगा कि कोई भी काम या सामान, जिससे वह

जुड़ा है, निविदा के मुताबिक है। न ही ठेकेदार का किसी भी ऐसे अमाउंट पर कोई दावा होगा जिसे बैंक ने किसी अंतरिम बिल में प्रमाणित किया हो और बैंक ने पेमेंट किया हो और जो बाद में पता चले कि देने लायक नहीं है। इस मामले में बैंक का फ़ैसला आख़िरी और मानने वाला होगा।

अगर काम या उसका कोई हिस्सा बैंक की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जा रहा है, तो बैंक के पास कोई भी प्रमाणपत्र रोकने का अधिकार होगा।

बैंक किसी भी प्रमाणपत्र से उसके द्वारा जारी किए गए किसी भी पिछले प्रमाणपत्र में कोई भी सुधार कर सकता है।

पेमेंट, प्रमाणपत्र बैंक को डिलीवर होने के बाद, परिशिष्ट में दिए गए "प्रमाणपत्र जारी करने का समय" के अंदर किया जाएगा।

सिस्टम के लिए पेमेंट आईएनआर में किया जाएगा और इस निविदा से होने वाले किसी भी झगड़े को भी उस ऑफिस के अधिकार क्षेत्र में सुलझाया जाएगा जहां से निविदा हस्ताक्षर किया गया है।

34. **भुगतान में देरी**

बैंक द्वारा ठेकेदार को दी जाने वाली कोई भी रकम, अगर परिशिष्ट में बताए गए "प्रमाणपत्र जारी करने के समय" के अंदर नहीं चुकाई जाती है, तो उस दिनांक से, जब बैंक को वह रकम चुकानी चाहिए थी, पेमेंट होने तक, परिशिष्ट में बताए गए "देरी से पेमेंट के लिए ब्याज दर" के हिसाब से ब्याज लगेगा।

35. **मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटारा**

निविदा या काम करने से जुड़े किसी भी तरह के सभी झगड़े और मतभेद (चाहे काम के चलने के दौरान हों या पूरा होने के बाद और चाहे निविदा तय होने, छोड़ने या तोड़ने से पहले या बाद में हों) बैंक को भेजे जाएंगे और वही उन्हें सुलझाएगा। बैंक अपना फ़ैसला लिखकर बताएगा। ऐसा फ़ैसला फ़ाइनल सर्टिफ़िकेट के रूप में या किसी और तरह से हो सकता है। किसी भी छूटे हुए मामले पर बैंक का फ़ैसला आख़िरी होगा और उस पर कोई अपील नहीं होगी। लेकिन अगर कोई भी पार्टी किसी मामले से नाखुश है, तो वह पार्टी ऐसे फ़ैसले का नोटिस मिलने के 28 दिनों के अंदर दूसरी पार्टी को लिखकर नोटिस दे सकती है कि विवादित मामलों को यहां तय तरीके के हिसाब से आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जाए। ऐसे लिखे हुए नोटिस में वे मामले बताए जाएंगे, जिन पर विवाद है या जिन पर मतभेद है, जिनके बारे में ऐसा लिखा हुआ नोटिस दिया गया है। अगर दोनों पार्टियां राज़ी होती हैं, तो इस काम के लिए एक ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा। अगर एक ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने पर कोई सहमति नहीं बन पाती है, तो दोनों पार्टियां अपनी तरफ़ से एक-एक व्यक्ति को आर्बिट्रेटर के तौर पर नॉमिनेट करेंगी। पार्टियों द्वारा नॉमिनेट किए गए दो आर्बिट्रेटर एक और व्यक्ति को तीसरे आर्बिट्रेटर के तौर पर नॉमिनेट करेंगे।

रिक्विजिशन या नोटिस को खोलने, रिव्यू करने और परिशोधित करने का अधिकार होगा , सिवाय उन मामलों के जिनका ज़िक्र पिछले क्लॉज़ में किया गया है, और उन सभी विवादित मामलों को तय करने का अधिकार होगा जिन्हें आर्बिट्रेशन के लिए सबमिट किया जाएगा और जिनके बारे में पहले बताया गया नोटिस दिया गया होगा।

आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स, जैसा भी मामला हो, रेफरेंस पर एंटर करने की दिनांक से 12 महीने (या पार्टियों की सहमति से उनके द्वारा तय किया गया और बढ़ाया गया समय) के अंदर अपना अवॉर्ड देंगे। अगर आर्बिट्रेशन की कार्रवाई के दौरान, पार्टियां आपस में अपने झगड़े या मतभेद को सुलझा लेती हैं या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, तो पार्टियों द्वारा सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ का संयुक्त मेमोरेंडम फाइल करने पर, आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स, जैसा भी मामला हो, ऐसे सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ के हिसाब से अवॉर्ड देंगे।

ऐसे किसी भी रेफरेंस पर, रेफरेंस और अवार्ड से जुड़े खर्च पर फैसला, जैसा भी मामला हो, आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स के विवेक पर होगा, जो उसकी रकम तय कर सकते हैं या उस पर पार्टी और पार्टी के बीच टैक्स लगाने का निर्देश दे सकते हैं, और यह भी निर्देश देंगे कि उसे कौन, किसे और किस तरह से वहन करेगा और चुकाएगा।

यह सबमिशन इंडियन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 या उसके किसी कानूनी बदलाव के मतलब में आर्बिट्रेशन के लिए सबमिशन माना जाएगा।

आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स का फैसला, जैसा भी हो, आखिरी होगा और पार्टियों पर लागू होगा। यह तय हुआ है कि ठेकेदार किसी भी ऐसे मामले, सवाल या झगड़े के आर्बिट्रेशन में भेजे जाने की वजह से काम करने में देरी नहीं करेगा, बल्कि पूरी सावधानी से काम करेगा और जब तक आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स का फैसला नहीं आ जाता, तब तक बैंक के फैसले को मानेगा। आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स का कोई भी फैसला, जैसा भी हो, ठेकेदार को काम को असल में करने के बारे में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की उसकी ज़िम्मेदारियों से राहत नहीं देगा। बैंक और ठेकेदार इसके द्वारा इस बात पर भी सहमत हैं कि इस क्लॉज़ के तहत आर्बिट्रेशन, निविदा के तहत किसी भी कार्रवाई के अधिकार के लिए एक ज़रूरी शर्त होगी ।

आर्बिट्रेशन की स्थान **और** स्थान कोच्ची **होगी, और इस एग्रीमेंट से जुड़े या उससे जुड़े सभी मामलों पर** कोच्ची **की अदालतों का अधिकार क्षेत्र होगा** ।

36. **<u>अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार</u>**

बैंक को काम की टेक्निकल जांच करने और ठेकेदार के फाइनल बिल की जांच करने का अधिकार होगा, जिसमें फाइनल बिल के पेमेंट के समय सभी सपोर्टिंग वाउचर, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह शामिल होंगे। अगर इस जांच या किसी और वजह से, कोई रकम ज़्यादा पेमेंट की गई या ज़्यादा सर्टिफाइड पाई जाती है, तो बैंक के लिए वह रकम वसूलना कानूनी होगा।

37. **<u>बैंक कर्मचारियों को दिए गए मुआवजे को वसूलने का हकदार है</u>**

अगर किसी भी वजह से, एम्प्लॉईज़ मुआवजा एक्ट, 1923 के नियम, या उसके किसी कानूनी बदलाव या फिर से लागू होने की वजह से, बैंक को ठेकेदार द्वारा काम पर रखे गए किसी कामगार को मुआवज़ा देना ज़रूरी है, तो बैंक ठेकेदार से दिए गए मुआवज़े की रकम वसूलने का हकदार होगा, और इससे उस एक्ट के तहत बैंक के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बैंक को सिक्योरिटी डिपॉज़िट से या इस निविदा के तहत ठेकेदार को बैंक द्वारा दी जाने वाली किसी भी रकम से या किसी और तरह से ऐसी रकम या उसका कोई हिस्सा काटकर वसूलने की आज़ादी होगी। बैंक उस एक्ट के तहत अपने खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए मजबूर नहीं होगा, सिवाय ठेकेदार के लिखित अनुरोध के और उसके द्वारा बैंक को उन सभी खर्चों के लिए पूरी सिक्योरिटी देने के, जिनके लिए बैंक ऐसे दावे का विरोध करने के नतीजे में ज़िम्मेदार हो सकता है।

38. **<u>कार्यों का परित्याग</u>**

अगर निविदा स्वीकार होने के बाद किसी भी समय, बैंक किसी भी वजह से, पूरे काम या उसके किसी हिस्से को करने की ज़रूरत नहीं समझता है, तो बैंक ठेकेदार को लिखकर नोटिस देगा। ठेकेदार का पूरे काम से हुए किसी भी मुनाफ़े या फ़ायदे के लिए किसी भी तरह के मुआवज़े या किसी और चीज़ के पेमेंट का कोई दावा नहीं होगा।

39. **<u>अतिरिक्त सामग्री की वापसी</u>**

इस निविदा के किसी या सभी क्लॉज़ में इसके उलट कुछ भी होने पर भी, जहाँ निविदा को पूरा करने के लिए कोई भी सामान बैंक की मदद से सरकार के ऑर्डर, परमिट या लाइसेंस के तहत खरीदा जाता है, वहाँ ठेकेदार उस सामान को किफ़ायती तरीके से और सिर्फ़ निविदा के मकसद के लिए रखेगा और बैंक की पहले से लिखी हुई इजाज़त के बिना उसे नहीं फेंकेगा और अगर बैंक कहे, तो सामान की हालत को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा तय की गई कीमत पर उसे बैंक को वापस कर देगा। यह कीमत उसकी खरीद कीमत से ज़्यादा नहीं होगी, जिसमें सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (जीएसटी), ऑक्ट्रॉय और ठेकेदार द्वारा दिए गए दूसरे ऐसे टैक्स शामिल होंगे। ऊपर बताई गई शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, ठेकेदार, लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ़ ट्रस्ट के लिए कार्रवाई के लिए ज़िम्मेदार होने के अलावा, ऐसे उल्लंघन के कारण उसे हुए सभी पैसे, फ़ायदे या मुनाफ़े के लिए भी बैंक के प्रति ज़िम्मेदार होगा, या जो आम तौर पर उसे मिलते।

40. यदि ठेकेदार की मृत्यु हो **<u>जाती है , तो बैंक का अनुबंध समाप्त करने का अधिकार</u>**

इस निविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपाय पर कोई असर डाले बिना, अगर ठेकेदार, जो एक व्यक्ति है, की मौत हो जाती है, तो बैंक के पास निविदा खत्म करने का ऑप्शन होगा, और ऐसी टर्मिनेशन के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

41 . **<u>दुर्घटना रिपोर्ट</u>**

किसी भी तरह के एक्सीडेंट की स्थिति में, सभी ज़रूरी रिपोर्ट (एक्सीडेंटल या किसी और वजह से) बिना देर किए जमा करनी होंगी। ठेकेदार यह पक्का करेगा कि ये रिपोर्ट बैंक के साथ शेयर की जाएं और साथ ही किसी दूसरी बाहरी पार्टी या स्टेकहोल्डर को भी भेजी जाएं।

42. **<u>कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम:</u>**

i. ठेकेदार "वर्कप्लेस पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल) रोकधाम एक्ट, 2013" के नियमों का पूरी तरह से पालन करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा। बैंक के कैंपस में अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत होने पर, शिकायत ठेकेदार/एजेंसी द्वारा बनाई गई इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी या लोकल कंप्लेंट्स कमिटी के सामने फाइल की जाएगी, जैसा भी मामला हो और ठेकेदार एजेंसी शिकायत के संबंध में उस एक्ट के तहत सही कार्रवाई पक्का करेगी।

ii. सेवा प्रदाता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी की तरफ़ से बैंक के किसी भी कर्मचारी या बैंक में काम करने वाली किसी दूसरी फर्म के किसी भी कर्मचारी के ख़िलाफ़ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा बनाई गई रीजनल कंप्लेंट्स कमिटी ध्यान देगी।

iii. अगर घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हैं, तो किसी भी पैसे के मुआवज़े के लिए ठेकेदार ज़िम्मेदार होगा, जैसे कि अगर ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारी या दूसरी फर्म के कर्मचारी को कोई भी पैसे की राहत।

iv. ठेकेदार अपने कर्मचारियों को काम की स्थान पर यौन उत्पीड़न से बचाव और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए ज़िम्मेदार होगा।

v. ठेकेदार को बैंक की स्थान पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों की पूरी और अपडेटेड लिस्ट देनी होगी।

43. गैर-प्रकटीकरण खंड :

i. ठेकेदार सीधे या इनडायरेक्टली बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/इक्विपमेंट वगैरह की कोई भी जानकारी, मटीरियल और डिटेल्स, जो सेवा प्रदाता और/या डीबी डेवलपर को इस एग्रीमेंट के संबंध में अपनी निविदा की जिम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान मिली हो या उनके पास आई हो, किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा और उसे हर समय पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखेगा। ठेकेदार निविदा की डिटेल्स को प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रखेगा, सिवाय इसके कि यह उसके तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए ज़रूरी हो। ठेकेदार सेकंड पार्टी की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या टेक्निकल पेपर या कहीं और काम की कोई भी डिटेल्स पब्लिश नहीं करेगा, पब्लिश होने नहीं देगा, या ज़ाहिर नहीं करेगा। ऊपर बताई

गई बातों का पालन न करने पर, जैसा भी मामला हो, ठेकेदार की ओर से निविदा का उल्लंघन माना जाएगा, और सेकंड पार्टी को नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का अधिकार होगा।

ii. ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी ज़रूरी कार्रवाई करेगा ताकि यह पक्का हो सके कि इस एग्रीमेंट के तहत गोपनीय जानकारी न बताने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से पूरी हो।

iii. फॉर्मल निविदा एग्रीमेंट पर कोई असर डाले बिना, इस निविदा के तहत ठेकेदार पर लागू होने वाली सभी कॉन्फिडेंशियलिटी और नॉन-डिस्क्लोजर की ज़िम्मेदारियां, किसी भी वजह से इस एग्रीमेंट के खत्म होने, पूरा होने या खत्म होने के बाद भी लागू रहेंगी।

44. **<u>कार्यक्रम चार्ट / प्रगति रिपोर्ट</u>** :

ठेकेदार को काम के अलग-अलग स्टेज को पूरा करने के लिए एक सही प्रोग्रेस रिपोर्ट / चार्ट जमा करना होगा, ताकि काम तय समय में पूरा हो सके। ऐसा प्रोग्राम काम मिलने के 7 दिनों के अंदर जमा करना होगा। बैंक द्वारा किए गए सभी सही बदलाव प्रोग्रेस चार्ट में शामिल किए जाने चाहिए। अगर कहा जाए तो ठेकेदार को अलग-अलग यूनिट और यूनिट के ग्रुप के लिए मौजूदा इक्विपमेंट डिलीवरी की तारीखें और अनुमानित पूरा होने की तारीखें दिखाते हुए रिपोर्ट जमा करनी होगी।

45. **<u>वैधानिक अनुमोदन:</u>**

ठेकेदार द्वारा संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) / मुख्य विद्युत निरीक्षक (सीईआई) / स्थानीय अग्निशमन प्राधिकरण / स्थानीय नगरपालिका आदि / स्थानीय वैधानिक प्राधिकरण से प्राप्त पूर्व एनओसी और स्थानीय निकाय अनुमोदन के अनुसार कार्य निष्पादित किया जाएगा। ठेकेदार ऐसी सभी स्वीकृतियों में किए गए सभी प्रावधानों को समझने के लिए जिम्मेदार होगा। किसी अतिरिक्त कार्य / उसके संशोधन की किसी भी आवश्यकता के मामले में, इसे पहले से ही प्रभारी इंजीनियर के ध्यान में लाया जाएगा। स्थानीय निकाय प्राधिकरणों के मानदंडों का पालन करते हुए काम निष्पादित किया जाना है। ठेकेदार संबंधित प्राधिकरणों से आगे की मंजूरी और अंतिम समापन और अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए काम के दौरान और पूरा होने के बाद आवश्यकतानुसार दस्तावेजों, रिपोर्ट आदि को तैयार करने में सहायता करेगा। ठेकेदार संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकों में भाग लेने और सभी संपर्क कार्य करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। इस खाते पर कोई अतिरिक्त / अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

46. **<u>निषेध / अयोग्यता:</u>**

एक ठेकेदार को इन वजहों से बोली लगाने से **रोका जा सकता है** :

a. अगर यह पता चलता है कि ठेकेदार ने कोड ऑफ़ इंटेग्रिटी का उल्लंघन करते हुए ये काम या चूक की है:

i. खरीद प्रक्रिया में गलत फ़ायदा पाने के लिए या खरीद प्रक्रिया को किसी और तरह से प्रभावित करने के लिए, सीधे या परोक्ष रूप से रिश्वत, इनाम या तोहफ़ा या कोई भी ज़रूरी फ़ायदा देने, मांगने या लेने की पेशकश करना।

ii. कोई भी चूक या गलत बयानी जो गुमराह कर सकती है या गुमराह करने की कोशिश कर सकती है ताकि फाइनेंशियल या दूसरा फायदा मिल सके, या किसी ज़िम्मेदारी से बचा जा सके।

iii. कोई भी मिलीभगत, बोली में हेराफेरी या एंटी-कॉम्पिटिटिव व्यवहार जो खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित कर सकता है।

iv. प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में गलत फ़ायदा उठाने या अपने फ़ायदे के लिए प्रोक्योर करने वाली कंपनी द्वारा ठेकेदार को दी गई जानकारी का गलत इस्तेमाल करना।

v. ठेकेदार और खरीदने वाली कंपनी के किसी भी अधिकारी के बीच निविदा या निविदा के एग्जीक्यूशन प्रोसेस से जुड़ा कोई भी फाइनेंशियल या बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन: जो खरीदने वाली कंपनी के फैसले पर सीधे या इनडायरेक्टली असर डाल सकता है।

vi. खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्ष या उसकी संपत्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने के लिए कोई दबाव या धमकी।

vii. किसी खरीद प्रक्रिया की किसी भी जांच या ऑडिटिंग में बाधा डालना।

viii. निविदा प्रोसेस में हिस्सा लेने या निविदा पाने के लिए गलत घोषणा करना या गलत जानकारी देना।

b. हितों के टकराव का खुलासा करने में विफल रहे।

c. उप-खंड के प्रावधानों के संबंध में किए गए किसी भी पिछले उल्लंघन का खुलासा करने में विफल रहा

i. पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान / इकाई के साथ या किसी भी सार्वजनिक खरीद संस्थान / इकाई द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में।

ii. ठेकेदार द्वारा कोड ऑफ़ इंटेग्रिटी के उल्लंघन के अलावा किसी भी ऐसे काम या चूक के लिए, जिसके लिए बैंक की राय में डिबारमेंट ज़रूरी है, जैसे कि घटिया मटीरियल की सप्लाई,

मटीरियल की सप्लाई न होना, काम छोड़ देना, काम की घटिया क्वालिटी, निविदा की शर्तों का पालन न करना वगैरह।

iii. अगर ठेकेदार को किसी जुर्म का दोषी ठहराया गया है— (a) प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 के तहत; या (b) इंडियन पीनल कोड या उस समय लागू किसी दूसरे कानून के तहत, पब्लिक प्रोक्योरमेंट निविदा को पूरा करते समय जान-माल का नुकसान करने या पब्लिक हेल्थ को खतरा पैदा करने के लिए।

d. अगर बैंक यह तय करता है कि ठेकेदार

i. निविदा छोड़ दिया है, या

ii. काम शुरू करने में नाकाम रहा है, या उन शर्तों के तहत बिना किसी कानूनी वजह के बैंक से काम शुरू करने का नोटिस मिलने के बाद 7 दिनों के लिए काम रोक दिया है, या

iii. काम को पूरी सावधानी से आगे बढ़ाने में नाकाम रहा हो और ऐसी सही तरक्की करने में नाकाम रहा हो जिससे काम तय समय में पूरा हो सके, या

iv. लिखित नोटिस मिलने के सात दिन बाद तक साइट से सामान हटाने या गिराने और बदलने में नाकाम रहा है कि उक्त सामान या काम को इन शर्तों के तहत बैंक ने खारिज कर दिया है या

v. अनुबंध द्वारा पालन किए जाने वाले सभी कार्यों, मामलों या चीजों का पालन करने और सात दिनों तक प्रदर्शन करने में लगातार उपेक्षा की गई है या विफल रहा है, जिसके बाद ठेकेदार को लिखित नोटिस दिया जाएगा जिसमें ठेकेदार को उनका पालन करने या प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी।

e. क्लॉज़ 29 के अनुसार कोई भी कार्रवाई करने पर ठेकेदार अपने आप डिबारमेंट/डिसक्वालिफ़िकेशन हो जाएगा।

f. यह रोक भविष्य की बिडिंग पर भी लागू होगी।

47. पैकिंग और डिस्पैच: इक्विपमेंट को भारतीय हालात में कई बार हैंडल करने और ट्रांसपोर्टेशन के लिए सही बॉक्स में ठीक से और सुरक्षित रूप से पैक किया जाना चाहिए। सभी इक्विपमेंट / पार्ट्स बैंक के ऑफिस बिल्डिंग में ड्यूटी डिलीवरी पेड (डीडीपी) बेसिस पर डिलीवर किए जाएंगे।

48. पुलिस सत्यापन : साइट पर रेगुलर तौर पर काम करने वाले सभी वर्कर के लिए, ठेकेदार काम शुरू होने से पहले अपने खर्चे पर वैलिड पुलिस सत्यापन रिपोर्ट (पीवीआर) का इंतज़ाम करेगा, लेगा और जमा करेगा। ठेकेदार यह

पक्का करेगा कि बैंक की स्थान पर कोई ऐसा वर्कर तैनात न हो जिसका पुलिस रिकॉर्ड खराब हो या जिस पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो।

मैंने/हमने ऊपर बताई गई सभी शर्तें समझ ली हैं और वे मुझे/हमें मंज़ूर हैं।

ठेकेदार के हस्ताक्षर और सील:

फर्म का नाम:

स्थान:
दिनांक:

खंड -V

अनुबंध की विशेष शर्तें

1. काम करने वालों को **स्थान** के अंदर रहने की इजाज़त नहीं होगी।

2. काम के लिए ज़रूरी बिजली और पानी साइट पर मौजूद सप्लाई से मुफ़्त में लिया जा सकता है।

3. **निविदा** देने वाला व्यक्ति **निविदा** ड्रॉइंग, स्पेसिफिकेशन वगैरह के बारे में कोई भी जानकारी बैंक के किसी भी वर्किंग डे पर डिपार्टमेंट से ले सकता है।

4. ऊपर दिए गए काम से निकलने वाले मलबे/धूल या किसी भी तरह की बर्बादी को बैंक के इंजीनियर के कहने पर और ज़रूरत के हिसाब से साफ़ किया जाएगा।

5. **निविदा** देने वाले को बैंक के इंजीनियर्स की संतुष्टि के अनुसार, साइट पर (बैंक की **स्थान** से) जमा हुआ सारा मलबा हटाना होगा।

6. **ठेकेदार** काम करते समय एक **योग्य** सुपरवाइज़र को रखेगा। साइट पर कोई भी काम बिना सुपरवाइज़्ड तरीके से नहीं किया जाएगा।

7. **निविदा** देने वाला सिर्फ़ अप्रूव्ड ब्रांड का सामान इस्तेमाल करेगा। अगर **निविदा** देने वाला कोई विकल्प नहीं बताता है, तो बैंक को दिए गए नामों में से कोई भी ब्रांड का सामान चुनने की आज़ादी होगी।

8. यह काम सिविल वर्क्स और साइट पर काम कर रही दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर किया जाएगा, ताकि ऑफिस बिल्डिंग में रहने वालों या कामकाज में कोई बेवजह परेशानी न हो। **ठेकेदार** को ऐसे काम करने से पहले बैंक से मंज़ूरी लेनी होगी जिनमें शटडाउन, आने-जाने पर रोक, या मौजूदा सेवाओं में रुकावट की ज़रूरत हो।

9. काम के दौरान **ठेकेदार** की वजह से बैंक की किसी भी प्रॉपर्टी को हुए किसी भी नुकसान को उसे अपने खर्च पर ठीक करना होगा।

10. **निविदा** देने वालों द्वारा "रेट कॉलम" में ऑनलाइन दिए गए रेट में **जीएसटी** शामिल नहीं होना चाहिए।

11. काम मिलने के बाद इनवॉइस जमा करते समय, **ठेकेदार** को काम की कीमत में शामिल **जीएसटी** अमाउंट साफ़-साफ़ बताना होगा।

12. पूरा करने का समय: मेमोरेंडम में बताए गए काम को पूरा करने के लिए **ठेकेदार** को दिए गए समय का सख्ती से पालन करना होगा और यह काम शुरू करने का लिखित ऑर्डर जारी होने के सातवें दिन से माना जाएगा। **निविदा** की तय अवधि के दौरान काम पूरी सावधानी से किया जाएगा और अगर **ठेकेदार** तय अवधि के अंदर काम पूरा

नहीं कर पाता है, तो उसे **निविदा** की सामान्य शर्तों के क्लॉज़ 28 में बताए गए अनुसार मुआवज़ा देना होगा। **ठेकेदार** को काम शुरू करने से पहले एक **विस्तृत** वर्क प्रोग्राम तैयार करना होगा जिसे बैंक से मंज़ूरी लेनी होगी।

13. **ठेकेदार** को काम शुरू करने या पूरा करने में देरी की वजह से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई मुआवज़ा नहीं मिलेगा, चाहे देरी की वजह कुछ भी हो, जिसमें उसे सौंपे गए काम में बदलाव या उससे जुड़े किसी **उप-निविदा** में देरी या प्रोजेक्ट के दूसरे कामों के लिए **निविदा** देने में देरी या ऐसे कामों को शुरू या पूरा करने में देरी या सरकारी कंट्रोल वाला या दूसरा बिल्डिंग मटीरियल खरीदने में देरी या कंस्ट्रक्शन के मकसद से पानी और बिजली के कनेक्शन लेने में देरी या कोई भी दूसरी वजह शामिल है और बैंक इससे जुड़े किसी भी दावे के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। बैंक **निविदा** की रकम के अलावा किसी भी रकम के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, बशर्ते कि इसमें बताए गए बदलाव हों।

ठेकेदार के हस्ताक्षर और सील:

फर्म का नाम:

स्थान:
दिनांक:

खंड-VI

इसके पूर्व संदर्भित परिशिष्ट

1	दोष देयता अवधि (डीएलपी)	काम लगभग पूरा होने की दिनांक से 12 महीने।
2	अंतिम माप की अवधि	फ़ाइनल कमीशनिंग की दिनांक से 3 महीने।
3	प्रारंभण की तिथि	बैंक से वर्क ऑर्डर/सूचना जारी होने की दिनांक के सातवें दिन।
4	काम पूरा करने के लिए दिया गया समय	बैंक से वर्क ऑर्डर/सूचना जारी होने की दिनांक के सातवें दिन से 60 दिन।
5	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	शून्य
6	प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी)	शून्य
7	रिटेंशन मनी डिपॉजिट (आरएमडी)	बिलों से 5% काटा जाएगा (काम की कीमत का 5%)।
8	परिसमापन हर्जाना	देरी के हर हफ़्ते के लिए निविदा वैल्यू का 0.25%, जो निविदा अमाउंट का ज़्यादा से ज़्यादा 10% होगा।
9	अंतिम भुगतान का सम्मान करने की अवधि	संयुक्त माप की दिनांक से 3 महीने।
10	विलंबित भुगतान के लिए ब्याज	3 प्रतिशत प्रति वर्ष।
11	अंतरिम प्रमाणन का सम्मान करने की अवधि	फुल और फाइनल सर्टिफिकेशन के अलावा कोई इंटरिम पेमेंट नहीं होगा।

ठेकेदार के हस्ताक्षर और सील:

फर्म का नाम:

स्थान:
दिनांक:

धारा-VII

सुरक्षा कोड

सामान्य सुरक्षा कोड

1. फर्स्ट एड के सामान, जिसमें स्टेरिलाइज़्ड ड्रेसिंग और रूई की सही सप्लाई शामिल है, आसानी से मिलने वाली **स्थान** पर दिए जाएंगे।

2. अगर चोट की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत हो, तो घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए पब्लिक हॉस्पिटल ले जाना चाहिए।

3. जो काम ज़मीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते, उनके लिए काम करने वालों को सही और मज़बूत मचान दिए जाने चाहिए।

4. कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी 8 मीटर से ज़्यादा लंबी नहीं होगी। साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 cm (साफ़) से कम नहीं होगी और दो आस-पास के डंडों के बीच की दूरी 30 cm से ज़्यादा नहीं होगी। जब सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक **अतिरिक्त** मज़दूर लगाया जाएगा।

5. खुदाई का सामान खाई के किनारे से 1.5 मीटर या खाई की आधी गहराई के अंदर नहीं रखा जाएगा, जो भी ज़्यादा हो। सभी खाइयों और खुदाई वाली जगहों पर ज़रूरी फेंसिंग और लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी।

6. किसी बिल्डिंग के फ़र्श या काम करने वाले प्लेटफ़ॉर्म में हर खुली **स्थान** पर लोगों या सामान को गिरने से बचाने के लिए सही फेंसिंग या रेलिंग लगाई जाएगी; कम से कम ऊंचाई एक मीटर होगी।

7. किसी भी फ़र्श, छत या स्ट्रक्चर के दूसरे हिस्से पर इतना ज़्यादा मलबा या सामान नहीं होना चाहिए कि वह अनसेफ हो जाए।

8. डामर, सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट और चूने के मोर्टार जैसे मटीरियल को मिलाने और संभालने वाले वर्कर्स को प्रोटेक्टिव फुटवियर और रबर हैंड-ग्लव्स दिए जाएंगे।

9. वेल्डिंग के काम में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षा के लिए आई-शील्ड और ग्लव्स दिए जाएंगे।

10. लेड या लेड प्रोडक्ट्स वाला कोई भी पेंट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सिवाय पेस्ट या रेडीमेड पेंट के।

11. जब स्प्रे के रूप में पेंट लगाया जाता है या लेड पेंट वाली सतह को सूखा रगड़कर हटाया जाता है, तो काम करने वालों के इस्तेमाल के लिए सही फेस मास्क दिए जाएंगे।

12. पेंटर्स को ओवरऑल्स **ठेकेदार** द्वारा दिए जाएंगे और काम बंद होने के समय पेंटर्स को धोने के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी जाएंगी।

13. काम में इस्तेमाल होने वाली होइस्टिंग मशीनें और सामान, उनके अटैचमेंट, एंकरेज और सपोर्ट सहित, एकदम सही हालत में होने चाहिए।

14. ऊपर उठाने या नीचे करने वाले सामान, या सस्पेंशन के साधन में इस्तेमाल होने वाली रस्सियाँ टिकाऊ क्वालिटी की और सही मज़बूत होनी चाहिए और उनमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए।

15. **ठेकेदार** को कानूनी नियमों के अनुसार काम करने के लिए वर्कर्स को सभी सेफ्टी गैजेट्स देने होंगे।

16. काम करते समय ज़रूरी फायर सेफ्टी उपाय भी किए जाएंगे।

<u>अग्नि सुरक्षा कोड:</u>

1. साइट पर इस्तेमाल होने वाली कटिंग/ड्रिलिंग मशीन और बिजली से चलने वाले दूसरे इक्विपमेंट को सही रेटिंग वाले इलेक्ट्रिकल आउटलेट में प्लग किया जाना चाहिए।

2. सिर्फ़ ISI मार्क वाले 3 पिन प्लग और दूसरे अप्लायंस और इक्विपमेंट ही इस्तेमाल किए जाएंगे।

3. इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिकल पावर केबल/तारों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए और उनकी रेटिंग सही होनी चाहिए।

4. सभी बिजली के उपकरण, जैसे वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन वगैरह, काम करते समय लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित रूप से अर्थिंग किए जाने चाहिए।

5. किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग का काम शुरू करने से पहले, फायर सेक्शन को बताया जाएगा और फायर ऑफिसर/कर्मचारी के साइट **निरीक्षण** के बाद ही काम शुरू किया जाएगा।

6. साइट पर आसानी से पहुंचने वाली **स्थान** पर पानी और रेत की दो बाल्टियां रखी जाएंगी।

7. फायर ऑफिसर द्वारा बताए गए और जारी किए गए फायर एक्सटिंग्विशर साइट पर रखे जाएंगे।

8. इस्तेमाल किए गए पेंट ड्रम को ठीक से बंद करने के बाद ही बताए गए स्टोर में स्टोर किया जाना चाहिए।

9. काम की ज़रूरत के हिसाब से, **ठेकेदार** काम करने वालों को काम से होने वाले हेल्थ खतरों से बचाने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे सेफ्टी शूज़, हैंड ग्लव्स, वेल्डर मास्क, इयर प्लग वगैरह देगा।

10. सेफ्टी बेल्ट **ठेकेदार** देगा और काम करने वाले ग्राउंड लेवल से 10' से ज़्यादा ऊंचाई पर काम करते समय इसका इस्तेमाल करेंगे।

11. लिफ्ट, लॉबी और सीढ़ियों के पास के किसी भी रास्ते का इस्तेमाल किसी भी तरह का सामान/कचरा रखने/डंप करने के लिए नहीं किया जाएगा।

12. सीढ़ियों के दोनों दरवाज़े आम तौर पर बंद रखे जाएंगे।

13. किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को उसकी तय **स्थान** से हटाया/शिफ्ट नहीं किया जाएगा।

14. जब इक्विपमेंट इस्तेमाल में न हो, तो मेन से पावर सप्लाई बंद कर दी जाएगी।

15. काम से निकलने वाली लकड़ी की छीलन और बुरादा को रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा, और सही तरीके से तय **स्थान** पर स्टोर किया जाएगा।

16. काम से निकलने वाले किसी भी मलबे को रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा, और सही तरीके से तय **स्थान** पर स्टोर किया जाएगा।

17. ऑफिस के समय के बाद काम करते समय **ठेकेदार** को काम करने वालों को बैटरी से चलने वाली इमरजेंसी लाइट / टॉर्च देनी होगी।

ठेकेदार के हस्ताक्षर और सील:

फर्म का नाम:

स्थान:
दिनांक:

खंड- VIII

तकनीकी विनिर्देश और कार्य का दायरा

1. काम के दायरे में "आरबीआई, कोच्ची के कार्यालय भवन के तीसरी मंज़िल के लिए सेंट्रल एसी डक्ट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग" शामिल होगा, जैसा कि इस स्पेसिफिकेशन में बताया गया है और जैसा कि लेआउट, बिल ऑफ़ मटीरियल / शेड्यूल ऑफ़ क्वांटिटी में बताया गया है। ठेकेदार को फैब्रिकेशन से पहले साइट पर डाइमेंशन, लेवल, मौजूदा एएचयू कनेक्शन और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरतों को वेरिफ़ाई करना होगा। कोई भी अंतर होने पर बैंक के इंजीनियर को जानकारी देनी होगी ताकि सत्यापन मिल सके। अप्रूव्ड सिस्टम लेआउट, डक्ट साइज़ या डिज़ाइन एयर क्वांटिटी में बदलाव बिना पहले से लिखी हुई मंज़ूरी के नहीं किए जाएँगे।

2. कोड और स्टैंडर्ड: एचवीएसी सिस्टम का डिज़ाइन, मटीरियल, मैन्युफैक्चर, निरीक्षण, टेस्टिंग और परफॉर्मेंस उस इलाके के सभी मौजूदा कानूनों, नियमों, कोड और स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा जहाँ इक्विपमेंट इंस्टॉल किया जाना है। इस स्पेसिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे बिडर को इस ज़िम्मेदारी से छुटकारा मिल सके।

3. एचवीएसी डक्टिंग का काम: रेक्टेंगुलर डक्टवर्क और फैक्ट्री में बना फ्लैट ओवल स्पाइरल डक्टवर्क गैल्वेनाइज्ड स्टील शीट (जीएसएस), क्लास VIII से बनाया जाएगा जो IS 277-1962 (रिवाइज्ड और अमेंडेड टिल) के हिसाब से होगा। दिनांक)। छलरचना का मुंह पर चिपकाने करेगाकठोरता से अनुरूप को है 655- 1963 जैसा संशोधन तक दिनांक । डक्ट के साइज़ और शीट की मोटाई निविदा और आर्किटेक्ट के अप्रूव्ड डक्ट शेड्यूल में बताए गए अनुसार होगी। काम में बताए गए साइज़ का रेक्टेंगुलर एएचयू प्लेनम, ट्रांज़िशन, ब्रांच, रिटर्न डक्ट और अप्रूव्ड ड्राइंग में दिखाए गए संबंधित फिटिंग शामिल होंगे। मोटाई का चादर के लिए छलरचना का मुंह पर चिपकाने काम करेगा होना जैसा अंतर्गत:

अधिकतम भुजा मिमी	की मोटाई चादर मिमी	अनुप्रस्थ का प्रकारसंयुक्त कनेक्शन	ताल्लुक़ (अगर कोई भी)	समर्थन का आकार (फांसी की छड़ें)
1	2	3	4	5
तक 400	0.63	25 mm जीएसएस फ्लैंज / अप्रूव्ड टीडीएफ़ कनेक्शन	कोई नहीं	10 मिमी व्यास.
401 को 749	0.63	25 × 25 × 3 mm एमएस एंगल फ्लैंज / अप्रूव्ड टीडीएफ़ कनेक्शन	25 एक्स 25 एक्स 1.2 mtrs पर 3 mm एमएस एंगल।	10 मिमी व्यास.
750 को 1500	0.8 / 1.00	40 × 40 × 3 mm एमएस एंगल फ्लैंज / अप्रूव्ड टीडीएफ़ कनेक्शन	40 एक्स 40 एक्स 1.2 mtrs पर 3 mm	12 मिमी व्यास.

			एमएस एंगल।	

4. निर्माण का नलिकाएँ: अगले अंक चाहिए होना भी माना जबकि छलरचना का नलिकाएं।

a. सभी डक्ट्स को कारीगर की तरह बनाया और लगाया जाएगा, जो आम तौर पर संबंधित IS कोड (आज तक बदला और संशोधित) के अनुसार होगा।

b. डक्ट अंदर से सीधे और चिकने होने चाहिए और उनके जोड़ साफ़-सुथरे होने चाहिए। जोड़ एयरटाइट होने चाहिए। सभी कनेक्शन और जोड़ों में डक्ट फ्लैंज के बीच रबर गैस्केट लगाया जाना चाहिए।

c. डक्ट्स के साइज़ और आकार में बदलाव धीरे-धीरे होना चाहिए। हवा के सही बहाव और टर्बुलेंस को कम करने के लिए, मोड़, ब्रांच टेक-ऑफ और कॉलर पर जहाँ भी ज़रूरी हो, वहाँ टर्निंग वेन्स, डिफ्लेक्टिंग स्कूप्स, या इक्वलाइज़िंग अरेंजमेंट दिए जाने चाहिए।

d. **फ्लैट ओवल डक्ट वर्क** के मामले में , साफ किया जाएगा और ठीक से तैयार किया जाएगा, जहां भी ज़रूरत हो, वहां कम्पैटिबल प्राइमर दिया जाएगा, और बैंक द्वारा अप्रूव्ड रंग की **स्प्रे पेंटिंग के दो कोट से फिनिश किया जाएगा** । कोटिंग सिस्टम संबंधित गैल्वेनाइज्ड स्टील / माइल्ड स्टील सतहों के लिए सही होगा।

e. सभी डक्ट्स को छत/स्लैब से एमएस सस्पेंशन रॉड्स, एंगल्स, ब्रैकेट्स और अप्रूव्ड एंकर्स से सपोर्ट दिया जाएगा, जो डक्ट के साइज़ और पूरे इंस्टॉल्ड लोड के लिए सही हों, जिसमें इंसुलेशन और एक्सेसरीज़ (ऊपर टेबल में दी गई हैं) शामिल हैं। सस्पेंशन-रॉड का डायमीटर, सपोर्ट सेक्शन और स्पेसिंग IS 655 और अप्रूव्ड सपोर्ट शेड्यूल के हिसाब से होनी चाहिए। एंकर्स को सही स्ट्रक्चरल मेंबर्स पर फिक्स किया जाएगा, और डक्ट्स को फॉल्स सीलिंग या दूसरी सर्विसेज़ पर लोड डाले बिना इंडिपेंडेंटली सपोर्ट दिया जाएगा।

f. सभी डक्ट्स मज़बूत होने चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें सही साइज़ के स्टैंडिंग सीम, टीज़ या एंगल से ठीक से सपोर्ट और मज़बूती दी जानी चाहिए, ताकि डक्ट्स सही आकार के रहें और उनमें खिंचाव, कंपन और टूट-फूट न हो।

g. नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में डक्टवर्क में कोई गलत वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। इक्विपमेंट वाइब्रेशन और शोर को फैलने से रोकने के लिए मौजूदा एएचयू और नए डक्ट/प्लेनम असेंबली के बीच एक एयरटाइट, फायर-रिटार्डेंट फ्लेक्सिबल कनेक्शन दिया जाएगा। कनेक्शन में हेवी-ड्यूटी फायर-रिटार्डेंट फैब्रिक होगा जिस पर फायर-रेसिस्टेंट सिलिकॉन या नियोप्रीन की कोटिंग होगी, और इसे सही क्लैंपिंग, सीलिंग और फिक्सिंग एक्सेसरीज़ के साथ गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉलर पर सुरक्षित रूप से फिक्स किया जाएगा, जैसा कि निविदा में बताया गया है।

h. सभी नट, बोल्ट और वॉशर ज़िंक प्लेटेड स्टील के होंगे। सभी रिवेट गैल्वेनाइज्ड होंगे या मैग्नीशियम-एल्युमिनियम एलॉय से बने होंगे। सेल्फ-टैपिंग स्क्रू का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

i. रेक्टेंगुलर डक्ट्स को बीओक्यू में बताए अनुसार फैक्ट्री / साइट पर बनाया जा सकता है। फ्लैट ओवल स्पाइरल डक्ट्स फैक्ट्री में ही बनाए जाएंगे। बनाने और लगाने का काम IS 655, मंज़ूर कंस्ट्रक्शन डिटेल्स और इन स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से होगा। फैक्ट्री में बने डक्ट्स और फिटिंग्स को ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और बनाने के दौरान खराबी और नुकसान से बचाया जाएगा।

j. डक्टिंग की अंदरूनी सतह चिकनी होनी चाहिए।

k. रेक्टेंगुलर डक्ट पैनल को IS 655 और अप्रूव्ड फैब्रिकेशन शेड्यूल के हिसाब से क्रॉस-ब्रोकन, बीडेड या किसी और तरह से कड़ा किया जाएगा। फ्लैट ओवल स्पाइरल डक्ट को उनके अप्रूव्ड फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन सिस्टम के हिसाब से मज़बूत किया जाएगा। रेक्टेंगुलर-पैनल क्रॉस-ब्रेकिंग की ज़रूरतों को फ्लैट ओवल स्पाइरल डक्टवर्क पर बिना सोचे-समझे लागू नहीं किया जाएगा।

l. जहां तक हो सके, लंबे रेडियस वाले एल्बो और आकार में धीरे-धीरे बदलाव का इस्तेमाल एक जैसी वेलोसिटी बनाए रखने के लिए किया जाएगा, साथ ही टर्बुलेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा और शोर भी कम से कम होगा। डक्ट के साइज़ और एल्बो के रेडियस का रेश्यो आम तौर पर 1:1.5 से कम नहीं होना चाहिए।

m. रेक्टेंगुलर डक्टवर्क में टीडीएफ़ या एंगल-फ्लैंज्ड ट्रांसवर्स कनेक्शन दिए जाएंगे, जो अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन के हिसाब से सही होंगे। फ्लैट ओवल स्पाइरल डक्टवर्क में सही फ्लैंज्ड / अप्रूव्ड प्रोप्राइटरी कनेक्शन दिए जाएंगे। कनेक्शन में कम्पैटिबल गैस्केट, फास्टनर, कॉर्नर पीस, क्लीट, सीलिंग और रीइन्फोर्समेंट शामिल होंगे, जहां भी ज़रूरी हो, ताकि अलाइनमेंट, रिजिडिटी और एयरटाइटनेस बनी रहे। संयुक्त स्पेसिंग IS 655 और अप्रूव्ड फैब्रिकेशन डिटेल्स के हिसाब से होगी।

n. IS 655 और अप्रूव्ड फैब्रिकेशन शेड्यूल के हिसाब से ज़रूरी जगहों और स्पेसिंग पर स्टिफ़निंग एंगल, ब्रेसिंग और दूसरी मज़बूती दी जाएगी, जिसमें डक्ट का साइज़, शीट की मोटाई, ऑपरेटिंग प्रेशर और कनेक्शन की व्यवस्था का ध्यान रखा जाएगा। मज़बूती से मंज़ूर क्लियर एयरवे में रुकावट डाले बिना डिस्टॉर्शन, बकलिंग और वाइब्रेशन को रोका जाएगा।

5. वायु आउटलेट और इनलेट्स (आपूर्ति और वापसी)

a. सभी एयर आउटलेट और इनटेक एक्सट्रूडेड एल्यूमीनियम सेक्शन से बने होंगे और साफ-सुथरे दिखेंगे और मैकेनिकल संयुक्त के साथ मज़बूत होंगे।

b. सप्लाई एयर ग्रिल पाउडर-कोटेड एक्सट्रूडेड एल्यूमीनियम से बनी होंगी, जिनमें एयरफ्लो को डायरेक्ट करने के लिए अलग-अलग एडजस्टेबल फ्रंट और रियर लूवर होंगे, साथ ही मैचिंग कॉलर, ऑपोज़्ड-ब्लेड कॉलर डैम्पर, गैस्केट और कंसील्ड फिक्सिंग एक्सेसरीज़ भी होंगी। 400 × 100 mm की सप्लाई ग्रिल, जो सीधे फ्लैट ओवल डक्ट पर लगी होंगी, उनकी बॉडी डक्ट प्रोफाइल से मैच करती हुई घुमावदार होंगी, और जहाँ भी ज़रूरत हो, डिफ्लेक्टिंग स्कूप / इक्वलाइज़िंग अरेंजमेंट होंगे। 800 × 100 mm की सप्लाई ग्रिल, अप्रूव्ड ड्राइंग में दिखाई गई रेक्टेंगुलर सप्लाई ब्रांच के लिए सही होंगी। फ्रेम कम से कम 1.0 mm मोटे और ब्लेड कम से कम 0.8 mm मोटे होने चाहिए। कलर फिनिश बैंक से अप्रूव्ड होगा।

c. सीलिंग पर लगे आउटलेट / रिटर्न ग्रिल में फ्लश माउंटिंग के लिए सही फ्रेम होने चाहिए और उनमें मैचिंग कॉलर / कनेक्शन, गैस्केट और छिपे हुए फिक्सिंग अरेंजमेंट शामिल होने चाहिए। कॉम्बिनेशन सप्लाई और रिटर्न ग्रिल में एक सेंट्रल एडजस्टेबल सप्लाई सेक्शन और बगल में फिक्स्ड-ब्लेड रिटर्न सेक्शन होंगे, जिनके डाइमेंशन और कनेक्शन बीओक्यू और अप्रूव्ड ड्रॉइंग में बताए गए होंगे। असेंबली में एक कस्टमाइज़्ड शीट मेटल प्लेनम / कनेक्टिंग अरेंजमेंट होगा जिसमें एक एयरटाइट इंसुलेटेड आइसोलेशन बैफल, ऑपोज़िट-ब्लेड डैम्पर वाला सप्लाई कॉलर, सपोर्ट और एक्सेसरीज़ होंगी ताकि सप्लाई और रिटर्न पाथ के बीच पूरी तरह से अलगाव बना रहे। असेंबली को बताई गई सप्लाई और रिटर्न एयर की मात्रा को ध्यान में रखकर चुना जाएगा।

d. गोल सीलिंग आउटलेट / इनटेक में निविदा स्पेसिफिकेशन्स में बताए गए फ्लश या एंटी स्मज आउटर कोन होंगे। फ्लश आउटर कोन का निचला किनारा उस फिनिश्ड सीलिंग के नीचे 5 mm से ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए जिसमें इसे फिट किया गया है। एंटी-स्मज कोन का आउटर कोन प्रोफ़ाइल इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि एयर आउटलेट के पास सीलिंग पर गंदगी जमा न हो। इन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मेटल शीट कम से कम 1.0 mm मोटी एक्सट्रूडेड एल्यूमीनियम शीट होगी।

e. लीनियर रिटर्न एयर ग्रिल पाउडर-कोटेड एक्सट्रूडेड एल्यूमीनियम से बनी होगी, जिसमें चार स्लॉट होंगे, जिसकी कुल बैंड चौड़ाई 200 mm और इंस्टॉल्ड लंबाई 10 m होगी, जैसा कि अप्रूव्ड ड्राइंग में दिखाया गया है। असेंबली में फ्रेम, एंड पीस, अलाइनमेंट अरेंजमेंट, सपोर्ट और कंसील्ड फिक्सिंग एक्सेसरीज़ शामिल होंगी। स्लॉट का साइज़ और खाली स्थान अप्रूव्ड रिटर्न एयरफ्लो के लिए सही होगी। एल्यूमीनियम सेक्शन कम से कम 1.0 mm मोटे होने चाहिए। कलर फिनिश बैंक से अप्रूव्ड होगा।

f. ग्रिल को सही मैकेनिकल इंटरलॉकिंग / फिक्सिंग अरेंजमेंट से जोड़ा जाएगा ताकि डिस्टॉर्शन और खड़खड़ाहट न हो। सप्लाई ग्रिल / सप्लाई सेक्शन के लिए बताए गए तरीके से एडजस्टेबल रियर डिफ्लेक्शन ब्लेड दिए जाएंगे। रिटर्न ग्रिल / रिटर्न सेक्शन में फिक्स्ड 0° ब्लेड या बीओक्यू में बताया गया अप्रूव्ड रिटर्न कोर होना चाहिए। खुली सतहों पर बिना किसी डिस्टॉर्शन या फिक्सिंग डिफेक्ट के एक जैसा फिनिश दिखना चाहिए।

g. सप्लाई एयर ग्रिल और कॉम्बिनेशन ग्रिल के सप्लाई सेक्शन में ऑपोज़िट-ब्लेड कॉलर डैम्पर्स दिए जाएंगे, साथ ही एडजस्टमेंट और मेंटेनेंस के लिए सही ऑपरेटिंग अरेंजमेंट भी होंगे। मैचिंग कॉलर, कॉलर डैम्पर्स और फिक्सिंग एक्सेसरीज़ पूरी ग्रिल असेंबली का हिस्सा होंगे और उन्हें संबंधित ग्रिल रेट में शामिल किया जाएगा। रिटर्न ग्रिल / रिटर्न सेक्शन बिना डैम्पर्स के होंगे, जब तक कि अप्रूव्ड ड्रॉइंग में खास तौर पर ज़रूरी न हो। बीओक्यू में अलग से शेड्यूल किए गए मेन ब्रांच वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर्स को उनके संबंधित आइटम के तहत मापा और पेमेंट किया जाएगा।

6. एयर बैलेंसिंग: पूरे एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सही कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके टेस्ट और बैलेंस किया जाएगा, और गैर-ज़रूरी थ्रॉटलिंग लॉस को कम करने के लिए एडजस्टमेंट किए जाएंगे। बैलेंसिंग से पहले, ठेकेदार को हर आउटलेट पर ज़रूरी एयर क्वांटिटी की पहचान करते हुए, अप्रूवल के लिए एक आउटलेट एयरफ्लो शेड्यूल जमा करना होगा। एएचयू डिस्चार्ज और अलग-अलग सप्लाई आउटलेट्स पर मापी गई एयर क्वांटिटी अप्रूव्ड वैल्यू के ±5% के अंदर होनी चाहिए। ठेकेदार को फाइनल एयरफ्लो रीडिंग, डैम्पर सेटिंग्स, इंस्ट्रूमेंट की जानकारी और कमीशनिंग रिकॉर्ड बैंक को जमा करने होंगे।

7. डक्ट्स पर थर्मल इंसुलेशन: थर्मल इंसुलेशन 9 mm मोटा, क्लोज्ड-सेल इलास्टोमेरिक नाइट्राइल रबर एएलपी इंसुलेशन होगा जिसकी डेंसिटी 40-55 Kg / m3 फैक्ट्री-लैमिनेटेड होगी, जिसमें मैट-फिनिश एल्यूमीनियम फॉयल फेसिंग होगी, जो क्लास “O” फायर क्लासिफिकेशन देगा, साथ ही मैन्युफैक्चरर द्वारा रिकमेंडेड लो-वीओसी एडहेसिव, संयुक्त सीलिंग और एक्सेसरीज़ के साथ कम्पैटिबल होगा। लाइनिंग के बाद अप्रूव्ड क्लियर इंटरनल एयरवे को बनाए रखा जाएगा। इंटरनल-लाइनिंग की सूटेबिलिटी, फेसिंग, एडहेसिव और संयुक्त-ट्रीटमेंट डिटेल्स फैब्रिकेशन से पहले अप्रूवल के लिए सबमिट की जाएंगी। ग्रिल ओपनिंग और एक्सेस अरेंजमेंट्स क्लियर रखे जाएंगे। एप्लीकेशन लोकेशन अप्रूव्ड इंसुलेशन लेआउट और संबंधित बीओक्यू आइटम्स के अनुसार होंगी।

a. बाहरी थर्मल इंसुलेशन: तय छिपे हुए रेक्टेंगुलर डक्ट को फैक्ट्री-लैमिनेटेड मैट-फिनिश एल्यूमीनियम फॉयल-फेस्ड इंसुलेशन से बाहर से इंसुलेट किया जाएगा। लगाने से पहले सतहों को साफ और तैयार किया जाएगा। लगातार इंसुलेशन और वेपर कंट्रोल बनाए रखने के लिए जोड़ों, कटे हुए किनारों, फ्लैंज और सपोर्ट इंटरफेस का ट्रीटमेंट किया जाएगा। मैन्युफैक्चरर द्वारा जहां भी रिकमेंड किया गया हो, वहां 50 mm चौड़ी और 3 mm मोटी सेल्फ-एडहेसिव नाइट्राइल रबर टेप सहित कम्पैटिबल सीलिंग मटीरियल दिए जाएंगे।

b. अंदरूनी थर्मल लाइनिंग: तय खुले फ्लैट ओवल डक्ट्स के अंदर इंसुलेशन लगा होगा, जिसमें मैन्युफैक्चरर से मंज़ूर टिकाऊ फेसिंग होगी जो डक्ट एयरस्ट्रीम के संपर्क में आने के लिए सही होगी। लाइनिंग को सुरक्षित रूप से जोड़ा जाएगा, और जहाँ भी ज़रूरत हो, मैकेनिकल रिटेंशन होगा। सभी जोड़ों, किनारों और छेदों को सील किया जाएगा, और ढीली फेसिंग, खुला चिपकने वाला या बिना सुरक्षित किया हुआ सामान एयरस्ट्रीम में नहीं रहना चाहिए।

8. डक्ट प्लेनम पर अकूस्टिक लाइनिंग / इंसुलेशन: एएचयू प्लेनम और अप्रूव्ड ड्राइंग में अकूस्टिक ट्रीटमेंट के लिए मार्क किए गए शुरुआती डक्ट सेक्शन में कम से कम 10 mm मोटी ओपन-सेल नाइट्राइल रबर फोम अकूस्टिक लाइनिंग की सप्लाई और इंस्टॉलेशन। मटीरियल की डेंसिटी 140–180 kg / m³ होनी चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी 0.047 W / m / K से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आग के सरफेस स्प्रेड और एंटीमाइक्रोबियल प्रोडक्ट प्रोटेक्शन के लिए क्लास 1 रेटिंग होनी चाहिए। काम में अंदरूनी सरफेस की तैयारी, मैन्युफैक्चरर द्वारा रिकमेंडेड लो-VOC एडहेसिव, जहाँ भी ज़रूरत हो, पिन / वॉशर के साथ मैकेनिकल फिक्सिंग, अप्रूव्ड एयरसाइड फिनिश, सील्ड किनारे और सभी एक्सेसरीज़ शामिल होंगी। अकूस्टिक और थर्मल ट्रीटमेंट को कोऑर्डिनेट किया जाएगा ताकि अनअप्रूव्ड लेयर्स की ओवरलैपिंग और अप्रूव्ड क्लियर एयरवे में कमी से बचा जा सके। हर अप्रूव्ड लेयर को उसके संबंधित बीओक्यू आइटम के तहत एक बार मापा जाएगा।

9. माप का तरीका: अगले माप कोड करेगा आवेदन करना को अनुबंध:

    a. धातु की चादर काम:

        i. डक्ट का माप (इंसुलेटेड डक्ट के लिए) लगाने से पहले लिया जाएगा। इन्सुलेशन। अंतिम रूप से समाप्त शीट क्षेत्र करेगा होना वर्ग में मापा जाता है। मीटर केवल। डक्ट के काम को बाहरी सरफेस एरिया के आधार पर सेक्शन के हिसाब से मापा जाएगा। इसके लिए हर सेक्शन के लिए फ्लैंज फेस से फ्लैंज फेस तक की एक्सियल लंबाई को उस सेक्शन की लंबाई के सेंटर में संबंधित डक्ट पेरिमीटर से गुणा किया जाएगा।

        ii. i) की तरह मापा जाएगा । हालांकि, टीज़, बेंड वगैरह जैसे खास पीस के लिए, सरफेस एरिया का कैलकुलेशन ऐसे पीस के आकार के हिसाब से किया जाएगा।

        iii. बताए गए डक्टवर्क रेट में वेस्टेज, फ्लैंज, संयुक्त गैस्केट, फास्टनर, सीलिंग, ब्रेसिंग, हैंगर, सपोर्ट, एक्सेस पैनल, टर्निंग / स्प्लिटर वेन्स और बताए गए डक्ट इंस्टॉलेशन को पूरा करने के लिए ज़रूरी सभी दूसरी एक्सेसरीज़ शामिल होंगी। इन एक्सेसरीज़ को अलग से नहीं मापा जाएगा। बीओक्यू में अलग से शेड्यूल किए गए मेन ब्रांच वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर्स को डक्टवर्क माप से बाहर रखा जाएगा। कम्पोजिट ग्रिल आइटम में शामिल ग्रिल प्लेनम / कनेक्टिंग अरेंजमेंट को डक्टवर्क के तौर पर दोबारा नहीं मापा जाएगा।

        iv. sq. mtrs में मापी गई ग्रिल्स को उनके नॉमिनल नेक एरिया से मापा जाएगा, जिसमें फ्रेम और माउंटिंग फ्लैंज शामिल नहीं हैं, यह पैरा 9(b) के तहत होगा। उनके रेट में मैचिंग कॉलर/कनेक्शन, लागू कॉलर डैम्पर्स, गैस्केट, फ्रेम और फिक्सिंग एक्सेसरीज़ शामिल होंगी। इन शामिल कंपोनेंट्स के लिए कोई अलग पेमेंट नहीं किया जाएगा। यह नियम बीओक्यू में अलग से शेड्यूल किए गए मेन ब्रांच वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर्स पर लागू नहीं होगा।

v. कॉम्बिनेशन सप्लाई और रिटर्न ग्रिल को उनके कुल नॉमिनल नेक एरिया से एक बार मापा जाएगा, फ्रेम को छोड़कर। उनके रेट में बताया गया कनेक्टिंग प्लेनम, एयरटाइट इंसुलेटेड आइसोलेशन अरेंजमेंट, सप्लाई कॉलर डैम्पर, सपोर्ट और एक्सेसरीज़ शामिल होंगे, डक्टवर्क या इंसुलेशन आइटम के तहत अलग से पेमेंट नहीं करना होगा। चार-स्लॉट वाली लीनियर रिटर्न ग्रिल को उसकी इंस्टॉल्ड रनिंग लेंथ से मापा जाएगा। इससे जुड़ा रिटर्न डक्ट /प्लेनम, जहाँ डक्टवर्क स्कोप में अलग से शामिल है, उसे संबंधित डक्टवर्क आइटम के तहत बिना डुप्लीकेट पेमेंट के मापा जाएगा।

b. ग्रिल: स्क्वायर मीटर में तय ग्रिल को फ्रेम और माउंटिंग फ्लैंज को छोड़कर, नॉमिनल नेक एरिया से मापा जाएगा। 0.10 sq. mtrs से कम नेक एरिया वाली कोई भी पूरी ग्रिल 0.10 sq. mtrs के तौर पर मापी जाएगी। एक कॉम्बिनेशन सप्लाई और रिटर्न यूनिट को एक पूरी ग्रिल माना जाएगा, और इसके सप्लाई और रिटर्न हिस्सों को अलग-अलग नहीं मापा जाएगा। रनिंग मीटर में मापी गई चार-स्लॉट लीनियर रिटर्न ग्रिल पर मिनिमम-एरिया का नियम लागू नहीं होगा।

c. डक्ट का इंसुलेशन: इंसुलेशन को उस बेयर-डक्ट सरफेस एरिया के आधार पर मापा जाएगा जिसे असल में संबंधित एक्सटर्नल थर्मल, इंटरनल थर्मल या अकूस्टिक इंसुलेशन आइटम के तहत ट्रीट किया गया है। वेस्टेज, लैप्स, संयुक्त टेप, या फिक्सिंग एक्सेसरीज़ के लिए कोई अतिरिक्त माप की इजाज़त नहीं होगी। अकूस्टिक लाइनिंग को सिर्फ़ तय ट्रीट किए गए सेक्शन पर ही मापा जाएगा। कम्पोजिट ग्रिल / प्लेनम आइटम में शामिल इंसुलेशन को दोबारा नहीं मापा जाएगा। जहाँ एक ही डक्ट सेक्शन पर अलग-अलग अप्रूव्ड थर्मल और अकूस्टिक ट्रीटमेंट लागू होते हैं, वहाँ हर ट्रीटमेंट को उसके संबंधित आइटम के तहत एक बार मापा जाएगा।

d. फ्लेक्सिबल कनेक्शन: एएचयू फ्लेक्सिबल कनेक्शन को अप्रूव्ड डाइमेंशन की एक पूरी इंस्टॉल्ड असेंबली के तौर पर मापा जाएगा, जिसमें फैब्रिक, कॉलर, क्लैंपिंग अरेंजमेंट, सीलिंग और फिक्सिंग एक्सेसरीज़ शामिल हैं।

e. मेन ब्रांच वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर्स: मेन ब्रांच वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर्स को बीओक्यू में बताए गए साइज़ की पूरी तरह से इंस्टॉल की गई असेंबली के तौर पर मापा जाएगा, जिसमें फ्रेम, ब्लेड, लिंक, ऑपरेटिंग अरेंजमेंट, कनेक्शन और एक्सेसरीज़ शामिल हैं। ग्रिल असेंबली में शामिल कॉलर डैम्पर्स को इस आइटम के तहत नहीं मापा जाएगा।

10. इस निविदा में कहीं और बताई गई दूसरी बातों के अलावा, कोट किए गए रेट में ये चीज़ें शामिल होंगी:

a. ऊपर बताई गई चीज़ों को बनाने और लगाने, मचान (जिसमें लगाना और हटाना भी शामिल है) के लिए ज़रूरी सभी मज़दूर, सामान, औज़ार और कंस्ट्रक्शन का सामान।

b. सिविल काम में, डक्ट और डक्ट की ब्रांच को स्थान देने के लिए, मौजूदा ईंट/पत्थर की दीवारों/पैनलिंग के ज़रिए, ज़रूरी और ज़रूरी ड्राइंग में बताए गए सही साइज़ की दीवार की ओपनिंग बनाना शामिल है। इसमें सीमेंट प्लास्टर और ईंटवर्क से ओपनिंग को ठीक से फिनिश करना, साथ ही सभी खराब सतहों को ठीक करना शामिल है।

c. डक्ट्स लगाने के बाद, अगर कोई सिविल काम खराब हुआ हो, तो उसे ठीक करना।

d. बैंक के इंजीनियर के साथ तय हुए इस काम से निकलने वाले मलबे को रेगुलर साफ़ करना। अगर बैंक की संतुष्टि के अनुसार ऐसा नहीं किया जाता है, तो फ़र्म को मिलने वाला पेमेंट तब तक रोका जा सकता है जब तक कि सफ़ाई न हो जाए / दूसरी एजेंसियों के ज़रिए मलबे को हटाने का खर्च ठेकेदार से उनके पेमेंट में से सही कटौती करके वसूला जा सकता है।

ठेकेदार के हस्ताक्षर और सील:

फर्म का नाम:

स्थान:
दिनांक:

खंड-IX

लेआउट


SECTION AA
SECTION BB
NOTES
REVISION
R.No
Date
Drawn
Remarks
Key Plan
FOR APPROVAL PURPOSE ONLY
Structural Consultants
Services Consultants
Contractor
Project
COMMERCIAL BUILDING
Location
KOCHI
Client
RESERVE BANK OF INDIA
Title
HVAC LAYOUT
Drawn : Ar. Midhun Babu
Checked : Ar. ISWARIA
Scale : 1:100
Date : 14/10/2024
Drawing No.
BC/AR/40
01.1 THIRD FLOOR
BUILDING CONCEPTS
Architecture | Engineering
Interiors | Urban Design

खंड -X

स्वीकृत ब्रांडों की सूची

1. आइटम नीचे बताए गए ब्रांड में से बनाए जाएंगे। सभी आइटम, इक्विपमेंट, फिटिंग बैंक के अप्रूवल पर निर्भर होंगे।

वस्तु	स्वीकृत ब्रांड
जीएसएस	टाटा / जिंदल / सेल
फैक्ट्री में बने / तैयार डक्ट	मल्टीलाइन / सेवन स्टार या समकक्ष
इन्सुलेशन सामग्री	आर्मासेल / के-फ्लेक्स / ए-फ्लेक्स / एएलपी एरोफ्लेक्स / सुप्रीम / यूपी ट्विगा / ओवेन्स कॉर्निंग / थर्मोब्रेक या समकक्ष
सप्लाई / रिटर्न एयर ग्रिल / डिफ्यूज़र	डायनाक्राफ्ट / एयरमास्टर / कॉसमॉस / सिंक्रो / कैरियर / कॉस्मिक या इसके बराबर
डैंपर	डायनाक्राफ्ट / एयरमास्टर / कॉसमॉस / सिंक्रो / कैरियर / कॉस्मिक या इसके बराबर

2. मटीरियल , इक्विपमेंट और एक्सेसरीज़ के मेक ऊपर दिए गए अप्रूव्ड-मेक शेड्यूल से चुने जाएंगे, जो बैंक की मंज़ूरी पर निर्भर करेगा। सभी मटीरियल संबंधित स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार होंगे, और जहाँ भी लागू हो, BIS मार्किंग/सर्टिफ़िकेशन दिया जाएगा। अप्रूव्ड लिस्ट में किसी मेक को शामिल करने से **ठेकेदार** को बताई गई मटीरियल प्रॉपर्टीज़, परफ़ॉर्मेंस और एप्लिकेशन की ज़रूरतों के कम्प्लायंस से छूट नहीं मिलेगी।

मैं / हम यह घोषणा करते हैं कि मैंने / हमने ऊपर दिए गए स्पेसिफिकेशन्स को पढ़ और समझ लिया है।

ठेकेदार के हस्ताक्षर और सील:

फर्म का नाम:

स्थान:
दिनांक:

अनुबंध -1

निषेध की घोषणा के संबंध में वचन

(निविदा को अपने लेटरहेड पर जमा करना होगा)

कार्य का नाम: ओबी, आरबीआई, कोच्ची में तीसरी मंजिल के नवीनीकरण के संबंध में विद्युत कार्य।

1. मैं / हम ..... (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता हूँ / करते हैं कि

    a. मैं/हम या हमारी कोई भी संबद्ध फर्म* भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्था/इकाई द्वारा .....(बोली जमा करने की अंतिम तिथि) को प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में नहीं डाला गया है।

    b. मैंने/हमने या हमारी किसी संबद्ध फर्म* ने पिछले तीन वर्षों में (बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि) तक भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/इकाई के साथ सत्यनिष्ठा संहिता (जैसा कि निविदा में उल्लिखित है) के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है।

    c. मुझे/हमें या हमारी किसी भी सहयोगी फर्म* को बिड जमा करने की आखिरी दिनांक तक पब्लिक प्रोक्योरमेंट (मेक इन इंडिया) ऑर्डर, 2017 के उल्लंघन के लिए किसी भी प्रोक्योरिंग एंटिटी द्वारा डिबार नहीं किया गया है।

    d. अगर मुझे/हमें या हमारी किसी जुड़ी हुई फर्म* को भारत या किसी दूसरे देश में किसी पब्लिक संस्था/एंटिटी द्वारा बताए गए काम के लिए काम मिलने पर या उससे पहले डिबार/सस्पेंड/ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, तो मैं/हम बैंक को लिखकर बता देंगे।

2. मैं / हम .....(बोली लगाने वाले का नाम) यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं / हम या हमारी सहयोगी फर्म* .....(सहयोगी फर्म(फर्मों) का नाम) को .....(भारत या किसी अन्य देश में सार्वजनिक संस्था का नाम और पता) द्वारा प्रतिबंधित / निलंबित / काली सूची में डाला गया है और यह .....(दिनांक) तक प्रभावी है। ऐसे पत्र की एक प्रति आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए संलग्न है।

(बोली लगाने वाले की मुहर और हस्ताक्षर)

दिनांक:

स्थान:

(नोट: ऊपर दिए गए दो डिक्लेरेशन में से जो लागू न हो उसे काट दें)

*एलाइड फर्म: एक फर्म को “एलाइड फर्म” कहा जाएगा अगर मैनेजमेंट कॉमन हो, या बैन/सस्पेंडेड फर्म के पास काफी या मेजोरिटी शेयर हों और इस वजह से उसका कंट्रोलिंग वॉइस हो। इसके अलावा, सभी सक्सेसर फर्मों को भी एलाइड फर्म माना जाएगा।

अनुबंध -2

काम को समझने के लिए निविदा देने वाले को साइट विज़िट के बारे में अंडरटेकिंग देनी होगी

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिजर्व बैंक, कोच्ची

मैडम सर,

कार्य का नाम: ओबी, आरबीआई, कोच्ची में तीसरी मंजिल के लिए सेंट्रल एसी डक्ट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।

हम, मेसर्स _____ (ठेकेदार का नाम), ऊपर दिए गए काम के लिए निविदा देने वाले, कन्फर्म करते हैं कि हमने साइट विज़िट की है और मौजूदा सिस्टम, अभी काम कर रहे सिस्टम और प्रपोज़्ड सिस्टम के काम के स्कोप की सही डिटेल्स समझ ली हैं।

ठेकेदार के हस्ताक्षर और सील:

फर्म का नाम:

स्थान:
दिनांक:

अनुबंध 3

निविदा लेबर नियमों/ रेगुलेशन का पालन न करने पर नियोक्ता को हर्जाना देने के लिए प्रोफ़ॉर्मा

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिजर्व बैंक, कोच्ची

मैडम/ सर,

कार्य का नाम: ओबी, आरबीआई, कोच्ची में तीसरी मंजिल के लिए सेंट्रल एसी डक्ट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।

हम, मेसर्स _____ (ठेकेदार का नाम), इसके द्वारा यह वादा करते हैं कि हम निविदा लेबर की नौकरी और उनके पेमेंट के बारे में सभी कानूनी नियमों का पालन करेंगे।

हम इसके द्वारा नियोक्ता, यानी भारतीय रिज़र्व बैंक को निविदा लेबर को किए जाने वाले पेमेंट और इस संबंध में कानूनों के पालन के लिए पूरी तरह से हर्जाना देते हैं और हर्जाना देते रहेंगे, बिना हमारे उप-ठेकेदार से हर्जाना मांगने के हमारे अधिकार पर कोई असर डाले।

आपका विश्वासी,

ठेकेदार के हस्ताक्षर और सील:

फर्म का नाम:

स्थान:
दिनांक:

अनुबंध- 4

विचलन की अनुसूची

हम कन्फर्म करते हैं कि नीचे दिए गए डेविएशन को छोड़कर बैंक के सभी कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस हमें एक्सेप्टेबल हैं।

क्र	खंड सं.	खंड सं.	प्रस्तावित विचलन

ठेकेदार के हस्ताक्षर और सील:

फर्म का नाम:

स्थान:
दिनांक:

अनुबंध- 5

प्रदर्शन बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिजर्व बैंक, कोच्ची

प्रिय महोदय,

कार्य का नाम: **ओबी, आरबीआई, कोच्ची में तीसरी मंजिल के लिए सेंट्रल एसी डक्ट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।**

संदर्भ : **एनआईटी / विज्ञापन संख्या ……., दिनांक …….**

जबकि

भारतीय रिजर्व बैंक, कोच्ची जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है (जिसे आगे 'आरबीआई' कहा जाएगा) ने शीर्षक कार्य (जिसे आगे "अनुबंध" कहा जाएगा) के लिए अनुबंध मेसर्स ..... (ठेकेदार का नाम) (जिसे आगे "उक्त ठेकेदार" कहा जाएगा, जिसमें उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे) को दिया है।

और जबकि ठेकेदार, उक्त अनुबंध द्वारा आरबीआई को कुल ₹ ……. (रुपये …… मात्र) की एक प्रदर्शन सुरक्षा जमा करने के लिए बाध्य है, ताकि उक्त ठेकेदार द्वारा अनुबंध में निहित नियमों और शर्तों की उचित पूर्ति की जा सके। हम, ……(बैंक का नाम), (इसके बाद “बैंक” कहा जाएगा) मेसर्स ……, ठेकेदार के अनुरोध पर, अनुबंध के नियमों और शर्तों की उचित पूर्ति के लिए प्रदर्शन गारंटी के रूप में आरबीआई को ₹ ……. (रुपये …… मात्र) से अधिक राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

अब यह गारंटी गवाह है

1.0 हम, …….. (बैंक का नाम), इसके द्वारा आरबीआई, हमारे उत्तराधिकारियों के साथ सहमत हैं और यह दायित्व लेते हैं कि यदि आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ठेकेदार ने अनुबंध की शर्तों के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, तो यह निष्कर्ष हमारे साथ-साथ ठेकेदार पर भी बाध्यकारी होगा; हम आरबीआई द्वारा मांगे जाने पर, बिना किसी आपत्ति के आरबीआई को ₹ ……. (रुपये

..... केवल) की राशि या आरबीआई द्वारा मांगी गई कोई कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त शर्तों के तहत ठेकेदार के दायित्वों के उचित प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन सुरक्षा जमा के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के खिलाफ हमारी देयता ₹ ..... (रुपये ..... केवल) की राशि से अधिक नहीं होगी।

2.0 हम यह भी वचन देने और पुष्टि करने के लिए सहमत हैं कि उपरोक्त बताई गई रकम ₹ ..... (रुपये ..... केवल) से अधिक नहीं होगी, जिसका भुगतान हम बिना किसी आपत्ति या विरोध के, केवल आरबीआई से मांगने पर लिखित में नोटिस प्राप्त होने पर करेंगे जिसमें कहा गया हो कि रकम उन्हें देय है, और हम कोई और सबूत या प्रमाण नहीं मांगेंगे और आरबीआई का नोटिस हमारे लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगा और हमारे द्वारा किसी भी तरह से इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। बैंक आरबीआई को इस प्रकार मांगी गई कोई भी रकम का भुगतान करेगा, भले ही ठेकेदार द्वारा किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ(ो) के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में उठाए गए किसी भी विवाद के बावजूद और इस गारंटी के तहत देनदारी पूर्ण और स्पष्ट होगी। हम उपरोक्त नोटिस प्राप्त होने की दिनांक से एक सप्ताह की अवधि के भीतर आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3.0 हम कन्फर्म करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी आरबीआई और ठेकेदार के बीच हुए एग्रीमेंट या एग्रीमेंट्स या दूसरी समझ से अलग होगी।

4.0 आरबीआई की लिखित सहमति के बिना हम यह गारंटी रद्द नहीं करेंगे।

हम इस बात से भी सहमत हैं कि-

a) आरबीआई की तरफ से इस एग्रीमेंट की शर्तों को लागू करने में या इस निविदा और/या इसके तहत तय किसी भी नियम और शर्तों के पालन में कोई भी नरमी या कमीशन, या आरबीआई की तरफ से ठेकेदार को कोई समय देना या कोई रियायत दिखाना या उससे जुड़े किसी भी दूसरे मामले में, हमें और इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को किसी भी तरह से खत्म नहीं करेगा। यह गारंटी सिर्फ़ ठेकेदार द्वारा अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने और ऐसा करने में नाकाम रहने की स्थिति में, हमारी तरफ से ₹ ..... (सिर्फ़ रुपये .....) से ज़्यादा रकम का पेमेंट करने पर ही खत्म होगी।

ख) इन उपहारों के अंतर्गत हमारी देनदारी ₹ ..... (रुपये ..... मात्र) की राशि से अधिक नहीं होगी।

c) इस एग्रीमेंट के तहत हमारी ज़िम्मेदारी पर हमारे क्लाइंट्स/कंपनियों की तरफ से उस काम के लिए निविदा करने में किसी भी कमी या गड़बड़ी या उसके तहत उनकी ज़िम्मेदारियों या हमारे उन कंपनियों के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह के बदलाव या विघटन का कोई असर नहीं पड़ेगा।

d) यह गारंटी ……. (दोष देयता अवधि से ……. दिन आगे) तक लागू रहेगी, बशर्ते कि यदि आरबीआई चाहे तो इस गारंटी को उनके द्वारा बताई गई आगे की अवधि के लिए उन्हीं नियमों और शर्तों पर नवीनीकृत किया जा सकेगा, जो इसमें निहित हैं।

e) इन तोहफ़ों के तहत हमारी ज़िम्मेदारी खत्म हो जाएगी, जब तक कि इन तोहफ़ों को ऊपर बताए गए तरीके से ……. दिनांक को या उस दिन जब हमारे बताए गए लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं, रिन्यू नहीं किया जाता, जिसके लिए आरबीआई का लिखा हुआ सर्टिफ़िकेट ही पक्का सबूत है, जो भी दिनांक बाद में हो। जब तक ……. या किसी ज़्यादा समय के अंदर हमारे ख़िलाफ़ कोई क्लेम या केस या एक्शन फ़ाइल नहीं किया जाता, इस गारंटी के तहत हमारे ख़िलाफ़ आरबीआई के सभी अधिकार ज़ब्त कर लिए जाएँगे और हमें इसके तहत अपनी सभी ज़िम्मेदारियों और देनदारियों से आज़ाद कर दिया जाएगा।

आपका विश्वासी,

दा

_____ बैंक।

प्राधिकृत बैंक अधिकारी के सिग्नेचर (सील के साथ)

नाम:

पद का नाम:

स्थान:

दिनांक:

बैंक की मुहर/सील:

ऊपर बताए गए लोगों द्वारा बैंक की ओर से हस्ताक्षर, सील और डिलीवर किया गया, इनकी मौजूदगी में:

गवाह

(1) हस्ताक्षर के साथ
नाम, पता और दिनांक

(2) हस्ताक्षर
नाम, पता और दिनांक

नोट: इस गारंटी पर उस राज्य के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगेगी जहाँ इसे बनाया गया है, और इस पर उस अधिकारी का हस्ताक्षर होगा जिसके हस्ताक्षर और अथॉरिटी को वेरिफाई किया जाएगा।

अनुबंध -6

प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

इन प्रस्तुतियों से सभी पुरुषों को पता है, हम.....(बोली लगाने वाले का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) इसके द्वारा श्री/सुश्री .....(पावर ऑफ अटॉर्नी धारक का नाम और आवासीय पता) को, जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत हैं और ..... का पद धारण कर रहे हैं, हमारे अटॉर्नी के रूप में नियुक्त और अधिकृत करते हैं, कि वे हमारे नाम से और हमारी ओर से ' **ओबी, आरबीआई, कोच्ची में तीसरी मंजिल के लिए केंद्रीय एसी डक्ट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग' के लिए हमारी बोली के संबंध में या उससे संबंधित सभी ऐसे कार्य, कर्म और चीजें** करें जिसमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें जमा करना, बोली-पूर्व बैठक में व्यक्तियों को नियुक्त करना और आरबीआई को सूचना/प्रतिक्रिया देना, आरबीआई के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना और आम तौर पर उक्त परियोजना के लिए हमारे प्रस्ताव के संबंध में सभी मामलों में आरबीआई के साथ व्यवहार करना शामिल है।

हम इस पावर ऑफ़ अटॉर्नी के तहत हमारे अटॉर्नी द्वारा कानूनी तौर पर किए गए सभी कामों, कामों और चीज़ों को मंज़ूरी देने के लिए सहमत हैं और हमारे ऊपर बताए गए अटॉर्नी द्वारा किए गए सभी कामों, कामों और चीज़ों को हमेशा हमारे द्वारा किया गया माना जाएगा।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर / नाम /

बोली लगाने वाले की मुहर / मुहर

(**नोट:** पावर ऑफ़ अटॉर्नी पर ठीक से स्टैम्प और नोटराइज़ होना चाहिए। दिया गया पावर ऑफ़ अटॉर्नी इर्रिवोकेबल होगा। इस दस्तावेज़ पर उस राज्य के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, जहाँ इसे बनाया गया है और इस पर उस अधिकारी का हस्ताक्षर होगा जिसके हस्ताक्षर और अथॉरिटी को वेरिफाई किया जाएगा।)

अनुबंध- 7

ई-निविदा के बारे में ज़रूरी निर्देश

- प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई - प्रोक्योरमेंट **सेवा प्रदाता** / बिडर सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (**सीपीपीपी**) है । https://etenders.gov.in/eprocure/app

ई-**निविदा** का प्रोसेस: बिडर मैनुअल किट होम पेज पर उपलब्ध है।

नए बिडर के लिए रजिस्ट्रेशन : **इस** प्रोसेस में वेंडर का **सीपीपी पोर्टल** पर रजिस्ट्रेशन शामिल है जो फ्री है । https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=BiddersManualKit&service=page

किसी भी टेक्निकल सवाल के लिए 24 x 7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें:

- 0120-4001 002
- 0120-4001 005
- 0120- 4493395

इंटरनेशनल बिडर्स से रिक्वेस्ट है कि वे कंट्री कोड के तौर पर +91 लगाएं।

ईमेल सपोर्ट: पब्लिश हुए **निविदा** से जुड़े किसी भी इश्यू या क्लैरिफिकेशन के लिए, बिडर्स से रिक्वेस्ट है कि वे संबंधित **निविदा** इनवाइटिंग अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट करें।

- तकनीकी - support-eproc@nic.in
- नीति संबंधी - cppp-doe@nic.in

अनुबंध- 8

समझौते के लेख

(काम मिलने पर स्टाम्प पेपर पर जमा करना होगा। स्टाम्प पेपर का खर्च सफल बोली लगाने वाले को उठाना होगा।)

समझौता आलेख एक पक्ष के भारतीय रिजर्व बैंक, (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा) और दूसरे पक्ष के _____ _____ (जिसे आगे "ठेकेदार" कहा जाएगा) के बीच _____दिन को बनाए गए।

जबकि बैंक निम्नलिखित प्रदान करने का कार्य प्राप्त करने का इच्छुक है OB, आरबीआई, कोच्ची में तीसरी मंज़िल के लिए सेंट्रल AC डक्ट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग। और किए जाने वाले कामों के बारे में स्पेसिफिकेशन्स जारी किए हैं।

और जबकि बताए गए स्पेसिफिकेशन्स, क्वांटिटीज़ का शेड्यूल और ड्रॉइंग्स पर पार्टियों की ओर से या उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

और जबकि ठेकेदार यहां निर्धारित शर्तों और विशेष शर्तों और अनुबंध की मात्रा और शर्तों की अनुसूची में निर्धारित शर्तों के अधीन (जिन सभी को सामूहिक रूप से इसके बाद "उक्त शर्तें" कहा जाएगा) उक्त चित्रों में दिखाए गए और/या उक्त विनिर्देश में वर्णित और मात्राओं की अनुसूची में शामिल कार्यों को उसमें निर्धारित संबंधित दरों पर निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है, जो उसमें तय राशि या उसके तहत देय ऐसी अन्य राशि के बराबर होगी (जिसे इसके बाद 'उक्त अनुबंध राशि' कहा जाएगा)।

अब यह इस प्रकार सहमत है:

1. बताई गई शर्तों में बताए गए समय और तरीके से पेमेंट की जाने वाली निविदा रकम के बदले में, ठेकेदार बताई गई शर्तों के तहत, बताई गई ड्रॉइंग्स में दिखाए गए और बताई गई स्पेसिफिकेशंस और क्वांटिटीज़ के शेड्यूल में बताए गए काम को पूरा करेगा।

2. बैंक ठेकेदार को बताई गई निविदा रकम, या कोई दूसरी रकम जो देने लायक हो, शर्तों में बताए गए समय और तरीके से देगा।

3. यहां बताई गई शर्तें और परिशिष्ट इस एग्रीमेंट का हिस्सा माने जाएंगे और इसके सभी पक्ष इन शर्तों का पालन करेंगे, इनके अधीन रहेंगे और अपनी ओर से इन शर्तों में दिए गए एग्रीमेंट को पूरा करेंगे।

4. यहां बताए गए प्लान, एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट्स इस निविदा का आधार होंगे।

5. यह निविदा न तो एकमुश्त फिक्स्ड निविदा है और न ही पीस वर्क निविदा है, बल्कि यह OB, आरबीआई, कोच्ची में तीसरे फ्लोर के लिए सेंट्रल AC डक्ट की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग करने का निविदा है। यह अप्रूव्ड ड्रॉइंग, स्पेसिफिकेशन्स और शेड्यूल ऑफ़ क्वांटिटीज़ के अनुसार होगा, जिसका पेमेंट शेड्यूल ऑफ़ रेट्स में दिए गए रेट्स और संभावित क्वांटिटीज़ या बताई गई शर्तों में दिए गए रेट्स पर असल में मापी गई क्वांटिटीज़ के अनुसार किया जाएगा।

6. ठेकेदार, सिविल कामों और दूसरे सहायक कामों से जुड़े सभी कामों को शर्तों में बताए गए तरीके से करने के लिए हर ज़रूरी सुविधा देगा, और ऐसे काम पूरे होने के बाद दीवारों, फर्श वगैरह को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करेगा।

7. बैंक इस निविदा पर बिना किसी असर के, काम के किसी भी आइटम को जोड़कर या हटाकर, या उसके कुछ हिस्सों को करवाकर, ड्राइंग और काम के नेचर को बदलने का अधिकार अपने पास रखता है।

8. इस निविदा में समय को सबसे ज़रूरी माना जाएगा। ठेकेदार बैंक से फॉर्मल वर्क ऑर्डर/सूचना जारी होने की दिनांक के सातवें दिन काम शुरू करने और निविदा की शर्तों में दिए गए समय बढ़ाने के नियमों के तहत, काम शुरू होने के 90 दिनों के अंदर पूरा काम पूरा करने के लिए सहमत है।

9. इस निविदा के तहत बैंक द्वारा सभी पेमेंट सिर्फ़ कोच्ची में किए जाएंगे।

10. इस एग्रीमेंट से जुड़े या उससे जुड़े सभी झगड़े कोच्ची में हुए माने जाएंगे और उन्हें तय करने का अधिकार सिर्फ़ कोच्ची के कोर्ट के पास होगा।

11. ठेकेदार, नियोक्ता के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/इक्विपमेंट वगैरह की कोई भी जानकारी, मटीरियल और डिटेल्स, जो इस एग्रीमेंट के संबंध में निविदा की जिम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान उसके पास या जानकारी में आए, किसी तीसरे पक्ष को सीधे या इनडायरेक्ट तरीके से नहीं बताएगा और इसे हर समय पूरी तरह से सीक्रेट रखेगा। ठेकेदार निविदा की डिटेल्स को प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रखेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए यह ज़रूरी हो। ठेकेदार, नियोक्ता की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या टेक्निकल पेपर या कहीं और काम की कोई भी डिटेल्स पब्लिश नहीं करेगा, पब्लिश होने नहीं देगा, या शेयर नहीं करेगा। ठेकेदार, किसी भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी के डिस्क्लोजर की वजह से नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को हर्जाना देगा। ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने को ठेकेदार की तरफ से निविदा का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।

12. ठेकेदार/एजेंसी “काम की स्थान पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, रोक और समाधान) एक्ट, 2013” के नियमों का पूरी तरह से पालन करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा। बैंक परिसर में अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत होने पर, ठेकेदार/एजेंसी द्वारा बनाई गई इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी के सामने शिकायत दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त एक्ट के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। ठेकेदार

के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा बनाई गई रीजनल कंप्लेंट्स कमिटी द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

13. अगर घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हैं, तो ठेकेदार को किसी भी तरह के पैसे देने होंगे, जैसे कि अगर ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारी को कोई भी पैसे की राहत। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को काम की स्थान पर यौन उत्पीड़न से बचाव और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए ज़िम्मेदार होगा। ठेकेदार अपने मज़दूरों को इतनी संख्या में रखेगा कि काम की रफ़्तार और क्वालिटी बनी रहे, ताकि निविदा में बताई गई क्वालिटी का काम आरबीआई को संतुष्ट कर सके। ठेकेदार काम के सिलसिले में ऐसे किसी भी व्यक्ति को काम पर नहीं रखेगा जिसकी उम्र अठारह साल पूरी न हुई हो।

14. ठेकेदार द्वारा रखे गए सभी वर्कर या कर्मचारी ठेकेदार के कर्मचारी माने जाएंगे और ऐसे वर्कर /कर्मचारियों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक की किसी भी तरह की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। ठेकेदार अपने द्वारा सीधे काम पर रखे गए मज़दूरों को मिनिमम वेज एक्ट के अनुसार सही मज़दूरी से कम नहीं देगा। सही मज़दूरी का मतलब है, जिसमें हफ़्ते के आराम के दिन की मज़दूरी और दूसरे भत्ते शामिल होंगे, चाहे वे टाइम वर्क के लिए हों या पीस वर्क के लिए, आस-पड़ोस में इसी तरह के रोज़गार के लिए मौजूदा मार्केट रेट को ध्यान में रखते हुए, लेकिन यह मिनिमम वेज एक्ट के पेमेंट के तहत तय की गई मज़दूरी की न्यूनतम दरों से कम नहीं होगी।

15. ठेकेदार अपने या अपने उप-ठेकेदार द्वारा काम पर रखे गए लेबर के मामले में, उसमें दिए गए सभी मामलों में बिडर लेबर रेगुलेशन का पालन करेगा या करवाएगा। ठेकेदार पेमेंट ऑफ़ वेजेज़ एक्ट, 1936, मिनिमम वेजेज़ एक्ट, 1948, एम्प्लॉयर्स देयता एक्ट, 1938, वर्कमेन्स मुआवजा एक्ट, 1923, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, 1970, वर्कप्लेस पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल) एक्ट, 2013, या उसके किसी भी बदलाव या उससे जुड़े किसी दूसरे कानून, और समय-समय पर उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रोविज़न का पालन करेगा। ठेकेदार भारतीय रिज़र्व बैंक को हर्जाना देगा और हर्जाना देता रहेगा।

a. काम के दौरान या उसके कारण किसी तीसरे पक्ष को हुए जान-माल के नुकसान/क्षति से होने वाला कोई भी दावा।

b. काम पूरा होने के दौरान ठेकेदार द्वारा काम पर रखे गए मज़दूरों को हुए नुकसान/क्षति से होने वाला कोई भी क्लेम।

c. लागू PF / लेबर कानूनों, ESI नियमों वगैरह का पालन न करने की वजह से कोई भी क्लेम।

16. ठेकेदार को काम शुरू करने से पहले, अपने खर्च पर, Reserve Bank of India से ज़रूरी बीमा कवर (जैसे, Workmen Compensation Policy, सीएआर Policy, Third Party Liability) लेना होगा।

17. ठेकेदार को निविदा लेबर (रेगुलेशन और एबोलिशन) एक्ट, 1970 के नियमों का पालन करना होगा। फाइनल बिल जारी करने से पहले, ठेकेदार को एक प्रमाणपत्र देना होगा कि उसने अपने द्वारा काम पर रखे गए सभी तरह के मजदूरों को इस काम को पूरा करने के लिए असल में पूरा बकाया चुका दिया है, जो मिनिमम वेज एक्ट, 1949 के तहत तय रेट से कम नहीं होगा और निविदा लेबर को ज़रूरी सुविधाएं देने के संबंध में CLRA एक्ट के नियमों का पालन किया है।

18. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि कोविड-19 महामारी के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार और बैंक द्वारा जारी निर्देश / निर्देशों का बैंक में तैनात कर्मचारियों द्वारा ईमानदारी से पालन किया जाए। नियंत्रण क्षेत्र या संगरोध के तहत श्रमिकों को काम के लिए तैनात नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ठेकेदार को बैंक में तैनात कर्मचारियों की कड़ी निगरानी करनी चाहिए और किसी भी कर्मचारी / कर्मचारी के परिवार के सदस्य को 'कोविड' संक्रमित पाए जाने की स्थिति में, कर्मचारियों को तुरंत बदलने की कार्रवाई की जानी चाहिए। जब तक वे तैनात रहें, कर्मचारियों को सख्त सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। ठेकेदार उन्हें आवश्यक दस्ताने, मास्क, सैनिटाइज़र, आदि, और यदि आवश्यक हो तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा, ठेकेदार उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में अपनी विफलता, गलती या लापरवाही से उत्पन्न होने वाली किसी भी वित्तीय / कानूनी देनदारी से बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा।

19. ठेकेदार को बैंक की स्थान पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों की पूरी और अपडेटेड लिस्ट देनी होगी।

20. इस निविदा के कई हिस्सों को ठेकेदार ने पढ़ लिया है और पूरी तरह समझ लिया है।

अगर ठेकेदार पार्टनरशिप या कोई व्यक्ति है	इसके सबूत के तौर पर बैंक और ठेकेदार ने इन तोहफ़ों और इनकी दो कॉपी पर अपने-अपने दस्तखत किए हैं, जो ऊपर लिखे गए दिन और साल के हैं।
अगर ठेकेदार कोई कंपनी है	इसके सबूत के तौर पर बैंक ने अपने सही अधिकारी के ज़रिए इन तोहफ़ों पर दस्तखत किए हैं और ठेकेदार ने इस पर अपनी आम मुहर लगवाई है और इन तोहफ़ों और इनकी दो डुप्लीकेट को अपनी तरफ़ से, ऊपर लिखे गए पहले दिन और साल में बनवाया है।

हस्ताक्षर खंड

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित

……

(नाम और पदनाम)

……

……। की उपस्थिति में

(1)

पता

(2)

पता

……..

……..

……..

गवाहों

हस्ताक्षर और वितरित ……
द्वारा1)……पता……
……
……

अगर पार्ट-पार्टनरशिप फर्म या कोई व्यक्ति है, तो सभी पार्टनर्स या सभी की ओर से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

2) ……..

पता ……

……..

गवाहों

अगर ठेकेदार अपनी कॉमन सील के तहत हस्ताक्षर करता है, तो सिग्नेचर क्लॉज़ आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन्स में उनके सीलिंग क्लॉज़ से मैच करना चाहिए।

की सामान्य मुहर

पारित प्रस्तावों के अनुसार इसे यहां जोड़ा गया

इसके निदेशक मंडल द्वारा आयोजित बैठक में

……
……
……

चाहे ठेकेदार कंपनी हो या व्यक्ति, वह पावर ऑफ़ अटॉर्नी पर हाथ से हस्ताक्षर करता है।

की उपस्थिति में

(1)

……

चाहे ठेकेदार कंपनी हो या व्यक्ति, वह पावर ऑफ़ अटॉर्नी पर हाथ से हस्ताक्षर करता है।

(2)

……

जिन डायरेक्टर्स ने इन प्रेजेंट्स पर हस्ताक्षर किए हैं, उन्हें इनकी मौजूदगी में लिया जाएगा।

(1) ……..

(2) ……

ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित

श्री ……..

और सही तरीके से वकील बनाया गया है।

अनुबंध- 9

<u>भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में बोलीदाता द्वारा वचन / घोषणा / प्रमाणपत्र के लिए प्रोफार्मा</u>

(बोली लगाने वालों को अपने लेटर हेड पर सील और प्राधिकृत सिग्नेटरी के हस्ताक्षर के साथ जमा करना होगा)

को,

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिजर्व बैंक, कोच्ची

मैडम सर,

कार्य का नाम: ओबी, आरबीआई, कोच्ची में तीसरी मंजिल के लिए सेंट्रल एसी डक्ट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।

1. मैं / हम ..... (बोली लगाने वाले के स्थान के देश सहित नाम और पता) ने 23 जुलाई, 2020 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 6/18/2019-पीपीडी और उसके बाद के आदेशों / सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संशोधन की सामग्री को पढ़ और समझ लिया है, जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले एक देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंधों के बारे में है।

2. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि ..... (बोली लगाने वाले का नाम)

    i. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से नहीं है, या

    ii. भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देश से हो और सक्षम अधिकारी के पास रजिस्टर्ड हो, जिसका सर्टिफ़िकेट साथ में हो, या

    iii. भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देश से हो, जहाँ भारत सरकार ने क्रेडिट लाइन बढ़ाई हैं, या

    iv. यह भारत के साथ ज़मीनी सीमा शेयर करने वाले देश से है, जहाँ भारत सरकार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगी हुई है।

    (ऊपर दिए गए में से जो भी लागू न हो उसे काट दें)।

3. मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि ..... (बोली लगाने वाले का नाम) इस बारे में सभी ज़रूरतें पूरी करता है और ऊपर बताए गए ऑफ़िस मेमोरेंडम और उसके बाद के ऑर्डर/रिविज़न के तहत विचार किए जाने के लिए एलिजिबल है। मैं/हम यह भी वादा करते हैं कि ऐसे निविदा के मामले में भी जहाँ हमें बैंक/आरबीआई से उप-निविदा करने की इजाज़त है, मैं/हम .....(बोली लगाने वाले का नाम) भारत के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले देशों के किसी ठेकेदार को कोई काम उप-निविदा नहीं करेंगे , जब तक कि ऐसा ठेकेदार ऊपर बताए गए ऑफ़िस मेमोरेंडम/ऑर्डर में दी गई सभी ज़रूरतें पूरी नहीं करता।

4. मैं/हम जानते और समझते हैं कि, अगर हमारे द्वारा जमा किया गया यह अंडरटेकिंग/डिक्लेरेशन/प्रमाणपत्र गलत पाया जाता है, तो बैंक हमारे निविदा/वर्क ऑर्डर को रिजेक्ट/टर्मिनेट करने के लिए आज़ाद होगा और बैंक कानून के अनुसार कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी आज़ाद होगा, जिसमें अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट/परफ़ॉर्मेंस बैंक गारंटी/सिक्योरिटी डिपॉज़िट ज़ब्त करना और/या भविष्य में बैंक द्वारा बुलाए गए निविदा में भाग लेने से हमें रोकना शामिल है।

ठेकेदार के हस्ताक्षर और सील:

फर्म का नाम:

स्थान:
दिनांक:

भारतीय रिजर्व बैंक

संपदा विभाग

कोच्ची

आरबीआई, कोच्ची के कार्यालय भवन के तीसरी मंजिल के लिए सेंट्रल एसी डक्ट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग

के लिए ई-निविदा

भाग-II

(मूल्य बोली)

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)

भारतीय रिजर्व बैंक

कोच्ची- 682018

खंड-XI

बिना मूल्य वाली मात्राओं का बिल

(जीएसटी को छोड़कर रेट बताए जाएंगे)

कार्य का नाम: ओबी, आरबीआई, कोच्ची में तीसरी मंजिल के लिए सेंट्रल एसी डक्ट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।

मात्रा का बिल

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	मात्रा
1	GSS शीट मेटल रेक्टेंगुलर और फ्लैट ओवल डक्टिंग की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, बैलेंसिंग और कमीशनिंग, जिसमें नियोप्रीन रबर गैस्केट, एल्बो, ट्रांज़िशन, स्प्लिटर वेन्स, सस्पेंडेड रॉड्स के साथ GI एंगल सपोर्ट, सीलिंग हैंगर, एंकर, रीइन्फोर्समेंट, फ्लैंज, संयुक्त सीलिंग और सभी संबंधित एक्सेसरीज़ शामिल हैं, अप्रूव्ड ड्रॉइंग और नीचे दी गई शीट मोटाई के स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार, IS 655 के अनुसार लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के साथ पूरा, मौजूदा एएचयू को HVAC डक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में कनेक्ट करने के लिए, जैसा कि निविदा पार्ट-I में बताया गया है और स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार। कॉस्ट में रेक्टेंगुलर एएचयू प्लेनम, संबंधित फिटिंग्स देना शामिल होगा। मेन ब्रांच वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर्स को आइटम 5 के तहत अलग से मापा जाएगा। आइटम 3.2 के तहत शामिल कस्टमाइज़्ड ग्रिल प्लेनम को इस आइटम के तहत दोबारा नहीं मापा जाएगा।		
1.1	रेक्टेंगुलर डक्टवर्क: फैक्ट्री/साइट पर बना रेक्टेंगुलर डक्टवर्क, जिसमें 1300 mm चौड़ा × 800 mm ऊंचा × 2500 mm लंबा एएचयू प्लेनम, 1100 × 300 mm साइज़ के शुरुआती सप्लाई डक्ट, रेक्टेंगुलर ब्रांच, रिटर्न डक्ट और उससे जुड़ी फिटिंग शामिल हैं, जैसा कि अप्रूव्ड ड्रॉइंग में है। टीडीएफ़ फ्लैंज, जहां भी इस्तेमाल किए जाएं, उनमें सही मज़बूती, गैस्केट, बांधने की व्यवस्था और ज़रूरी सपोर्ट दिए जाएंगे, जो निविदा पार्ट-I में दिए गए विस्तृत टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से पूरे होंगे।		
1.1.1	मोटाई 0.63 mm.	वर्ग मीटर	28

1.1.2	मोटाई 0.80 mm.	वर्ग मीटर	55
1.1.3	मोटाई 1.00 mm.	वर्ग मीटर	16
1.2	फ्लैट ओवल डक्टवर्क: फैक्ट्री में बना GSS शीट मेटल फ्लैट ओवल स्पाइरल डक्टवर्क, जिसमें 1000 × 300 mm और 900 × 300 mm साइज़ के मेन डक्ट, बेंड, ट्रांज़िशन और उससे जुड़ी फिटिंग शामिल हैं, जो निविदा पार्ट-I में अप्रूव्ड ड्रॉइंग और विस्तृत टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के अनुसार सही फ्लैंज्ड / अप्रूव्ड प्रोप्राइटरी कनेक्शन, नियोप्रीन रबर गैस्केट, रीइन्फोर्समेंट, संयुक्त सीलिंग और सही सपोर्ट के साथ पूरा होगा। रेट में सफाई और ज़रूरी सरफेस तैयारी, कम्पैटिबल प्राइमर का इंतज़ाम और बैंक द्वारा अप्रूव्ड रंग के स्प्रे पेंटिंग के दो कोट से फिनिशिंग शामिल होगी। यह सभी खुली डक्ट सरफेस और सपोर्ट के लिए लागू होगा। कोटिंग सिस्टम संबंधित गैल्वेनाइज्ड स्टील / माइल्ड स्टील सरफेस के लिए सही होगा।		
1.2.1	मोटाई 0.80 mm.	वर्ग मीटर	52
1.2.2	मोटाई 1.00 mm.	वर्ग मीटर	92
2	डक्ट इंसुलेशन की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग, जिसमें एडहेसिव, लगातार संयुक्त सीलिंग, सपोर्ट पर ट्रीटमेंट, जहाँ भी ज़रूरत हो मैकेनिकल रिटेंशन, सरफेस की तैयारी और सभी संबंधित एक्सेसरीज़ शामिल हैं, निविदा पार्ट-I में अप्रूव्ड ड्रॉइंग और विस्तृत टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार पूरी की जाएंगी। थर्मल इंसुलेशन को बाहर से तय छिपे हुए रेक्टेंगुलर डक्टवर्क पर और अंदर से खुले हुए फ्लैट ओवल डक्टवर्क पर लगाया जाएगा। अंदर की लाइनिंग लगाने के बाद अप्रूव्ड क्लियर इंटरनल एयरवे को बनाए रखा जाएगा।		
2.1	बाहरी थर्मल इंसुलेशन: 9 mm मोटा, क्लोज्ड-सेल इलास्टोमेरिक नाइट्राइल रबर एएलपी इंसुलेशन जिसकी डेंसिटी 40-55 Kg / m3 फैक्ट्री-लैमिनेटेड है, मैट-फिनिश एल्यूमीनियम फॉयल फेसिंग के साथ, जो क्लास “O” फायर क्लासिफिकेशन देता है। इंसुलेशन को चुने हुए मटीरियल के लिए सही मैन्युफैक्चरर द्वारा रिकमेंडेड लो-VOC एडहेसिव का इस्तेमाल करके डेजिग्नेटेड कंसील्ड रेक्टेंगुलर डक्टवर्क पर बाहर से लगाया जाएगा। सभी जोड़ों और कटे हुए किनारों को कम्पैटिबल सीलिंग मटीरियल का इस्तेमाल करके अच्छी तरह से सील किया जाएगा, जिसमें 50 mm चौड़ा, 3 mm मोटा सेल्फ-एडहेसिव नाइट्राइल रबर टेप भी	वर्ग मीटर	99

	शामिल है, जहाँ भी रिकमेंडेड हो, ताकि लगातार वेपर बैरियर बना रहे। इसमें डक्ट्स की सरफेस तैयारी, फ्लैंज और सपोर्ट के आसपास ट्रीटमेंट, सभी ग्रिल / डिफ्यूज़र फेस को क्लियर छोड़ना, और निविदा पार्ट-I में विस्तृत टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार सभी ज़रूरी टूल्स, एक्सेसरीज़, और कंज्यूमेबल्स वगैरह देना शामिल है।		
2.2	अंदरूनी थर्मल इंसुलेशन: 9 mm मोटा, क्लोज्ड-सेल इलास्टोमेरिक नाइट्राइल रबर एएलपी इंसुलेशन, जिसकी डेंसिटी 40-55 Kg / m3 फैक्ट्री-लैमिनेटेड है, मैट-फिनिश एल्यूमीनियम फॉयल फेसिंग के साथ, जो क्लास “O” फायर क्लासिफिकेशन देता है, जिसमें मैन्युफैक्चरर-अप्रूव्ड ड्यूरेबल फेसिंग है जो डक्ट एयरस्ट्रीम के एक्सपोजर के लिए सही है। इंसुलेशन को मैन्युफैक्चरर-रिकमेंडेड लो-VOC एडहेसिव का इस्तेमाल करके, जहां भी ज़रूरत हो, मैकेनिकल रिटेंशन के साथ, तय खुले फ्लैट ओवल डक्टवर्क पर अंदर से लगाया जाएगा। सभी जोड़ों, कटे हुए किनारों और पेनेट्रेशन को लगातार इंसुलेशन और वेपर कंट्रोल बनाए रखने के लिए कम्पैटिबल मटीरियल का इस्तेमाल करके पूरी तरह से सील किया जाएगा। इसके दायरे में डक्ट्स की अंदरूनी सतह तैयार करना, फेसिंग को सुरक्षित रखना, सभी ग्रिल ओपनिंग को साफ छोड़ना, और निविदा पार्ट-I में विस्तृत टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार सभी ज़रूरी टूल्स, एक्सेसरीज़, और कंज्यूमेबल्स वगैरह देना शामिल है।	वर्ग मीटर	144
2.3	अकूस्टिक इंसुलेशन: एएचयू प्लेनम की अंदरूनी अकूस्टिक लाइनिंग और अप्रूव्ड ड्राइंग में पहचाने गए शुरुआती डक्ट सेक्शन के लिए कम से कम 10 mm मोटा, ओपन-सेल नाइट्राइल रबर फोम इंसुलेशन। इंसुलेशन मटीरियल की डेंसिटी 140–180 kg/m³ और थर्मल कंडक्टिविटी 0.047 W/m/K से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मटीरियल आग के सरफेस स्प्रेड के लिए क्लास 1 रेटिंग के हिसाब से होना चाहिए और इसमें एंटीमाइक्रोबियल प्रोडक्ट प्रोटेक्शन शामिल होना चाहिए। इसमें अंदरूनी सरफेस की तैयारी, मैन्युफैक्चरर का रिकमेंडेड लो-VOC एडहेसिव, ज़रूरत के हिसाब से पिन/वॉशर से मैकेनिकल फिक्सिंग, अप्रूव्ड एयरसाइड फिनिश, किनारों की सीलिंग और निविदा पार्ट-I में विस्तृत टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार सभी ज़रूरी टूल्स, एक्सेसरीज़ और कंज्यूमेबल्स वगैरह देना शामिल है। अकूस्टिक लाइनिंग और थर्मल इंसुलेशन का अरेंजमेंट इस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाएगा कि अनअप्रूव्ड लेयर्स की ओवरलैपिंग	वर्ग मीटर	42

	से बचा जा सके, और हर लेयर को संबंधित आइटम के नीचे सिर्फ़ एक बार मापा जाएगा।		
3	नीचे दिए गए आकार और टाइप के आर्किटेक्चरल-ग्रेड, फैक्ट्री-फिनिश्ड पाउडर-कोटेड एल्यूमीनियम एयर ग्रिल की सप्लाई, इंस्टॉलिंग, टेस्टिंग और बैलेंसिंग। सभी ग्रिल में, जहाँ भी ज़रूरत हो, मैचिंग कॉलर/कनेक्शन, एंटी-वाइब्रेशन नियोप्रीन गैस्केट, माउंटिंग एक्सेसरीज़, फ्रेम और कंसील्ड फिक्सिंग अरेंजमेंट शामिल होने चाहिए। सप्लाई ग्रिल/सप्लाई सेक्शन में वॉल्यूम कंट्रोल के लिए एल्यूमीनियम ऑपोज़्ड-ब्लेड कॉलर डैम्पर शामिल होने चाहिए। रिटर्न ग्रिल/रिटर्न सेक्शन में कॉलर डैम्पर नहीं होने चाहिए, जब तक कि अप्रूव्ड ड्रॉइंग में खास तौर पर ज़रूरी न हो। कलर फिनिश बैंक से अप्रूव्ड होगा। संबंधित ग्रिल आइटम में शामिल कॉलर, कॉलर डैम्पर या एक्सेसरीज़ के लिए कोई अलग पेमेंट नहीं किया जाएगा।		
3.1	सप्लाई एयर ग्रिल्स: डबल-लूवर टाइप, जिसमें अलग-अलग एडजस्ट होने वाले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ब्लेड होते हैं, जिसमें अंदर की शीट मेटल डिफ्लेक्टिंग स्कूप / इक्वलाइजिंग ग्रिड भी शामिल है, जहाँ भी ज़रूरत हो, ताकि डक्ट से एयरफ्लो को बाहर निकाला जा सके, मैचिंग कॉलर, ऑपोज़्ड-ब्लेड कॉलर डैम्पर्स और फिक्सिंग एक्सेसरीज़ के साथ, जैसा कि अप्रूव्ड ड्रॉइंग और निविदा पार्ट-I में विस्तृत टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार है।		
3.1.1	कर्व्ड सप्लाई एयर ग्रिल, 400 × 100 mm: फ्लैट ओवल डक्ट के साइड फेस पर सीधे, फ्लश माउंटिंग के लिए कर्व्ड बॉडी के साथ डिज़ाइन किया गया है। 30 नंबर के लिए प्रोविज़न। माप नॉमिनल नेक एरिया के हिसाब से होगा, फ्रेम को छोड़कर, हर ग्रिल के लिए कम से कम 0.10 sq. mtrs की निविदा लिमिट के अधीन।	वर्ग मीटर	3.00
3.1.2	सप्लाई एयर ग्रिल, 800 × 100 mm: विज़िटर्स एरिया की तरफ दो बड़े केबिन को सर्विस देने वाली रेक्टेंगुलर सप्लाई ब्रांच पर लगाने के लिए सही, मैचिंग कॉलर और ऑपोज़िट-ब्लेड कॉलर डैम्पर्स के साथ। 2 नंबर के लिए इंतज़ाम। माप नॉमिनल नेक एरिया के हिसाब से होगा, फ्रेम को छोड़कर, हर ग्रिल के लिए कम से कम 0.10 sq. mtrs की निविदा लिमिट के अधीन।	वर्ग मीटर	0.20
3.2	कॉम्बिनेशन सप्लाई और रिटर्न लीनियर ग्रिल, 1200 × 100 mm, और 1600 × 100 mm: इंटीग्रेटेड यूनिट को एक सेंट्रल सप्लाई सेक्शन में बांटा	वर्ग मीटर	1.00

	गया है जिसमें एडजस्टेबल डिफ्लेक्शन लूवर और दो फ्लैंकिंग रिटर्न सेक्शन हैं जिनमें फिक्स्ड 0° ब्लेड हैं, जो एक्टिव ग्रिल की लंबाई का कम से कम आधा हिस्सा लेते हैं, जो जरूरी सप्लाई और रिटर्न फ्री एरिया के अधीन है। आइटम में एक कस्टमाइज्ड शीट मेटल प्लेनम/कनेक्टिंग अरेंजमेंट शामिल होगा जो सप्लाई ब्रांच को रिटर्न एयर स्पेस से पूरी तरह अलग करने के लिए एक इंटरनल एयरटाइट इंसुलेटेड आइसोलेशन बैफल से फिट होगा, जिसमें ऑपोजिट-ब्लेड डैम्पर के साथ 600 × 100 mm सप्लाई कॉलर, सपोर्ट, इंटरनल प्लेनम इंसुलेशन और सभी संबंधित एक्सेसरीज शामिल हैं। 1200 × 100 mm के 7 और 1600 × 100 mm के 1 का प्रोविजन, जो निविदा पार्ट-I में अप्रूव्ड ड्रॉइंग और विस्तृत टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार पूरा होगा। हर कॉम्बिनेशन यूनिट को फ्रेम को छोड़कर, उसके ओवरऑल नॉमिनल नेक एरिया से एक बार मापा जाएगा। इस आइटम के तहत शामिल प्लेनम, कनेक्टिंग अरेंजमेंट या इंसुलेशन के लिए आइटम 1 और 2 के तहत कोई अलग पेमेंट नहीं किया जाएगा।		
3.3	रिटर्न एयर ग्रिल, 800 × 100 mm: फिक्स्ड, सीधे 0° डिफ्लेक्शन ब्लेड या अप्रूव्ड परफोरेटेड कोर के साथ सिंगल-लूवर टाइप, फॉल्स सीलिंग सरफेस पर फ्लश तरीके से रिटर्न डक्ट के सिरों पर माउंट करने के लिए सही, जहाँ भी ज़रूरत हो, मैचिंग कॉलर / कनेक्शन, फ्रेम, गैस्केट और कंसील्ड फिक्सिंग एक्सेसरीज़ के साथ। 2 नंबर के लिए प्रोविजन। माप नॉमिनल नेक एरिया के हिसाब से होगा, फ्रेम को छोड़कर, हर ग्रिल के लिए कम से कम 0.10 sq. mtrs की निविदा लिमिट के अधीन। बिना ग्रिल वाली रिटर्न-एयर वॉल ओपनिंग को इस आइटम के तहत मेज़र नहीं किया जाएगा।	वर्ग मीटर	0.20
3.4	लीनियर फोर-स्लॉट रिटर्न एयर ग्रिल: ड्राइंग में दिखाए गए 10000 × 200 mm रिटर्न-एयर अरेंजमेंट के लिए, नॉमिनल 200 mm ओवरऑल बैंड विड्थ वाले पाउडर-कोटेड एल्यूमीनियम फोर-स्लॉट लीनियर रिटर्न एयर ग्रिल की सप्लाई, इंस्टॉलिंग, टेस्टिंग और बैलेंसिंग, फ्रेम, एंड पीस, संयुक्त अलाइनमेंट, सपोर्ट, कंसील्ड फिक्सिंग अरेंजमेंट और एक्सेसरीज़ के साथ पूरी। स्लॉट डाइमेंशन और फ्री एरिया अप्रूव्ड सिलेक्शन के अनुसार होंगे। माप इंस्टॉल्ड रनिंग लेंथ के हिसाब से होगा। एसोसिएटेड	मीटर।	10

	रिटर्न डक्ट / प्लेनम को आइटम 1 के तहत मेज़र किया जाएगा और इस आइटम के तहत दोबारा मेज़र नहीं किया जाएगा।		
4	इक्विपमेंट वाइब्रेशन और शोर को फैलने से रोकने के लिए मौजूदा एएचयू और नए डक्ट / प्लेनम असेंबली के बीच एयरटाइट, फायर-रिटार्डेंट फ्लेक्सिबल कनेक्शन की सप्लाई, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग। कनेक्शन हेवी-ड्यूटी फायर-रिटार्डेंट फैब्रिक से बना होगा, जिस पर फैक्ट्री में फायर-रेसिस्टेंट सिलिकॉन या नियोप्रीन की कोटिंग होगी, और इसे गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉलर पर मैकेनिकली सुरक्षित रूप से फिक्स किया जाएगा। असेंबली इक्विपमेंट के ऑपरेटिंग प्रेशर और मूवमेंट के लिए सही होनी चाहिए। इसमें अप्रूव्ड बैकिंग / क्लैंपिंग अरेंजमेंट, फिक्सिंग क्लिप, सीलेंट और सभी एक्सेसरीज़ शामिल हैं, जो निविदा पार्ट-I में विस्तृत टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार सभी तरह से पूरी होंगी। माप अप्रूव्ड डाइमेंशन की एक पूरी असेंबली के रूप में होगा।	संख्या	1
5	मेन सप्लाई ब्रांच की शुरुआत में GI ऑपोज़्ड-ब्लेड वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर्स की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और बैलेंसिंग, जिसमें मज़बूत फ्रेम, कम से कम 0.8 mm मोटे ब्लेड और 1.0 mm मोटा फ्रेम, सही लिंक, लॉकिंग क्वाड्रेंट, आसानी से इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटिंग अरेंजमेंट और सभी एक्सेसरीज़ शामिल हों। डैम्पर्स एएचयू डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट के पास दो 1100 × 300 mm रेक्टेंगुलर सप्लाई ब्रांच के लिए दिए जाएंगे, जिनमें अप्रूव्ड डक्ट ज्योमेट्री के लिए सही कनेक्शन होंगे, और जो निविदा पार्ट-I में दिए गए विस्तृत टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार पूरे होंगे। माप पूरी असेंबली के तौर पर होगा। इस आइटम में आइटम 3 के तहत शामिल कॉलर डैम्पर्स शामिल नहीं होंगे।	संख्या	2

1. सभी क्वांटिटीज़ अप्रूव्ड ड्रॉइंग्स और निविदा के माप प्रोविज़न्स के अनुसार असल एग्ज़िक्यूशन और संयुक्त मेज़रमेंट्स के अधीन होंगी। निरीक्षण और टेस्टिंग इक्विपमेंट, जिसमें लागू डक्टवर्क निरीक्षण, लीकेज टेस्टिंग, एयर बैलेंसिंग, और टेस्ट और कमीशनिंग रिकॉर्ड जमा करना शामिल है, संबंधित आइटम रेट्स में शामिल होंगे, जैसा लागू हो।

2. मैंने इस बिना कीमत वाले बीओक्यू में पूरे स्पेसिफिकेशन के अनुसार काम करने के लिए, प्राइस बिड के लिए अपलोड की गई एक्सेल शीट में रेट्स कोट किए हैं।

ठेकेदार के हस्ताक्षर और सील:

फर्म का नाम:

स्थान:

दिनांक: